"आगरा जनपद के औद्योगिकरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंक का विश्लेषणात्मक अध्ययन (वर्ष 1995–2004)"

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
अर्थशास्त्र विषय में

पी–एच०डी उपाधि

हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

मार्गदर्शक

डॉ. एम. एल. मौर्य
डी०लिट
विभागाध्यक्ष एवं निदेशक
अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झाँसी (उ0 प्र0)

शोधार्थी

दीपांकर सिंह (एम.फिल.)

शोध केन्द्र
अर्थ एवं वित्त संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

अर्थ एवं वित्त संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

दिनांक–....................

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अर्थशास्त्र विषय के अन्तर्गत **"आगरा जनपद के औद्योगिकरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंक का विश्लेषणात्मक अध्ययन (वर्ष 1995–2004)"** शीर्षक के अन्तर्गत किया गया कार्य दीपांकर सिंह द्वारा मेरे मार्गदर्शन व निर्देशन में पूर्ण किया गया हैं। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी में **पी. एच. डी. शोध उपाधि** के लिए किया गया शोध कार्य श्री दीपांकर का मूल कार्य है। शोधार्थी ने मेरे पास 200 दिनों की उपस्थिति दर्ज करायी है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विषयवस्तु तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के स्तर का है। अतः मैं इस शोधकार्य को पी. एच. डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत करने की अनुशंसा करता हूँ।

मार्ग दर्शक

डॉ. एम. एल. मौर्य
डी.लिट्.
विभागाध्यक्ष एवं निर्देशक
अर्थशास्त्र एव वित्त संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

दिनांक— 2/6/08

शोधार्थी का घोषणा—पत्र

मैं दीपांकर सिंह यह घोषणा करता हूँ कि अर्थशास्त्र विषय के अन्तर्गत "**आगरा जनपद के औद्योगिकरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंक का विश्लेषणात्मक अध्ययन (वर्ष 1995—2004)**" शीर्षक के अन्तर्गत किया गया यह शोध कार्य डॉ. एम. एल. मौर्य, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी के निरीक्षण व मार्गदर्शन में शोध केन्द्र— बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी से किया गया है। यह मेरा स्वयं का शोध कार्य है। मैंने शोध केन्द्र पर मार्गदर्शक के पास 200 से अधिक दिवस पर उपस्थित रहा हूँ।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार शोध प्रबन्ध में कार्य का ऐसा कोई भाग नहीं है जो उपाधि प्रदान करने हेतु इस विश्वविद्यालय में यथोचित न हो।

शोधार्थी

दीपांकर सिंह (एम. फिल.)

आभार

पी–एच.डी. अर्थशास्त्र में शोध उपाधि ''आगरा जनपद के औद्योगिकीकरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंक का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' (वर्ष 1995-2004) की प्रेरणा अर्थ शास्त्र एवं वित्त संस्थान के विभगाध्यक्ष डा0 एम0एल0 मौर्या से मिली हैं। यह शोध मैने डॉ0 एम0एल0 मौर्या के निर्देशन में किया है । उनका मैं विशेष रुप से आभारी हूं । इन्होंने शोध प्रबन्ध के चयन विवेचन विश्लेषण एवं अनुसंधान के निष्काय सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया। मैं इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं।

इस शोध प्रबन्ध के पूर्ण कार्य हेतु मेरे अति आत्मीय पारिवारिक सदस्यों को कितना सहयोग रहा है। उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता किन शब्दों में व्यक्त करुं समझ में नहीं आ रहा है। विशेष रुप से आदरणीय पिताजी एवं माता जी ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया एवं एकाग्र होने की शिक्षा दी विशेष रुप से अपने सभी मित्र डा0 स्मृति सक्सेना को धन्यवाद देता हूं जिन्होने इस शोध कार्य को पूर्ण करने में अभूतपूर्ण मदद की हैं मैं अपने सभी ईस्ट मित्रों विशेषकर डॉ0 जी नाथ , लखपत राम, मि0 राकेश रंजन, नीलम मौर्य, भूपेन्द्र कुमार, सुनील कुमार , आदि ने हमारा पूर्ण सहयोग किया इस सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। गैलेन्स कम्प्यूटा सेन्टर मि0 शर्मा को धन्यवाद देता हूं जिन्होने समय से सम्पूर्ण कार्य को पूर्ण करने में विशेष सहयोग दिया।

अन्त में उन सभी चिर परिचित साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होने इस शोध कार्य को पूर्ण करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग प्रदान किया।

दीपांकर सिंह

एम.कॉम, एम.फिल (अर्थशास्त्र)

प्राक्कथन

बैंक शब्द का प्रयोग ऐसी संस्था के लिए किया जाता है जो मुद्रा सम्बन्धी प्रसंविदों से सम्बन्धित है। बैंक शब्द के इस अभिप्राय के अनुसार बैंक व्यवस्था का उदय अत्यन्त प्राचीन है और इसके प्रमाण ईसा पूर्व दो हजार वर्ष पूर्व भी मिलते हैं। बैंक व्यवस्था का आरम्भ यूरोप के अति प्राचीन सभ्य देशों रोम और यूनान में हुआ। जहाँ मुद्रा उधार देने का चलन अति प्राचीन काल में भी था।

बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना सन् 1157 ई0 हुई। विनिमय केन्द्रों की स्थापना 1344 ई0 में की गई। राजकीय बैंक की स्थापना सन् 1401 ई0 में की गई थी। यह बैंक नागरिकों और विदेशियों के लिए बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करता था।

बैंक ऑफ जेनोआ की स्थापना सन् 1407 ई0 में की गई। बैंक ऑफ एम्सर्डम सन् 1609 ई0 में स्थापित किया गया।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था का चलन अत्यन्त प्राचीन काल में भी था। मनुस्मृति में रूपया उधार देने लेने सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है। इस समय महाजन ब्याज पर अथवा बिना ब्याज भी रूपया उधार देते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं तथा रजत मुद्राओं का विनिमय करते थे। वैदिक काल में भी प्राचीन रूप में बैंकिंग व्यवस्था का प्रचार था, लेकिन मुद्रा उधार देने लेने का कार्य आरम्भिक तथा अविकसित रूप में ही होता था।

धीरे–धीरे बैंकिंग व्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर होने लगी। जैसे जैसे बैंकों के कार्यों में वृद्धि हुई। इनका महत्व बढ़ता गया और व्यक्ति ही नहीं वरन् विभिन्न संस्थाएं और सरकारें भी बैंकों से लाभान्वित होने लगी। आज बैंक न केवल राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, बल्कि इनका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की है।

भारत के नक्शे पटल पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक बड़ा राज्य है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पूर्णतः जनता प्रधान। विभिन्न राज्यों में विभाजित होने के कारण केन्द्र एवं राज्य सरकारें बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है। कृषि प्रधान एवं लघु उद्योग प्रधान होने के कारण इसके विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होना भी आवश्यक है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए अनेक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के द्वारा व्याप्त असमानता को कम करके, सुदूरवर्ती, कृषकों खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों, लघु उद्यमियों आदि की विभिन्न प्रकार की कृषि एवं कृषेत्तर उत्पादक एवं नियोजन परक गतिविधियों के विकास हेतु ऋण प्रदान करने के साथ–साथ बचतों को बढ़ावा देते हुए इस अंचल में बैंकिंग प्रवृत्तियों को उत्प्रेरित करना तथा लाभ अर्जित करते हुए उनकी व्यावहारिकता सिद्ध करना है। ये बैंक अपने उद्देश्यों के प्रति सजग एवं जागृत रहते हुए भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक एवं आयोजक बैंक के निर्देशानुसार प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ती जा रही है, जो अत्यन्त हर्ष का विषय है।

अर्थशास्त्र संकाय का विद्यार्थी होने के कारण मेरे मन में यह जिज्ञासा रहना स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता के पश्चात योजनाबद्ध विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात भी भारत में वांछित आर्थिक प्रगति क्यों नहीं हो सकी है। तुलनात्मक रूप से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र. में भी आर्थिक असंतुलन में वृद्धि हुई है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं का उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सका है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से देश में 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के होने के बावजूद भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मूल कारण भी यही प्रतीत होता है। कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों का पर्याप्त लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को प्राप्त नहीं हो सका है। मेरे इस विषय पर शोध कार्य करने का मूल उद्देश्य यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान प्रदान कर रही है। इन ग्रामीण बैंकों के औद्योगिकरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंक का क्या योगदान है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य प्रणाली एवं प्रबन्ध व्यवस्था का ढांचा एक समान है। अतः विषय का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने के उद्देश्यों से मैंने शोध कार्य के लिए जमुना ग्रामीण बैंक आगरा को चुना है। इस विषय पर शोध कार्य करने का उद्देश्य यह है कि जमुना ग्रामीण बैंक की कार्य प्रणाली एवं औद्योगिकरण से उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना है। ताकि ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें। और इस बैंक की सेवाओं का लाभ ग्रामीण अंचलों के जन सामान्य को आसानी से मिल सके।

इस कारण शोधार्थी ने आगरा जनपद के औद्योगिकरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंक का विश्लेषणात्मक अध्ययन (वर्ष 1995 से 2004 तक) चयनित किया है। जिसमें शोधार्थी ने कुल नौ अध्यायों में पूर्ण किया है।

अध्याय - प्रथम
आगरा जनपद का परिचय

आगरा जनपद

तहसील मुख्यालय/सीमा
विकास खंड मुख्यालय/सीमा
रेलवे लाइन बड़ी
रेलवे लाइन छोटी
प्रमुख सड़कें
नदियां (प्रमुख)
हाथरस को
खंदौली
मथुरा को
यमुना नदी
भरतपुर को
अछनेरा
आगरा
टूण्डला को
किरावली
बिचपुरी
बरौली अहीर
फतेहपुर सीकरी
अकोला
बयाना को
शमसाबाद
फतेहाबाद
खेरागढ़
सैंया
शिकोहाबाद को
पिनाहट
जगनेर
करौली को
धौलपुर को
चम्बल नदी
बाह
जैतपुर कलां
जसवन्तनगर को
यमुना नदी
चम्बल नदी

आगरा जनपद का परिचय

किसी भी देश का विकास वहां की भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा माना जाता है। इस प्रदेश में क्षेत्रीय असन्तुलन की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। आगरा मण्डल के अन्य जनपद एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, मथुरा एवं फिरोजाबाद ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं।

अर्वाचीन एवं इतिहास के झरोखे में झांकने से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आगरा की पौराणिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अनेकानेक पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाओं को अपने अंचल में समेटे आगरा की भूमि को ऋषि-मुनि और -शूरवीरों की भूमि कहा जाये तो अनुचित न होगा। आगरा में समय-समय पर आये जैन, बौद्ध तथा अन्य धर्मों के विद्वानों की खोज और दस्तावेजों के आधार पर ऐसे तथ्य प्रकट होते हैं जोकि इस पावन भूमि की पौराणिकता के परिचायक हैं। जनश्रुतियों के अनुसार महयुदानव जिस समय मधुपुरी को शत्रुघ्न से जीता था उस समय वर्तमान आगरा के चारों ओर महावन की भांति ही वन थे।

आगरा जनपद का स्वरूप

प्राचीन काल में भारतवर्ष में नदियों के किनारे बसी सभ्यता के युग में यमुना नदी के किनारे बसे नगरों में से आगरा ब्रज का प्राचीन ऐतिहासिक एवं वैभवशाली नगर रहा है। आगरा की स्थापना कब और किसने की यह इतिहास के शोधों का प्रश्न है। फिर

भी विद्वानों ने आगरा जनपद का अस्तित्व रामायण काल से माना है। भगवान श्रीराम के अनुज श्री शत्रुघ्न द्वारा मथुरा राज्य पर आक्रमण तथा अधिकार के पश्चात् राज्य का चतुर्दिक सम्वर्द्धन किया गया। ब्रज प्रदेश के 13 महावनों में से एक अग्रवन जो मथुरा से दक्षिण-पश्चिम में यमुना पर स्थित था उसको भोज जाति ने राघवों को हराकर अपने अधिकार में ले लिया। महाभारत के 'वनपर्व' के अनुसार भी आज का आगरा ही अग्रवन था। यह कहना अनुचित न होगा कि शूरसेन जपनद के अन्तर्गत यह भूभाग अत्यन्त सम्पन्न एवं समृद्ध रहा होगा।

श्रीमद्भागवत् के अनुसार कंस ने जो स्वयं भोज शाखा में उत्पन्न हुआ था राघवों को निकाल कर यहां पर अपना अधिकार कर लिया था। उस काल में शूर, एवं भोज आदि अनेक समृद्ध जातियां यहां रहती थीं। इतिहास के इस तरह से चलते रहते ऐतिहासिक प्रवाह में नाग लोगों के बाद शूर और वृष्णियों का अग्रवन पर आधिपत्य और हूणों के आग्रमण तक बना रहा।

आगरा का नाम 'अर्गलापुर' भी मिलता है। इस जनपद और इसके आस-पास के वैभवशाली नगरों की समृध्दि की विदेशी आक्रमणकारियों के आकर्षण का केन्द्र बनी। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार आगरा की स्थापना को राजा अग्रसेन और यमराज आदि से भी जोड़ा जाता है। 'तारीख दाऊदी' के लेखक अब्दुल्ला ने बताया है कि कंस शूरसेन की राजधानी मथुरा का राजा था। आगरा में उसके दुर्ग थे। आगरा के गोकुलपुरा मोहल्ले में कंस दरवाजे से इसकी पुष्टि होती है। बादलगढ़ का पुराना किला 'अब्दुल्ला' महाभारतकालीन है जिस पर अकबर ने वर्तमान किले का निर्माण कराया। इसके प्राचीन स्थानों में से पिनाहट {बाह तहसील} पाण्डव-छाता से बना। सूरजपुरा की स्थापना शूरसेन ने की। जैन मतानुसार 22वें तीर्थांकर 'नैमीनाथ' का

यहां जन्म हुआ। बटेश्वर के विषय में कहा जाता है कि रामायणकालीन अनुसुइया और शबरी का यह निवास स्थान था।

रूनकता का सम्बन्ध जमदग्नि की पत्नी रेणुबा से जोड़ा जाता है। इस प्रकार यह जनपद अपने पुरातात्विक अवशेषों, कला, व्यापार और उद्योगों के लिए सदैव से ही प्रसिद्ध रहा है परन्तु आक्रमणकारियों के कारण यहां का अधिकांश वैभव मिट्टी के ढेरों में बदल गया।

महमूद गजनवी के आक्रमण से पूर्व यहां केवल एक छोटा सा दुर्ग था जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। 'आगरा' शब्द का प्रथम प्रयोग गजनी के दरबारी कवि सुलेमान ने अपने काव्य में किया। महमूद ने आगरा को जो कंस के समय से हिन्दुओं का एक बड़ा गढ़ रहा था और जहां कंस का कारागार था, नष्ट-भ्रष्ट कर दिया तथा यह नगर सिकन्दर लोदी के समय तक इसी तरह रहा। बाद में सिकन्दर लोदी ने वर्तमान आगरा को अपनी राजधानी बनाया।

सन् 1526 में बाबर ने लोदी को जीतकर मुगलवंश को स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन बाबर से लेकर अकबर तक आगरा का तीस वर्ष का काल लोदी सूर एवं मुगलों की आपसी लड़ाई में ही व्यतीत हुआ। सन् 1556 ई. में हुंमायू के देहान्त के बाद अकबर ने आगरा को जीतकर मुगल राज्यों की राजधानी बनाया। अकबर के शासनकाल में आगरा जनपद की आशातीत् अभिवृद्धि हुई। सन् 1558 में अकबर स्वयं आगरा आया। उसका पहला निवास वहॉ था जहां आज सुल्तानपुर और ख्वासपुर गांव स्थित है। सन 1556 में अकबर ने पुराने बादलगढ़ दुर्ग के स्थान पर

आगरा जनपद का राजनैतिक स्तर- चिन्तामणि शुक्ल, पेज-13
" वही " , आगरा गजेटियर-1905, पेज-28
" वही " , पेज- 138, 142

आगरा के वर्तमान लाल किले का निर्माण आरम्भ कराया तथा सन् 1569 ई0 में फतेहपुर सीकरी में नये नगर का निर्माण आरम्भ किया। सन् 1577 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में टकसाल खोली। अकबर द्वारा लाल पत्थर की अनेक इमारतें बनवायी गयीं थीं जिनमें ईरानी और हिन्दू कला का मिश्रण है।

अकबर के शासनकाल सन् 1580 में एक यूरोपियन मिशनरी का फादर 'एन्थौनी मास्टेरेट' आया था जिसने आगरा नहर के विषय में लिखा था। आगरा एक भव्य शहर है। यहां की जलवायु अच्छी है। यमुना यहां का जीवन है। सुन्दर बगीचे हैं और इस शहर की यशगाथा विश्व के कोने-कोने में फैली हुई है।

सन् 1585 ई0 में यहां इंग्लैण्ड निवासी 'रॉल्फपिथ' नामक यात्री ने लिखा था कि लम्बाई, चौड़ाई तथा आबादी में यह नगर लंदन से काफी बड़ा है। इसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख है।

आगरा में ही जन्मे अबुल फजल ने जो आगरा का दीवान भी रहा था आगरा के सम्बन्ध में लिखा है कि यहां के भव्य एवं शानदार मकान, खुशनुमा फिजां, स्वादिष्ट फल, सुगन्धित फूल-इत्र तथा बेजोड़ किस्म के पानो पर वह फिदा था।

सन् 1607 में जहांगीर आगरा आया जहां उसने जहांगीरी महल का निर्माण कराया। जहांगीर के शासनकाल सन् 1608 में कैप्टन 'विलियम हॉकिन्स' अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए आगरा आया किन्तु पुर्तगालियों के षडयन्त्र के कारण वह अपने उद्‌देश्य में सफल नहीं हो सका। सन् 1613 में इसी उद्‌देश्य से

आगरा जनपद का राजनैतिक स्तर- चिन्तामणि शुक्ल, पेज-30
" वही " , पेज-31, 33

'टॉमस कैरिज' आगरा आया। सन् 1614 में यहां नियमित रूप से एक फैक्टरी स्थापित हुई जो वर्षों तक चलती रही।

शाहजहां ने आगरा में अपनी प्रिय बेगम मुमताल महल की स्मृति में विश्व प्रसिद्ध 'ताजमहल' बनवाया। यह कलात्मक स्मारक विश्व की अमूल्य धरोहर बन गया है। सन् 1639 में शाहजहां ने एक नये नगर शाहजहांनाबाद की स्थापना की और भव्य भवनों से इसे अलंकृत किया। शाहजहां के शासनकाल में आगरा में शिल्पकला अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गयी थी। दिल्ली को राजधानी बनाने पर भी शाहजहां ने आगरा की उपेक्षा नहीं की।

आगरा जनपद की भूमि पर औरंगजेब की विजय ने मुगल इतिहास के दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय का सूत्रपात् किया। औरंगजेब अधिक दिन आगरा नहीं ठहर सका। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुतापूर्ण नीति ने उसके साम्राज्य को पतन के कगार पर पहुंचा दिया।

सन् 1785 से सन् 1803 तक आगरा पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित रहा। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के अनुसार इस काल में आगरा सिन्धिया के उत्तर भारतीय राज्य की वास्तविक राजधानी रहा।

आगरा नगर व्यवसाय और व्यापार का अच्छा केन्द्र था। यहां सफेद सूती और रेशमी कपड़े हाथ से तैयार होते थे। फीते, सोने-चांदी की जरी का काम तथा सफेद रंगीन शीशे का गृह उद्योग यहां बहुत प्रसिद्ध था। फतेहपुर सीकरी के बने हुए सुन्दर और कलात्मक कालीनों की ख्याति देश-देशान्तरों तक फैली हुई थी। यहां आने वाले सभी यात्रियों ने प्रायः यहां के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रशंसा की है।

आगरा जनपद का राजनैतिक इतिहास-प्रो० चिन्तामणि शुक्ल पृ०सं० 30
प्रो० चिन्तामणि शुक्ल पृ०सं० 31, 32, 38 एवं 40

सन् 1794 में 'खेरनियन' नामक यात्री ने लिखा था कि जब मैं उत्तरी और दक्षिणी फाटकों से होकर इस नगर में आया तो मैने पाया कि बंगाल, बिहार और बनारस की अपेक्षा आगरा जनसंख्या, व्यापार और समृद्धि में बहुत पीछे है। साम्राज्य के अन्तिम दिनों के पारस्परिक युद्धों के कारण इसकी वह समृद्ध जो अकबर के शासनकाल में थी, लुप्त हो गयी थी।

फतेहपुर सीकरी के बारे में उसने लिखा था अर्थात् फतेहपुर अकबर के समय में एक जन-संकुल नगर था लेकिन अब इसमें केवल 400 लोग निवास करते है।

विदेशी शासन अंग्रेजों और बाजीराव पेशवा के मध्य बेसिन की सन्धि के साथ ही मराठा मण्डल का विघटन प्रारम्भ हो गया। 'लेक' ने सन् 1803 में अलीगढ़ पर अधिकार करने के बाद दिल्ली एवं फिरोजाबाद आदि के साथ-साथ आगरा शहर पर भी अधिकार कर लिया। सिन्धिया ने अंग्रेजों से खर्जी-अर्जुन गांव की हुई सन्धि के अनुसार गंगा-यमुना के दोआब का सारा भू-भाग पूर्णतया ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंप दिया।

आगरा जनपद क्रमशः हिन्दु राजवंशों, मुस्लिम और मुगल जाट तथा मराठाओं के शासन में यात्रा करता हुआ सन् 1803 से अंग्रेजों के विदेशी शासन की दासता में यात्रा करने लगा।

नवीन शासन प्रणाली एवं आर्थिक शोषण की साम्राज्यवादी नीति के कटु अनुभव करते हुए इस जनपद को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक पतन में अपने दिन

1. आगरा जनपद का राजनैतिक इतिहास-प्रो0 चिन्तामणि शुक्ल पृष्ठ संख्या 39 से 45, 50 एवं 51
2. आगरा जनपद का राजनैतिक इतिहास-प्रो0 चिन्तामणि शुक्ल पृष्ठ संख्या 58

व्यतीत करने पड़े। 20 वर्ष से अधिक समय तक यह जनपद अंग्रेज कलेक्टर द्वारा शासित होता रहा। यह कलेक्टर विजित और मिलाये हुए प्रदेशों के लिये नियुक्त कमिश्नरों की बोर्ड के अधीन कार्य करता था। सन् 1808 में कमिश्नरों के गवर्नर के अधीन प्रथक पश्चिमी प्रान्त की स्थापना की अनुशंसा की गयी थी।

सन् 1883 पार्लियामेण्ट एक्ट द्वारा आगरा प्रेसीडेन्सी के निर्माण होने तक अंग्रेजों ने इसकी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर संगमरमर के सुन्दर एवं कलात्मक पत्थरों को इंग्लैण्ड भेज दिया। आगरा जनपद पर भी शेष भारत की भांति विदेशी सत्ता की कालिमा धीरे-धीरे घनीभूत होती गयी। विदेशी शासन के अभिशापों से यह आक्रान्त होता गया। जनपद के ग्रामीण कुटीर उद्योग-धन्धों तथा सीधी-सादी कर प्रणाली धीरे-धीरे विदेशी शासकों ने नष्ट कर दी और साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण नीति के कारण आगरा जनपद गरीब होता चला गया।

आगरा जनपद का आर्थिक भूगोल

आगरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1131 ई0 में पारसी कवि सुजेमान ने गजनी शासन की प्रशंसा में लिखी कविताओं में किया है। उसने लिखा है कि महमूद गजनवी ने एक कड़े संघर्ष के बाद जयपाल नामक राजपूत शासक से आगरा का किला जीता था एवं आगरा को जो कंस के समय से हिन्दुओं का गढ़ रहा था एवं जहां कंस का कारागार था, नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। लगभग दो शताब्दियों तक आगरा पर राजपूत शासकों ने राज्य किया।

यद्यपि 11वीं शताब्दी के लेखों व प्रमाणों से आगरा एक समृद्धिशाली नगर था परन्तु सन् 1504 ई0 के भयंकर भूकम्प ने आगरा को तहस-नहस कर दो टीलों में

परिवर्तित कर दिया था जिसे सिकन्दर लोदी ने पुनः बसाया एवं आगरा नाम दिया। इसका उल्लेख 'मरवजान-ए-अफ़गान' में किया गया है।

जनपद आगरा का नामकरण इसके मुख्यालय नगर आकाश के नाम पर किया गया। आगरा नगर का यह नाम अग्रवन के नाम पर पड़ा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस नगर का नाम आगॅर के नाम पर पड़ा है। ऑगर का हिन्दी अर्थ होता है खारीपन। किसी समय इस भाग पर खारी मिट्टी फैली थी इसी के आधार पर जनपद का नाम आगरा हो गया।

किसी भी स्थान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सभ्यता को जानने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी भौगोलिक स्थिति को समझा जाये। भौगोलिक दृष्टि से जो प्राकृतिक वातावरण होगा उसका सीधा प्रभाव वहां की सभ्यता, खान-पान, सांस्कृतिक एवं व्यवसाय आदि पर पड़ेगा। आगरा जनपद के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है।

आगरा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4027 वर्ग किमी0 है जो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 1.36 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसका 44वां स्थान है। जनपद आगरा उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर 27.44 डिग्री व 27.24 डिग्री उत्तरी अक्षांश 77.28 डिग्री व 78.54 डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में जनपद हाथरस व मथुरा, पूर्व में फिरोजाबाद, दक्षिण में मध्य प्रदेश व राजस्थान तथा पश्चिम में राजस्थान की सीमायें हैं।

सांख्यिकीय पत्रिका आगरा मण्डल 1990 कार्यालय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, आगरा

आगरा की भौगोलिक स्थितियां प्राचीन काल से ही काफी महत्वपूर्ण रही हैं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा चम्बल और यमुना नदी की प्राकृतिक सुरक्षा ने ही हर काल में इसके महत्व को समझा और शांतिपूर्वक आगरा क्षेत्र को केन्द्र बनाकर कार्य किया।

भूमि संरचना

जनपद मैदानी क्षेत्र में स्थित होते हुए भी इसकी भूमि में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान हैं। आगरा मण्डल में लोन तथा दोमट मिट्टी पायी जाती है। सामान्यतः यहां की मिट्टी में घुलनशील लवण होते हैं जिसके फलस्वरूप इसमें फासफेटिक नत्रजन तथा जीवाश्म तत्वों का अभाव पाया जाता है। गहराई में कैल्शियम की मात्रा भी अधिक पायी जाती है। यहां की जमीन का पी.एच. मान सामान्य से अधिक है। यमुना चम्बल एवं उटगन आदि नदियों के कारण बने खादरों के फलस्वरूप यहां बीहड़ काफी मात्रा में विद्यमान हैं। जनपद आगरा का 1.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीहड़ से प्रभावित है जो उत्तर प्रदेश की बीहड़ प्रभावित क्षेत्र 12.30 लाख हेक्टेयर का 14.30 प्रति0 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र आगरा जनपद में ही है।

भूतत्व एवं खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से जनपद निर्धनतम है। जनपद के विकास खण्ड जगनेर एवं फतेहपुर सीकरी में अरावली पर्वत की शाखाएं फैली हुई हैं जहां पत्थर की खानें पायी जाती हैं। विकास खण्ड जगनेर का तांतपुर क्षेत्र मकानों के पटाव में प्रयोग होने वाले पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है।

जनपद की मुख्य नदियॉ उटगन तथा चम्बल है। यमुना नदी उत्तर-पूर्व के कोने से मथुरा जनपद से आगरा में प्रवेश करती है। यह नदी आगरा जनपद की तहसील एत्मादपुर तथा जनपद फिरोजाबाद को जनपद के शेष भूखण्ड को अलग करती है। इसके बाद तहसील की उत्तरी सीमा बनाती हुई इटावा जनपद में चली जाती है। इसकी तीन सहायक नदियां झरना, सिरसा तथा सेंगर है। उटगन नदी पश्चिम में राजस्थान से जनपद में प्रवेश करती है और खेरागढ़ तहसील को विभाजित करते हुए खेरागढ़ तथा फतेहाबाद तहसीलों की सीमा बनाते हुए फतेहाबाद नगर से 16 किमी0 दूर रिहावली गांव के पास यमुना में विलीन हो जाती है। इसकी तीन सहायक नदियां किवाड़, पार्वती खारी हैं। चम्बल नदी जनपद को बाह तहसील के दक्षिणी सीमा बनाती इटावा जनपद में चली गई है यह नदी कहीं पर भी जनपद के क्षेत्र के अन्दर नहीं गई है।

आगरा में भूमिगत जल अधिकांशतः खारी एवं तैलीय होने के साथ-साथ काफी गहराई पर है। जनपद की खेरागढ़, किरावली एवं बाह तहसीलों में खादर होने के कारण भूमिगत जल का उपयोग करने में कठिनाई होती है। तहसील बाह में पानी का जल स्तर 100 से 120 फीट तक है। प्रायः यह देखने में आ रहा है जनपद के सभी क्षेत्रों में भूमिगत जलस्तर की गहराई में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जिसका मुख्य कारण मुख्यतःसामान्य वर्षा की कमी एवं भूमिगत जल का अधिकाधिक दोहन है। चूंकि प्रकृति प्रदत्त वर्षा पर मनुष्य का कोई नियन्त्रण नहीं है इसलिए जन सामान्य द्वारा जल का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना समय की तात्कालिक आवश्यकता है।

प्रशासनिक संरचना

प्रशासनिक दृष्टिकोण से आगरा जनपद को 6 तहसीलों एवं 15 विकास- खण्डों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है।

क्रम संख्या	तहसील	विकास खण्ड		
	आगरा	1 बरौली अहीर	2 अकोला	3 बिचपुरी
2	किरावली	1 अछनेरा	2 फतेहपुर सीकरी	
3	खेरागढ़	1 जगनेर	2 खेरागढ़	3 सैंया
4	फतेहाबाद	1 फतेहाबाद	2 शमसाबाद	
5	बाह	1 बाह	2 पिनाहट	3 जैतपुर कलां
6	एत्मादपुर	1 एत्मादपुर	2 खन्दौली	

नोट- विकास खण्ड अकोला का कुछ भाग आगरा तहसील में आता है और शेष भाग किरावली तहसील में।

जनपद में कुल 115 न्याय पंचायत हैं जिनमें विकास खण्ड बरौली अहीर एवं फतेहाबाद में सर्वाधिक 10-10 न्याय पंचायतें हैं। विकास खण्ड सैंया में 09, खंदौली, एत्मादपुर, शमसाबाद, बाह एवं जैतपुर कलां में 8-8 फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, बिचपुरी, खेरागढ़ में 7-7 पिनाहट में 6 तथा जगनेर में 05 न्याय पंचायतें हैं

आगरा में कुल 636 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें सर्वाधिक पंचायतें विकास खण्ड फतेहाबाद में {64} स्थित हैं। विकास खण्ड बरौली अहीर एवं शमसाबाद का क्रमशःदूसरा {56} तथा तीसरा {55} स्थान है। सबसे कम ग्राम पंचायतों की संख्या विकास खण्ड बिचपुरी में 27 है।

राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 940 है जिसमें आबाद ग्रामों की संख्या 904 एवं गैर आबाद ग्रामों की संख्या 36 है। गैर आबाद ग्राम जनपद के विकास खण्ड अछनेरा, अकोला, तथा सैयां को छोड़कर शेष समस्त विकास खण्डों में वितरित है। सर्वाध्कि गैर आबाद ग्राम विकास खण्ड बिचपुरी में एवं सबसे कम फतेहाबाद में एवं बाह में हैं।

जनपद में 05 नगरपालिकाएं हैं। तहसील किरावली के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी एवं अछनेरा तहसील फतेहाबाद में शमसाबाद, तहसील एत्मादपुर में एत्मादपुर तथा तहसील बाह नगर पालिका है। नगरपालिकाओं में सर्वाधिक क्षेत्रफल बाह नगर पालिका का .57 वर्गकिमी है। आगरा में कुल 07 टाउन एरिया हैं। किरावली, फतेहाबाद, पिनाहट, खेरागढ़, जगनेर, दयालबाग तथा स्वामीबाग टाउन एरिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल दयालबाग {8.56 वर्ग किमी} एवं सबसे कम क्षेत्रफल स्वामीबाग {.31 वर्ग किमी} है। सेन्सस टाउन धनौली का क्षेत्रफल 4.37 वर्ग किमी है तथा आगरा कैण्ट का क्षेत्रफल 11.56 वर्ग किमी है।

जनसंख्या

जनसंख्या विकास का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अन्तर्गत न केवल जनसंख्या के आकार का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है अपितु जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर, स्त्री-पुरूष अनुपात, आयु संरचना, साक्षरता प्रतिशत एवं जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण भी महत्वपूर्ण अंग है। जनपद की जनसंख्या का अध्ययन करते समय इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है जिससे अध्ययन की उपयोगिता को सिद्ध किया जा सके।

1. जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि

आगरा का भू-क्षेत्र प्रदेश के भू-क्षेत्र का लगभग 1.36 प्रति0 है किन्तु उसे उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या के 2.18 प्रति0 भाग का पालन-पोषण करना होता है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आगरा की जनसंख्या 27.51 लाख अनुमानित की गयी जो वर्ष 2001 में बढ़कर लगभग 36.20 लाख हो गयी। इस प्रकार पिछले दशक में आगरा की कुल जनसंख्या में लगभग 8.69 लाख की वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक -1

जनगणना वर्ष

वर्ष	कुल			ग्रामीण			नगरीय		
	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1991	1501927	1249094	2751021	903464	736471	1639935	598463	512623	1111086
2001	1961250	1659186	3620436	-	-	-	-	-	-

सांख्यिकीय पत्रिका 2002-03 पृ0सं0 33

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आगरा की कुल जनसंख्या में आगरा के 19.61 लाख पुरुष एवं 16.59 लाख महिलाएं हैं जबकि 1991 में यह क्रमशः 15.02 लाख एवं 12.49 लाख थे। 1991-2001 के दशक में स्त्रियों के सापेक्ष पुरुषों की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 1991-2001 के दशक के दौरान जहां 25.91 प्रति0 की वृद्धि हुई है वहीं इसी अवधि में आगरा की जनसंख्या में 31.60 प्रति0 की वृद्धि हुई जोकि इस शतक में सर्वाधिक वृद्धि है।

तालिका क्रमांक-1

जनपद की जनसंख्या में जनगणना के अनुसार 1901 से प्रतिदशक जनसंख्या में वृद्धि

आगरा जनपद
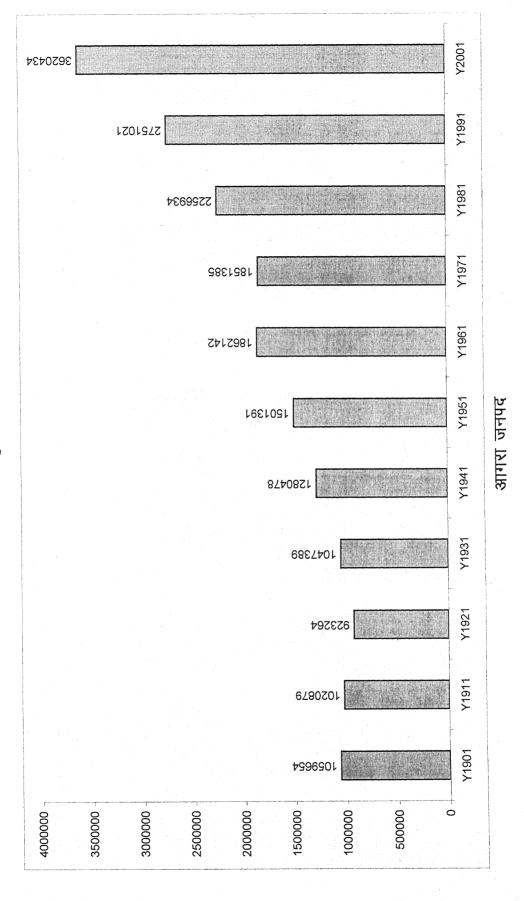
2. जनसंख्या का घनत्व

जन घनत्व से आशय भूमि व्यक्ति अनुपात से है। अर्थात् किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किमी औसत जनसंख्या से है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आगरा का औसत जनघनत्व 897 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

तालिका क्रमांक-2

जनसंख्या का घनत्व

वर्ष	जन घनत्व आगरा व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
1971	479
1981	560
1991	683
2001	897

1971 की जनगणना के अनुसार का औसत जन घनत्व 479 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 था किन्तु 1981 में बढकर यह 560 एवं 1991 में यह 683 हो गया है। दूसरे शब्दों में आगरा में मनुष्य भूमि अनुपात निरन्तर बढ़ रहा है।

आगरा की जनसंख्या के घनत्व की तुलना कुछ अन्य जनपदों से करने पर पता चलता है कि न तो आगरा ऐसे जनपदों में से है जिनमें मनुष्य-भूमि अनुपात अधिक है और न ही आगरा उन जनपदों की श्रेणी में आता है जिनमें मनुष्य-भूमि अनुपात कम है। आगरा की स्थिति न तो वाराणसी, गाजियाबाद, संत रविदास नगर और लखनऊ आदि जनपदों जितनी बुरी है। और न ही ललितपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर जितनी अच्छी। जन घनत्व के आधार पर आगरा का स्थान

1991 में 24वां तथा 2001 में 20वां है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 1991 में 548 था जो बढकर 2001 में 690 हो गया। इस प्रकार राज्य के जनघनत्व की अधिक तुलना में आगरा जनपद का जनघनत्व अधिक है।

3. लिंगानुपात जनसंख्या

जनसंख्या में लिंग अनुपात की आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से जन्म व मृत्युदर प्रभावित होती है। प्रतिकूल लिंगानुपात अनेक सामाजिक बुराईयों को जन्म देता है। साथ ही स्त्रियों की कार्यक्षमता पुरूषों की अपेक्षा कम होती है इसलिए कुल जनसंख्या में महिलाओं की अधिक संख्या आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे राष्ट्रीय आय में कमी आती है एवं आर्थिक विकास भी अवरूद्ध होता है। जनपद का लिंगानुपात निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है -

तालिका क्रमांक-3

जनगणना वर्ष	लिंगानुपात
1901	864
1911	833
1921	818
1931	830
1941	848
1951	847
1961	842

1971	829
1981	828
1991	832
2001	852

जिला सांख्यिकी कार्यालय समार्जिक समीक्षा पृ0सं0 4 वर्ष 2004

1901 से 2001 तक के दशकों में आगरा जनपद का लिंगानुपात क्रमशः 864, 833, 818, 830, 848, 847, 842, 829, 828, 832 तथा 852 है। आगरा में सन् 1901 के बाद 1921 के दशक तक स्त्रियों का अनुपात गिरा है परन्तु 1931 व 1941 के दशकों में यह बढ़ा है। 1951 से 1981 की अवधि में यह निरन्तर गिरा है। तदोपरान्त दो दशकों में इसमें वृध्दि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात 1901 में (864) था तथा सबसे कम 1921 में (818) था।

उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 1991 में 876 था जो बढ़कर 2001 में 898 हो गया जो स्वस्थ प्रवृत्ति का द्योतक है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक अच्छी स्थिति आजमगढ़ (प्रथम), जौनपुर (द्वितीय), देवरिया (तृतीय) तथा मऊ (चतुर्थ) जनपदों की है। वहीं सबसे खराब स्थिति शाहजहांपुर की है जिसमें आगरा का स्थान 1991 में 61वॉ तथा 2001 में 60वॉ स्थान है। आगरा के अन्तर्गत एक दशक में लिंगानुपात में जो परिवर्तन हुआ है वह अच्छा संकेत है फिर भी अन्य जनपदों के सापेक्ष इसकी स्थिति असन्तोषजनक है। लिंगानुपात में सुधार हेतु स्त्री-वर्ग का सम्मान, दहेज प्रथा में कमी, पारिवारिक सुरक्षा की भावना, स्त्री-मृत्युदर पर प्रभावी नियन्त्रण व कमी करना, विलम्ब विवाह तथा प्रसव काल की दशाओं में सकारात्मक कदम उठाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

4. जनपद उत्तर प्रदेश एवं भारत के वर्ष 1991 के साक्षरता मदों के आंकड़े

तालिका क्रमांक-4

साक्षरता

क्रमांक	मद	आगरा	उत्तर प्रदेश	भारत
1	साक्षरता प्रतिशत			
	(क) कुल व्यक्ति	48.6%	40.71%	52.21%
	पुरूष	63.1%	54.82%	64.13%
	स्त्री	30.8%	24.37%	39.29%
	(ख) ग्रामीण व्यक्ति	40.7%	35.82%	44.69%
	पुरूष	59.1%	51.16%	57.87%
	स्त्री	17.6%	18.13%	30.62%
	(ग) नगरीय व्यक्ति	59.8%	60.15%	73.08%
	पुरूष	69.0%	69.26%	81.09%
	स्त्री	48.9%	49.44%	64.05%

सांख्यिकीय पत्रिका 2004

आगरा की कुल जनसंख्या में 1991 में 48.58 प्रति0 तथा 2001 में 64.97 प्रति0 व्यक्ति साक्षर हैं। पुरुषों की साक्षरता 1991 में 63.09 प्रति0 थी जो बढ़कर वर्ष 2001 में 79.32 प्रति0 हो गयी। स्त्रियों की साक्षरता 1991 में 30.83 प्रति0 थी जो सुधर कर 2001 में 48.15 प्रति0 के स्तर पर पहुंच गयी। इस प्रकार पुरुष जनसंख्या का पांचवां भाग तथा स्त्रियों में आधे से अधिक निरक्षर हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता 2001 के अनुसार कानपुर में (77.63 प्रति0) है दूसरा व तीसरा

स्थान क्रमशः औरैया(71.50) तथा गाजियाबाद (70.89 प्रति0) का है। आगरा जनपद का साक्षरता में 16वॉं स्थान है।

5. आयु वर्गानुसार जनसंख्या

तालिका क्रमांक-5

आयुवर्गानुसार जनगणना-1991

आयू समूह		0-14	15-59	60 से ऊपर	योग
कुल	पुरूष	588314	816850	87353	1501927
	स्त्री	516460	662045	66868	1249094
	योग	1104774 (40.16)	1478895 (53.76)	15422 (5.6)	2751021
ग्रामीण	पुरूष	372569	463877	5848	903464
	स्त्री	314446	375115	42920	736471
	योग	687015 (41.89)	838992 (51.16)	101368 (6.18)	1639935
शहरी	पुरूष	217745	352973	28905	598463
	स्त्री	200514	286930	23949	512623
	योग	418259 (37.64)	639903 (57.59)	52854 (4.75)	1111086

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 0-14 वर्ष के आयुवर्ग में कुल जनसंख्या 1105774 थी जो कुल जनसंख्या की 40.19 प्रति0 थी। 14 वर्ष से कम आयु की कुल जनसंख्या में 53.38 प्रति0 बालक तथा 46.62 प्रति0 बालिकाएं थी। आयुवर्ग 15-59 के बीच कुल जनसंख्या 1478895 थी जो जनपद की कुल जनसंख्या का 53.76 प्रति0 थी। इस आयुवर्ग में पुरुष 55.23 प्रति0 तथा स्त्रियॉ 44.77 प्रति0 थीं और 5.61 प्रति0 भाग 60 वर्ष से ऊपर की आयुवर्ग का है। संक्षेप में कुल जनसंख्या का केवल 57.76 प्रति0 ही कार्यशील आयुवर्ग या उत्पादक वर्ग में आता है।

स्थूल रूप में जनता को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

उत्पादक उपभोक्ता और अनुत्पादक उपभोक्ता, उत्पादक शब्द प्रयोग जनसंख्या के उस भाग से है जो जनपद की आय में योगदान करता है। दूसरे शब्दों में इससे जनपद की श्रमशक्ति का बोध होता है। अनुत्पादक उपभोक्ता वर्ग में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो अपने पालन-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हैं अर्थात् बच्चे-बूढ़े एवं ऐसी स्त्रियॉ जो केवल घरेलू कार्य करती हैं। बेरोजगार व्यक्ति आदि। आगरा की कुल जनसंख्या में 45-80 प्रति0 भाग अनुत्पादक वर्ग में शामिल है।

6. ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

प्रायः भू-भाग उपयोग और जनसंख्या के आर्थिक क्रिया-कलापों के आधार पर हम ग्रामीण एवं नगरीय परिभाषा देते हैं। ग्रामीण बस्तियों को तो प्राथमिक, क्रिया-कलापों जैसे कृषि, पशुपालन, आखेट आदि की केन्द्र होती हैं जबकि नगरों में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ श्रेणी व्यवसायों जैसे निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य, उच्च सेवाओं द्वारा प्रशासन सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। केवल जनसंख्या

की अधिकता या सघनता के आधार पर किसी गाँव को नगर, बस्ती या कस्बा नहीं कहा जा सकता। नगरीय बस्तियों में व्यापक स्तर पर श्रम विभाजन, व्यवसायों का विशेषीकरण एवं उग्र सामाजिक विषमता पायी जाती है। अतःनगर क्षेत्र में सम्मिलित हैं

{क} ऐसे सभी स्थान जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, छावनी या अनुसूचित नगर क्षेत्र हैं।

{ख} सभी अन्य स्थान जो निम्नलिखित मानकों पर खरे उतरते हैं

(1) 5000 की निम्नतम जनसंख्या।

(2) पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75 प्रति0 गैर कृषि कार्यों में कार्यरत हो।

(3) कम से कम 400 प्रति वर्ग किमी0 का जनघनत्व हो।

उक्त परिभाषा के आधार पर 1991 की जनगणना के अनुसार आगरा की कुल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 16.40 लाख तथा नगरीय क्षेत्रों में 11.11 लाख व्यक्तियों के रूप में विभाजित हैं जो क्रमशः 59.61 प्रति0 तथा 40.49 प्रति0 है।

1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति की कुल जनसंख्या 5.08 लाख थी जो कुल जनसंख्या का 22.51 प्रति0 है। 1991 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 6.39 लाख हो गयी जो कुल जनसंख्या का 23.22 प्रतिशत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह 7.89 लाख हो गयी जो कुल जनसंख्या का 21.80 प्रति0 है।

7. प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या निम्न तालिका में प्रदर्शित की गयी है -

तालिका क्रमांक-6

क्रसं.	धर्म	जनसंख्या	
1	हिन्दू	3244492	89.61 प्रति0
2	मुस्लिम	323634	8.94 प्रति0
3	सिक्ख	11832	0.33 प्रति0
4	ईसाई	7225	0.20 प्रति0
5	बौद्ध	12737	0.35 प्रति0
6	जैन	18463	0.51 प्रति0
7	अन्य	2053	0.06 प्रति0
	कुल योग	3620436	100.00 प्रति0

आगरा की कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण काफी असन्तुलित ढंग से हुआ है। कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश कृषि एवं कृषि सवर्गीय क्षेत्रों में संलग्न है जो 1991 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या 7.70 लाख का 47.9 प्रति0 है। विनिर्माण व उद्योग क्षेत्र में कुल कर्मकारों का 14 प्रति0 तथा अन्य प्रकार के धन्धों में 38.1 प्रति0 संलग्न है। वास्तव में कृषि में जनसंख्या का भारी प्रतिशत में लगा होना हमारी दरिद्रता का द्योतक है और जनसंख्या का यह दोषपूर्ण वितरण जनपद के असन्तुलित विकास का मुख्य कारण है।

सहकारिता एवं बैंकिंग

समानता और लोकतान्त्रिक मूल्यों के आधार पर जब भिन्न व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर किसी आर्थिक हित की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो उसका स्वरूप सहकारी होता है। पिछड़े क्षेत्रों में जहॉ प्रदर्शन प्रभाव के कारण उपभोग का स्तर अवांछनीय ढंग से ऊपर उठने लगता है तो सहकारिता द्वारा बचत को प्रोत्साहन पूॅजी निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है। सहकारी आंदोलन में साख समितियां और सहकारी बैंकों की भूमि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

भारत में सहकारी साख आन्दोलन पिरामिड की तरह है जिसके आधार में ग्राम्य स्तर पर प्राथमिक साख समितियां, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है। संक्षेप में जनपद के अन्तर्गत सहकारी बैंकिंग का स्वरूप निम्नवत् है -

1. प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां

इन समितियों का निर्माण किसी गॉव या क्षेत्र के 10 या 10 से अधिक वयस्क लोगों द्वारा किया जा सकता है। इन समितियों की कार्यशील पूंजी अंश बेचकर, केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेकर प्रवेश शुल्क तथा सदस्यों की जमाओं आदि से प्राप्त होती है। समितियों को प्रायः अपनी सम्पूर्ण चालू पूंजी के दुगने से लेकर चार गुने तक उधार मिल जाता है। समितियों के अंशें का मूल्य सामान्यतया कम होता है जिससे निर्धन किसान भी इसके सदस्य बन सकें। समिति की असफलता या हानि की दशा में उसका दायित्व सभी सदस्यों का होगा और यह उनके अंशों तक ही सीमित नहीं होगा।

जनपद में 2001 से लेकर 2003-04 तक प्रारम्भिक कृषि समितियों द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की है। आगरा में 103 प्रारम्भिक कृषि साख समितियां हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 2003-04 में 300785 थी। इन समितियों की अंश पंजी में 2001-02 से 2003-04 तक निरन्तर वृद्धि हुई है और यह 49779 हजार रु0 से बढ़कर 59230 हजार रु0 हो गयी है। इसी प्रकार इन समितियों की कार्यशील पूंजी में निरन्तर वृद्धि हुई है। 2001-02 में कार्यशील पूंजी 465593 हजार रु0 थी। 2003-04 में बढ़कर यह 534257 रु0 हो गई। जनपद में एक ओर वर्ष 2003-04 के अनुसार विकास खण्ड फतेहाबाद में समिति एवं इनकी सदस्य संख्या (क्रमशः10 व 30405) सर्वाधिक है। वहीं दूसरी ओर विकास खण्ड खंदौली में स्थापित 8 समितियों की अंशपूंजी 7420 हजार रु0 सर्वाधिक है। किन्तु विकास खण्ड बिचपुरी में स्थापित 2 समितियों की जमाराशि 887 हजार रु0 सर्वाधिक है। समितियों की न्यूनतम संख्या 02 विकास खण्ड बिचपुरी में हैं समिति की अंशपूंजी में विकास खण्ड बाह तथा कार्यशील पूंजी विकास खण्ड पिनाहट तथा जमाराशि विकास खण्ड जगनेर न्यूनतम पर है।

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का कृषि क्षेत्र के विकास तथा ग्रामीण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारम्भिक समितियों को सुदृढ़ बनाने तथा ठीक समय पर पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में साख की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक राज्य के सहयोग से कमजोर सहकारी बैंकों को मजबूत करने तथा सहकारी विकास में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है।

2. सहकारी विपणन एवं संसाधन

2003-04 में सहकारी विपणन संरचना के अन्तर्गत जनपद में 4 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां 485 प्रारम्भिक समितियां तथा 67 प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी

समितियां हैं। सहकारी विपणन समितियों द्वारा किये गये क्रय-विक्रय से एक ओर उत्पादकों को अपनी वस्तु का उचित मूल्य मिला है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी अपेक्षाकृत कम मूल्य पर वस्तुएं सुगमता से प्राप्त हो रही हैं।

सहकारी विपणन एवं सदस्यों के सम्बन्ध में 2001-02 से 2003-04 तक प्रकाशित आंकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आये हैं-

i) क्रय-विक्रय सहकारी समितियां

इन समितियों में सदस्य संख्या वर्ष 2003-04 में 18851 तथा वर्ष 2003-04 में लेन-देन की गई वस्तुओं का मूल्य रु0 26368 हजार था। वर्ष 2002-03 में रु0 26074 हजार के उत्पादों का क्रय-विक्रय हुआ।

ii) संयुक्त कृषि समितियां

वर्ष 2003-04 में इन समितियों की कुल संख्या 27 थी जिसमें 446 सदस्य संलग्न थे। 2001-02 से 2003-04 की अवधि मे इन समितियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (959 हेक्टेयर) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जनपद के किसान सहकारी खेती का लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं उठा रहे हैं। यह आवश्यक है कि छोटे किसान अपनी जमीनों को एकत्र करके अपने भूखण्डों को एक इकाई के रूप में सम्मिलित करें और उससे प्राप्त आय को उसी अनुपात में बांटें।

iii) प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियां

वर्ष 2001-02 में जहां एक ओर प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या एवं सदस्य संख्या क्रमशः 59 एवं 262 थी जो बढ़कर 2003-04 में क्रमशः 67 एवं 1008 हो गयी।

दूसरी ओर 2002-03 में इन समितियों की कार्यशील पूंजी एवं विपणित उत्पादन का मूल्य क्रमशः 105 हजार रु0 एवं 107 हजार रु0 था।

बैंक

बैंकिंग संरचना में जनपद के अन्तर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के बैंक सम्मिलित हैं -

1 जिला सहकारी बैंक

वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अवधि में कुल 16 सहकारी बैंक जनपद में कार्यरत थे जिसमें सदस्यों की संख्या 2003-04 में 450 है। इन बैंकों की हिस्सा पूंजी 2001-02 में रु0 63893 हजार थी जो बढ़कर 2003-04 में रु0 68818 हजार हो गयी। कार्यशील पूंजी 2001-02 में रु0 943739 हजार थी जो 2003-04 में बढ़कर रु0 1075659 हजार हो गयी। जिला सहकारी बैंकों द्वारा 2003-04 में कुल रु0 301494 हजार का ऋण वितरित किया गया जो शत-प्रतिशत अल्पकालीन ऋण था। कुल वितरित ऋणों में से विकास खण्ड बरौली अहीर को रु0 41484 हजार एवं खंदौली विकास खण्ड को रु0 31417 हजार का ऋण वितरित किया गया जो अन्य विकास खण्डों केसापेक्ष सर्वाधिक था। सबसे कम ऋण वितरण 6891 हजार रु0 विकास खण्ड पिनाहट को किया गया।

जनपद में स्थापित 16 सहकारी बैंकों में से मात्र 5 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अतः यह आवश्यक है कि सहकारी बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जायें ताकि ग्रामीण साख में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सके।

2 सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

दीर्घकालीन साख की दशा में भूमि विकास बैंकों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बैंकों की कार्यशील पूंजी के प्रमुख स्रोत अंश आरक्षित कोष जनता से जमा तथा ऋणपत्र हैं। भूमि विकास बैंक किसानों की विभिन्न दीर्घकालीन आवश्यकताओं जैसे

कृषि-यन्त्रों के क्रय, ट्यूबवैल लगवाने, भूमि में स्थाई सुधार गोदाम बनवाने, पुराने ऋण की अदायगी आदि की पूर्ति के लिए ऋण देता है। इन ऋणों की अवधि 5-15 वर्षों तक होती है। ऋण भूमि को बन्धक रखकर दिया जाता है।

जनपद में सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों की 9 शाखाएं हैं जिनके सदस्यों की संख्या 2002-03 में 48279 थी जो 2003-04 में भी इतनी ही रही। 2002-03 में इन शाखाओं की अंश पूंजी एवं कार्यशील पूंजी क्रमशः रु0 74242 हजार तथा रु0 938007 हजार थी जो 2003-04 में बढ़कर क्रमशः रु0 74600 हजार एवं रु0 1024595 हजार हो गयी ।इन बैंक शाखाओं द्वारा 2002-03 में कुल रु0 210953 हजार का ऋण वितरित किया गया जबकि 2003-04 में इन बैंक शाखाओं द्वारा कुल रु0 206657 हजार का ऋण वितरित किया गया।

2003-04 के अनुसार जनपद में सर्वाधिक ऋण वितरण विकास खण्ड जगनेर (रु0 34536 हजार) में किया गया। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशःखेरागढ़

(रु0 23106 हजार) एवं खंदौली (रु0 18262 हजार) विकास खण्ड का रहा। न्यूनतम ऋण वितरण विकास खण्ड बरौली अहीर (रु0 5427 हजार) में किया गया। संभवतःग्रामीण साख में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताएं जनपद की भौगोलिक विषमताओं का परिणाम हैं।

1 व्यावसायिक बैंक

जनपद में व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं निम्नवत् हैं -

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है वर्ष 1998-99 के अनुसार जनपद में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखायें 220 थीं। वर्ष 1999-2000 में इन शाखाओं में वृद्धि हुई। व्यावसायिक बैंक की शाखायें 247 हो गईं। जिसमें 199 राष्ट्रीयकृत शाखायें, 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 5 गैरराष्ट्रीयकृत बैंक थीं।

वर्ष 2000-2001 में इन शाखाओं में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2002-03 के अनुसार जनपद में कुल व्यावसायिक बैंकों की शाखाएं 249 थीं जिनमें 185 राष्ट्रीयकृत शाखाएं 39 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 25 गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएं थीं। वर्ष 2003-04 में इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

वर्ष 2002-03 के अनुसार समस्त प्रकार के बैंकों द्वारा कुल रु0 14529962 हजार का ऋण वितरित किया गया जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 96.48 प्रति0 था। यद्यपि 2003-04 में भी इन बैंकों का सापेक्ष स्थिति (97.35 प्रति0) लगभग समान रही तथापि मात्रात्मक वृद्धि अवश्य अंकित की गयी क्योंकि 2003-04 में बैंकों द्वारा कुल ऋण वितरण रु0 19184551 हजार का किया गया। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2003-04 में प्राथमिक क्षेत्रों(कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य, लघु उद्योग एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्र) हेतु कुल रु0 12797100

आगरा जनपद में व्यावसायिक बैकों की शाखायें

क्र. सं.	बैंक शाखाओं का स्वरूप	1998–1999			1999–2000			2000–2001			2001–2002			2002–2003			2003–2004		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा	–	–	172	76	123	199	76	123	199	76	123	199	60	125	185	60	125	185
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा	–	–	43	36	07	43	36	07	43	36	07	43	32	7	39	32	7	39
3.	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें	–	–	05	–	05	05	–	05	05	–	05	05	24	1	25	24	1	25
4.	व्यावसायिक बैंकों का योग	–	–	220	–	–	247	–	–	247	–	–	247	–	–	249	–	–	249

सामाजार्थिक समीक्षा 1998 से 2004 तक

हजार का ऋण वितरित किया गया जो वाणिज्यिक बैकों द्वारा वितरित किया गया। कुल ऋणों का 68.52 प्रति0 था। इन बैंकों द्वारा ये ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वितरित किये गये। कुल ऋण का 34.96 प्रति0 कृषि एवं कृषि सम्बन्धी सवर्गीय सेवाओं पर, 28.76 प्रति0 लघु उद्योगों के विकास हेतु, तथा 36.28 प्रति0 अन्य प्राथमिक कार्यों हेतु दिये गये। इसी वर्ष वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल रु0 18676400 हजार का ऋण वितरित किया गया जिसमें 23.96 प्रति0 कृषि के विकास, 19.70 प्रति0 लघु उद्योगों के विकास, 24.86 प्रति0 अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों हेतु दिया गया। शेष 31.48 प्रति0 ऋण अन्य व्यावसायिक कार्यों हेतु दिया गया।

2003-04 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल रु0 18676400 हजार का ऋण प्रदान किया गया जो कुल ऋणें का 97.35 प्रति0 था। इस वर्ष वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कुल रु0 1297100 हजार का ऋण वितरित किया गया जो कुल ऋणों का 60.52 प्रति0 था। 2002-2003 की तुलना में 2003-2004 में लघु उद्योगों को प्रदान किये जाने वाले ऋणों में मात्रात्मक वृद्धि अंकित की गई और यह रु0 268400 हजार से बढ़कर रु0 3679500 हजार हो गया है।

खनिज सम्पदा एवं प्राकृतिक वनस्पति

कंकड़, चिकनी मिट्टी एवं बलुआ पत्थर इस जनपद की प्रमुख खनिज हैं। कंकड़ पूरे जनपद में मिलता है। भारी कंकड़ जोकि दांत के नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से बाह तहसील में चम्बल के खड्डों के सहारे मिलता है। कंकड़ को जलाकर चूना बनाया जाता है। छोटे कंकड़ जिसे स्थानीय भाषा में 'बिछुआ' कहा जाता है सर्वत्र मिलता है। ईट, खिलौने तथा बर्तन आदि बनाने की चिकनी मिट्टी जनपद में प्रायःसभी जगह आसानी से मिल जाती है। सफेद भैंस के चमड़े के रंग का गुलाबी, लाल तथा भूरा चितकबरे रंग का बलुई पत्थर तहसील किरावली में तथा खेरागढ़ तहसील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मिलते हैं। चम्बल तथा यमुना नदी में बालू मिलती है।

जनपद की वनस्पति शुष्क पतझड़ी प्रकार की है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से जनपद को तीन भागों में विभाजित किया गया है -

अ. नदी खड्डों की वनस्पति

ब. यमुना तथा चम्बल के दुआब की वनस्पति

स. तहसील खेरागढ़ की शुष्क भागों की वनस्पति

नदी के खड्डों पर भी शुष्क प्रदेश की वनस्पति जैसे करील, झोकर, हीस, पीलू, खजूर, अरूण, हिंगोरा, करौंदा, चापर, कैसर, मकोह, झरबेर तथा बेर व बबूल आदि मिलती है। इसके अलावा अनेक प्रकार की घासें, मूंज, दूब, सरकण्डा, अंजुना तथा जारगू आदि नदी खड्डों पर पर्याप्त रूप से यमुना चम्बल दुआब क्षेत्र में सघन कृषि क्षेत्र है जिनमें खड्डों तथा शुष्क भाग की वरस्पति नहीं मिलती है। जनपद में सामान्यतः अमलतास, आम, खिरनी, बरगद, पीपल, जामुन, नीम, शीशम आदि वृक्ष

प्रायःसभी जगह पाये जाते हैं। खेरागढ़ तहसीलों का दक्षिणी भाग अधिकांशत रेगिस्तानी है। उपरोक्त तीनों ही वनस्पति क्षेत्रों में बबूल, नीम, शीशम के पेड़ लगाये गये हैं।

भूमि उपयोग

जनपद का शुष्क प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 1991 से 1995 के आंकड़ों के अनुसार 399016 हेटेयर है जिसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 284838 हेक्टेयर तथा वर्तमान परती भूमि 14618 हेक्टेयर है। इस प्रकार कृषि कार्यो के लिए 299456 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जाती है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का मात्र 15 प्रति0 है। जनपद के अन्दर पुरानी परती भूमि 10027 हेक्टेयर है। वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 34479 हेक्टेयर है, उद्योगों तथा बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1363 हैक्टेयर तथाा चरागाह के अन्तर्गत 1150 हेक्टेयर है। इस प्रकार जनपद में अन्य कृषि योग्य भूमि जिस पर कृषि की जा सकती है 53412 हेक्टेयर है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 13.4 प्रति0 है। ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि के अन्तर्गत अन्य कार्यों जैसे रेल, सड़क, मकान, कब्रिस्तान आदि के लिये किया जाता है वह 34033 हेक्टेयर है तथा ऊसर एवं कृषि योग्य भूमि 12115 हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल कृषि योग्य भूमि 46148 हेक्टेयर है जो कुल प्रतिवेदित भाग का 11.6 प्रति0 है।

1. सिंह एस.पी. योजना आयोग{आगरा जनपद} पृष्ठ संख्या 10 एवं 11

2. सांख्यिकी पत्रिका{आगरा जनपद} पृष्ठ संख्या 49

सड़क परिवहन एवं संचार

प्रागैतिहासिक सभ्यता के केन्द्र आगरा के बावत जो कुछ तथ्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं उनके मुताबिक आगरा शूरसेन महाजनपद का अंग था। महाजनपद काल में मथुरा ऐसा स्थान था जहां से दो प्रमुख केन्द्रों के लिए मार्ग पृथक हुए। एक उज्जयनी होते हुए भारत के पश्चिमी तट के बन्दरगाहों तक तथा दूसरा मार्ग पाटलिपुत्र{पटना-बिहार} को जोडता था। दोनों ही दिशाओं में जाने के लिए आगरा जनपद ही मुख्य केन्द्र था और आज भी है। यह भी स्पष्ट है कि दक्षिण-पूर्व दिशा के अलावा पश्चिमी भारत को जोड़ने वाले मार्ग भी आगरा से होकर गुजरते हैं।

सड़कें

सड़क परिवहन में भी अन्य सभी साधनों का आधार-स्तम्भ है तथा रेल, जहाज एवं विमान का पूरक है। सड़क परिवहन की किस्म एवं क्षमता, सेवा का व्यापक क्षेत्र माल की सुरक्षा, समय की बचत और बहुमुखी एवं सस्ती सेवा सड़क परिवहन का सर्वोत्तम गुण है। जनपद आगरा का सड़क परिवहन/यातायात का वस्तु के विपणन में अत्याधिक महत्व है। समुचित परिवहन व्यवस्था वस्तुओं के स्वतन्त्र आवागमन को सरल बना देती है। परिवहन व्यवस्था विकसित होने से केवल उत्पादक को अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। बल्कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के स्वतः सामंजस्य द्वारा व्यापारिक उच्चावचनों को रोकने में सहायता मिलती है। अविकसित परिवहन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में कृषक अपना उत्पाद गॉव में ही बेचने पर बाध्य हो जाते हैं। यह हर हाल में बरसात से पूर्व बेच देते है चाहे वस्तु का मूल्य उचित मिले अथवा नहीं।

प्रदेश एवं जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए विकसित परिवहन सुविधाओं का महत्व बहुत अधिक होता है। आगरा जनपद के लिए सड़कों का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि पदार्थों के विपणन से सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगरा जनपद की सीमाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 149 किमी0 है। प्रादेशिक राजमार्गों की लम्बाई 92 किमी0 मुख्य जिला सड़कों की लम्बाई 216 किमी0 तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 1021 किमी0 है। आगरा का सड़क परिवहन दृष्टि प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है। यह जनपद भारत के प्रमुख्य नगर दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई से जुड़ा हुआ है।

वर्तमान में जनपद से होकर चार राष्ट्रीय राजमार्ग जाते है -

क. राष्ट्रीय राजमार्ग-द्वितीय-2

यह मार्ग दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी होकर कलकत्ता तक जाता है। यह मार्ग जनपद में 177.00 किमी0 रैपुराजाट गॉव से प्रारम्भ होकर 218.00 किमी0 एत्मादपुर रेलवे ओवरब्रिज तक है।

ख. राष्ट्रीय राजमार्ग-तृतीय-3

यह मार्ग दिल्ली से प्रारम्भ होकर मथुरा-आगरा-ग्वालियर होता हुआ मुम्बई तक जाता है। जनपद में यह मार्ग अशोका होटल{मेहर सिनेमा} 2.00 किमी0 से प्रारम्भ होकर 31.886 किमी0 धौलपुर{राजस्थान} तक है।

ग. राष्ट्रीय राजमार्ग-11

यह मार्ग जनपद से प्रारम्भ होकर भरतपुर, जयपुर तथा बीकानेर तक जाता है। जनपद में यह मार्ग आगरा कलैक्ट्रेट तिराहे 0.165 किमी0 से प्रारम्भ होकर 42.525 किमी0 भरतपुर{राजस्थान} की सीमा तक है।

घ. **राष्ट्रीय राजमार्ग-93**

यह मार्ग आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग जनपद में रामबाग चौराहे 0.00 से आरम्भ होकर 14.7000 किमी0 हाथरस जनपद की सीमा पर समाप्त होता है।

1. **प्रादेशिक राजमार्ग** - जनपद में दो प्रान्तीय राजमार्ग निम्न हैं -

क. **चन्दौसी आगरा-तांतपुर-कोटा मार्ग-39**

यह मार्ग आगरा से प्रारम्भ होकर तांतपुर होता हुआ कोटा{राज0} तक जाता है। जनपद में इस मार्ग की लम्बाई 77.43 किमी0 है।

ख. **आगरा-बाह कचौरा घाट मार्ग-62**

यह मार्ग आगरा से प्रारम्भ होकर बाह-कचौराघाट तक जाता है। जनपद में यह मार्ग 3.710 किमी0 से प्रारम्भ होकर 74.600 किमी0 जनपद की सीमा तक है।

2. **प्रमुख जिला सड़कें** - जनपद में 5 प्रमुख सड़कें निम्न है -

i- **एम.डी.आर.-127** - यह मार्ग किरावली-कागारौल-खेरागढ़ होता हुआ सैयां तक{किरावली/कागारौल} जाता है। इस मार्ग की लम्बाई कुल 36. 671 किमी0 है। इस मार्ग को खेरागढ़-सैयां मार्ग कहते हैं।

ii- **एम.डी.आर.-130** -यह मार्ग सैयां से प्रारम्भ होकर इरादतनगर-शमसाबाद होता हुआ फतेहाबाद तक{सैयां एवं इरादतनगर} जाता है। इसे शमसाबाद-फतेहाबाद मार्ग कहते हैं।

iii- **एम.डी.आर.-113-** यह मार्ग बाह से प्रारम्भ होकर शमसाबाद होता हुआ राजाखेड़ा तक जाता है। इस मार्ग की लम्बाई 25.530 किमी0 है। यह आगरा-शमसाबाद मार्ग कहा जाता है।

iv- **एम.डी.आर.-138** - यह मार्ग बाह से प्रारम्भ होकर ऊदी तक जाता है। इस मार्ग की लम्बाई 15.400 किमी0 है।

v- **एम.डी.आर.-77** - यह शिकोहाबाद से प्रारम्भ होकर बाह तक जाता है। इस मार्ग की लम्बाई 10.200 किमी0 है।

अन्य जिले तथा ग्रामीण सड़कें

यह सड़कें विभिन्न गॉवों को एकसूत्र में बांधती हैं। इनका सम्बन्ध निकटवर्ती जिले और राज्यों की सड़कों से भी है। जनपद में इनकी कुल लम्बाई 1802 किमी0 है।

सड़कों की लम्बाई

वर्ष 2002-03 के अनुसार जनपद की कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 3295 किमी0 है जिसमें 2205 किमी0 पक्की सड़कें लोक निर्माण विभाग एवं 1090 किमी पक्की सड़कें स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन हैं। लोक निर्माण के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 128 किमी0, प्रादेशिक राजमार्ग 148 किमी0, मुख्य जिला सड़कें 127 किमी0 तथा अन्य जिला तथा ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 1802 किमी0 है। स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कुल सड़कों में जिला पंचायत द्वारा 56 किमी0 तथा नगर निगम/नगर पालिका परिषद नगर पंचायत/कैण्ट द्वारा निर्मित पक्की सड़कों की लम्बाई 1034 किमी0 है।

रेलमार्ग

जनपद आगरा रेलमार्ग के प्रमुख स्थानों से जुड़ा है। जनपद आगरा नई दिल्ली, मुम्बई रेलमार्ग पर दिली से 196 किमी0 की दूरी पर स्थित है। जनपद में

मध्यरेलवे, पश्चम रेलवे, उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे लाइन गुजरती है। जनपद में कुल 29 रेलवे स्टेशन हैं जिनमें से 12 नगरीय तथा 17 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।

संचार व्यवस्था

जनसाधारण को सस्ती एवं सुगम सन्देशवाहन सेवा उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम के प्रभावों के क्रियान्वयन में संचार व्यवस्था के अन्तर्गत डाकघरों तथा टेलीफोन का महत्वपूर्ण योगदान है।

आधुनिक विपणन में समुन्नत संचार व्यवस्था का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि प्रदेश व देश की समितियों में समस्त वस्तुओं के भावों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होता रहता है जिसकी जानकारी उत्पादकों तक उसके व्यापार से जुड़े समस्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं को होना अत्यावश्यक है। आगरा जनपद में वर्ष 2003-04 के अनुसार 353 डाकघर हैं जिनमें से 93 नगरीय क्षेत्र में एवं 260 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं जो वर्ष 2001 की जनसंख्या{3620436} के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या 9.75 है। जनपद में 23 तारघर हैं। वर्ष 2003-04 में 48642 टेलीफोन तथा 4739 पी.सी.ओ. कार्यरत हैं।

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि आगरा जिले में पक्की एवं कच्ची सड़कें पंजीकृत वाहन चलाये जाते हैं । इन वाहनों में मुख्य रूप से बस, मिनी बस, कार, जीप, टैक्सी, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, मैटाडोर व अन्य वाहन सवारियों के साधन होते हैं। इसमें यात्रा के सरकारी एवं निजी वाहन भी शामिल हैं।

जिला सांख्यकीय द्वारा 2000-01 से प्रारम्भ किये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000-01 में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 285822 थी। जिसमें से 1396 बस, 286 मिनी बस, 20487 कार/जीप/टैक्सी एवं 226669 स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड

एवं 9696 तिपहिया/आटो/टैम्पो, 21042 ट्रैक्टर, 2240 मैटाडोर, 2705 ट्रक/माल परिवहन एवं 1321 अन्य वाहन पंजीकृत थे।

तालिका क्रमांक - 9

क्र.सं.	वाहन	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	बस	1396	1400	958	89	37
2.	मिनी बस	286	480	345	79	50
3.	कार/जीप/ टैक्सी	20487	23046	23584	3842	4451
4.	स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड	226669	245664	267272	28882	31576
5.	तिपैया/ऑटा/टैंम्पो	9676	10512	8541	975	893
6.	टैक्टर	21042	22007	23017	1227	1553
7.	मैटाडोर	2240	2235	2316	149	226
8.	ट्रक/माल परिवहन	2705	2567	2480	228	598
9.	अन्य वाहन	1321	1329	368	323	16
10.	योग	285822	309240	328881	35794	39401

सांख्यिकीय पत्रिका 2002, 2003, 2004 सामाजार्थिक समीक्षा-2004 पृ. 32

वर्ष 2002-03 में पंजीकृत वाहनों की संख्या 309240 थी। जिसमें 958 बस, 345 मिनी बस, 23584 कार/जीप/टैक्सी एवं 267272 स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड एवं

8541 तिपहिया/आटो/टैम्पो, 23017 ट्रैक्टर, 2316 मैटाडोर, 2480 ट्रक/माल परिवहन एवं 6368 अन्य वाहन पंजीकृत थे।

वर्ष 2003-04 में पंजीकृत वाहनों की संख्या 35794 थी। जिसमें 89 बस, 79 मिनी बस, 3842 कार/जीप/टैक्सी एवं 28882 स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड एवं 975 तिपहिया/आटो/टैम्पो, 1227 ट्रैक्टर, 199 मैटाडोर, 228 ट्रक/माल परिवहन एवं 323 अन्य वाहन पंजीकृत थे।

वर्ष 2004-05 में पंजीकृत वाहनों की संख्या 39401 थी। जिसमें 37 बस, 50 मिनी बस, 4451 कार/जीप/टैक्सी एवं 31576 स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड एवं 893 तिपहिया/आटो/टैम्पो, 1554 ट्रैक्टर, 226 मैटाडोर, 598 ट्रक/माल परिवहन एवं 16 अन्य वाहन पंजीकृत थे।

ऊर्जा

ऊर्जा एक शक्ति है, जिसका सम्बन्ध कार्यक्षमता से है। समस्त जीव अपने शरीर द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं। जो मुख्य रूप से वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं। वनस्पतियों में यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। और मूलतः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से संग्रहीत होती है। मनुष्य द्वारा अपनी सुख-सुविधा के लिए बनाये गये उपकरण तथा मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोत लकड़ी, कोयला, प्रकृति तेल तथा गैस बिजली इत्यादि है।

विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपयोग-

विद्युत ऊर्जा न केवल उत्पादक गतिविधियों के लिए आवश्यक है बल्कि सिंचाई हेतु भी विद्युत खेती का अभिन्न अंग है। जैसे-जैसे कोई क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर होता है। वैसे-वैसे इसकी मांग और उपभोग भी बढ़ता जाता है। जनपद के गरीबी रेखा के नीचे के लोगों में अभी भी वाणिज्यिक ऊर्जा खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यह लोग ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्त्रोतों यथा गोबर व लकड़ी को जलाकर काम चलाते हैं। इस प्रकार जनपद का धनी वर्ग न केवल निर्धन लोगों की तुलना में ऊर्जा का कई गुना ज्यादा खपत करता है, बल्कि वह वाणिज्यिक ऊर्जा का मूल उपभोग भी है। यद्यपि जनपद के अन्तर्गत विद्युत संचारण और वितरण क्षेत्र के अन्तर्क्षेत्रीय विषमताऐं अभी भी विद्यमान हैं, तथापि अधिकतम वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु विद्युत मांग की तुलना में पूर्ति में घाटा बना हुआ है। संभवतः यह मांग पूर्ति में अन्तर कोई स्थानीय विद्युत उत्पादन केन्द्र न होने के कारण है।

जनपद में विभिन्न कार्यों में विद्युत उपभोग (हजार कि0 वाट घंटा)

क्र.सं.	मद	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	229670	384424	-	-	281240	330393	376960	477910	563750	581805
2	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	148920	110132	-	-	90380	157708	189200	227180	219690	309120
3	औद्योगिक विद्युत शक्ति	146810	80058	-	-	141430	151824	163280	186960	181330	137444
4	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	9791	3076	-	-	19680	35001	32820	31330	28370	16199
5	रेल टैक्शन	41440	43197	-	-	37167	44634	46092	52980	53420	57180
6	कृषि विद्युत शक्ति	198105	243788	-	-	279871	278650	283230	258440	307950	180176
7	सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह उर्द्धन व्यवस्था	23162	9827	-	-	16266	25474	27500	38660	36080	33894

सिंचाई

कृषि उत्पादकता जल पर निर्भर है। यह वर्षा अथवा कृत्रिम सिंचाई से प्राप्त किया जाता है। चावक और गन्ना आदि ऐसी कुछ खाद्य और व्यापारिक फसलें हैं। जिन्हें प्रचुर नियमित रूप से जल मिलना आवश्यक है। चूंकि अधिक कृषि उत्पादन हेतु केवल वर्षा पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई की पर्याप्त सुविधा जुटाने की आवश्यकता होती है।

विभिन्न साधनों द्वारा सिंचाई अधीन क्षेत्र (है0 में)

क्र सं.	साधन	1997–98	1998 –99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03
1.	नहरें	37075 (16.92)	36685 (16.26)	27668 (11.84)	25910 (11.02)	19323 (8.17)	22276 (9.48)
2.	नलकूप						
	क) राजकीय नलकूप	7277 (3.20)	7176 (3.18)	4846 (2.07)	4666 (1.19)	2265 (1.80)	4289 (1.82)
	ख)निजी नलकूप	168578 (76.93)	175835 (77.96)	195365 (83.62)	199557 (85.30)	208802 (88.33)	206694 (87.93)
3.	कुएँ	5252 (2.4)	3882 (1.72)	4955 (2.12)	3030 (1.29)	3296 (1.40)	1091 (.46)
4.	तालाब	196 (.007)	217 (.09)	75 (.032)	7 (.0029)	419 (.18)	651 (.28)
5.	अन्य	745 (0.34)	1739 (.77)	723 (.309)	490 (.20)	271 (.12)	62 (.026)
	योग	219123	225534	233632	233960	236376	235063

जिला सांख्यिकीय कार्यालय सामाजार्थिक समीक्षा 2001–02 पृ.14, 2002–03, 2003–04, 2004–05 पृ. 16

आगरा में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन निजी नलकूप है। निजी नलकूपों द्वारा 1997–98 में कुल 168578 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 76.93 प्रतिशत था। वर्ष 1998 से 2001 तक लगातार इसमें वृद्धि हुई। वर्ष 2001–2002 में 28802 हे0 भूमि पर सिंचाई की गयी जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 88.33 प्रतिशत था। नलकूपों द्वारा 2002–03 में कुल 206694 हे0 भूमि पर सिंचाई की गई जो शुद्ध सिंचित भूमि क्षेत्र का 87.93 प्रतिशत है।

नहरें दूसरा सिंचाई का प्रधान स्रोत है। नहरों द्वारा 1997–98 में 37075 हे0 भूमि सिंचित की गई जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 16.92 प्रतिशत थी। वर्ष 1998 से 2001 तक लगातार इसमें कमी हुयी वर्ष 2001–2002 में कुल 19323 हे0 भूमि पर सिंचाई की गयी जो शुद्ध सिचिंत क्षेत्र का 8.17 प्रतिशत था। नहरों द्वारा 2002–03 में मात्र 9.48 प्रतिशत रह गया। आगरा में चार प्रशासनिक खण्डों की नहरें विद्यमान हैं। जिनकी कुल लम्बाई 737 किमी है । जनपद की धरातलीय संरचना विषम होने के कारण नहरें अधिक उपयोगी नहीं है।

कुएं एवं तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र 1997–98 में क्रमशः 5252 हे0 तथा 196 हे0 था जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का क्रमशः (2.4) प्रतिशत तथा (.007) प्रतिशत था। वर्श 1998 से 2001 तक इसमें कमीं हुई वर्ष 2001–2002 में कुंए एवं तालाबों द्वारा सिचित क्षेत्र 3296 हे0 तथा 419 हे0 था। जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का क्रमशः 1.40 प्रतिशत तथा .16 प्रतिशत था। सिंचाई के स्त्रोतों में तालाबों का महत्व पिछले साल की तुलना में काफी गिर गया है। जनपद में पक्के कुओं की संख्या 1749 है।

वर्ष 2002–03 में कुंए एवं तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र 1091 हे0 तथा 651 हे0 था जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का क्रमशः .46 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत हो गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र एवं सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन नहरें नलकूप कुंए तालाब अन्य साधनों से सिंचाई में कमी आती जा रही है। :

जनपद में विकास एव रोजगार कार्यक्रम

केन्द एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के उत्थान एवं असमानताओं को कम करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में चलाये गये विकास एवं रोजगार परक कार्यक्रमों । जैसे जवाहर रोजगार योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना इत्यादि) के क्रियान्वयन के फलस्वरूप एक ओर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के साधन नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके जीवन स्तर में निरन्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है।

सेवा योजन कार्यालय की उपलब्धियाँ

जनपद में सेवा योजन कार्यालयों द्वारा किये गये कार्य

क्र सं.	मद	1998—99	99—2000	2000—01	2001—02	2002—03	2003— 04
1.	सेवायोजन कार्यालय की संख्या	2	2	2	2	2	2
2.	जीवित पंजिका पर अभ्यार्थियों की संख्या	71730	74765	64271	61426	54183	49324
3.	वर्ष में पंजीकृत अभ्यार्थियों की संख्या	15541	18400	10363	13420	7919	12077
4.	सूचित रिक्तियों की संख्या	435	648	437	424	313	531
5.	वर्ष में कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या	122	190	117	97	120	139

साख्यिकी पुस्तिका जिला सांख्यिकीय कार्यालय, 2003—04, पृ. 35, 2001—02, पृ. 31

संदर्भ

1. आगरा जनपद का राजनैतिक इतिहास–' चिन्तामणि शुक्ल, पृ. 13, 30, 31
2. वही, ''   '' , आगरा गजेटियर, 1905, पृ. 28
3. वही, ''   '' ,   ''   पृ. 138, 142
4. जिला सांख्यिकी कार्यालय, आगरा
5. साख्यिकी पत्रिका, आगरा मण्डल, 1990, कार्यालय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या, प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, आगरा
6. वही, पृ. 38, 40
7. आर. एस. त्रिपाठी, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, पृ. 31
8. वही, पृ. 45, 50, 51
9. जिला सांख्यिकी पत्रिका–2004,अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, 1995 से 2004 तक
10. डॉ. मामोरिया, डॉ. जैन–भारत का आर्थिक विकास, 1986, साहित्य भवन, आगरा पृ. 233
11. जिला सांख्यिकी पत्रिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय 2003–04, पृ. 31
12. आगरा जनपद का राजनैतिक इतिहास, प्रो. चिन्तामणि शुक्ल, पृ. 51
13. वही, पृ. 138, 142
14. जमुना ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट
15. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, वार्षिक प्रतिवेदन 1995 से 2005 तक

अध्याय - द्वितीय

शोध अभिकल्पना एवं प्रक्रिया

शोध अभिकल्प एवं प्रकिया

1. शोध अध्ययन के उद्देश्य

ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक युग में नये तथ्य नये विचार आविष्कृत हुए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में असीम और आश्चर्यजनक प्रगति एवं नवीन तकनीकी यन्त्रों के विकास के फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्र में भी एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है जहॉ वैज्ञानिक सिद्धान्तों को चुनौतियॉ दी जा रही हैं और इनकी शाश्वतता खण्डित होती नजर आ रही है। वहॉ सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सिद्धान्तों, सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं में गहन परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन मात्र ही नहीं है इसे एक विद्वान लेखक ने युगकारी क्रान्ति की संज्ञा दी है। अनुसन्धान का प्रयोजन वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों की खोज है। एकत्र तथ्यों की विश्वसनीयता, वैषयिकता एवं तार्किकता की जांच के लिए वैज्ञानिक प्रणाली को विकसित किया गया है जहॉ यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक अनुसंधान ज्यादा सामग्री प्रदान करता है। वह संगतपूर्ण एवं पक्षपात रहित होगी। परन्तु वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणालियों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के वैषयिक तर्कपूर्ण एवं निर्भर योग्य होने में हम विश्वास प्रकट कर सकते हैं।

प्रत्येक अनुसंधान किसी प्रश्न या समस्या को लेकर प्रारम्भ किया जाता है। क्यों?, कब?, क्या?, कैसे?, और कौन शब्दों को यदि हम अनुसंधान के प्राण कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि शोधकार्य में इतना महत्व अपरिहार्य है कि ये विकट परिस्थिति में भी हमारे लिए सहायक है।

कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें सूचना एवं मूल्यों दोनों ही निहित होते हैं। ऐसी स्थिति में हम केवल सूचना पर ही उनके उत्तरों के लिए निर्भर नहीं रह सकते। आधुनिक अनुसंधान में ऐसी प्रणालियों का विकास किया जा रहा है जिसके द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान हो सके। प्रस्तुत शोध आगरा जनपद के आद्योगीकरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंक का विश्लेषणात्मक अध्ययन से संबंधित है।

शोध संरचना

शोधार्थी के शोध के उद्देश्य निम्नांकित हैं:-

प्रस्तुत अध्ययन में शोध कार्य हेतु निम्नलिखित उद्देश्य हैं

2 आगरा जनपद में औद्योगिक प्रगति का आधार ज्ञात करना

3 जनपद की औद्योगिक इकाईयों का पूर्ण इतिहास एवं प्रगति का अध्ययन करना

4 जनपद के उद्योगों का आकार एवं संरचना का अध्ययन करना

5 जनपद में कार्यरत विभिन्न उद्योगों की क्षमता एवं जीवन योग्यता ज्ञात करना

6 उद्योगों की वर्तमान पूंजी की स्थिति का अध्ययन करना

7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आगरा का प्रबन्ध एवं कार्य-पद्धति ज्ञात करना

8 यमुना ग्रामीण बैंक, आगरा की ऋण नीतियॉं एवं विविध योजनाएं ज्ञात करना

9 यमुना ग्रामीण बैंक की विविध योजनान्तर्गत ऋण तथा अग्रिम राशियों की उपयोगिता का अध्ययन करना

10 यमुना ग्रामीण बैंक द्वारा आगरा में औद्योगीकरण में योगदान ज्ञात करना

2 पूर्ववर्ती अध्ययनों का पुनरावलोकन

प्रस्तुत शोध अध्ययन के संबंध में पूर्ण में उद्योग एवं औद्योगीकरण से संबंधित जो भी शोध कार्य हुआ है एवं जो साहित्य उपलब्ध है उसका विवरण निम्नानुसार है :

श्री एफ.जे. राइट के मतानुसार, "उद्योग ऐसे अनुक्रमों या प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप होता है जिसके द्वारा अनिर्मित पदार्थों को विक्रय योग्य बनाया जाता है। इन प्रक्रियाओं में तीन प्रकार के कार्य प्रमुख हैं। किसी पदार्थ को प्राकृतिक अवस्था से निकालना उसका स्वरूप बदलकर वस्तुओं का निर्माण करना और फिर जिन लोगों को उसकी आवश्यकता हो उन तक पहुँचाने की व्यवस्था करना।"

सार्जेण्ट फ्लोरेन्स के मतानुसार, "सामान्य अर्थों के अनुसार उद्योग से आशय निर्माण से है तथा कृषि खनिज एवं अधिकांश सेवाऐं इसके अन्तर्गत हैं।"

जोन रॉबिन्स के अनुसार, "जब हम किसी उद्योग की बात करते हैं तो हमारा आशय उन फर्मों या व्यावसायिक संस्थाओं से होता है जो किसी विशेष प्रकार का उत्पादन कार्य करती हैं। जिनके कार्य विशेष उत्पादित वस्तुओं और उनके बनाने में लगी हुई सामिग्रियों पर निर्भर करते हैं।"

सर डेनिस राबर्टसन के अनुसार, "उद्योग एक लचीला शब्द है जिसके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत उन समस्त क्रियाओं को लिया जाता है जिनके द्वारा पृथ्वी में से वांछनीय पदार्थ निकाले जाते हैं। मनुष्य जिनको गढ़ता है, संवारता है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। समय उपयोगिता के लिए जिन्हें भण्डारगृह में रखा जाता है तथा मूल्य चुकाने वाले व्यक्ति के हाथ में सौंपा

जाता है लेकिन कभी-कभी यह सुविधाजनक होता है कि इस शब्द का प्रयोग कुछ सीमित अर्थों में किया जाय। इन अवस्थाओं में अपने तर्क तथा विश्लेषण का विकास केवल दूसरी अवस्था के सन्दर्भ में किया जाता है जो सामान्यत: निर्माण की अवस्था कहलाती है क्योंकि इसी अवस्था में आधुनिक व्यवस्था के विशेष लक्षण प्राय: सबसे अधिक स्पष्ट रूप में उभरते हैं"।

पी. कांग चांग के अनुसार, "औद्योगीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत उत्पादन कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिस्थितियों में कुछ आधारभूत परिवर्तन वे हैं जिनका संबंध किसी उपक्रम के यन्त्रीकरण से होता है तथा जिनके द्वारा किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी नये बाजार की खोज तथा किसी नये क्षेत्र का विकास होता है। इस प्रकार औद्योगीकरण वह साधन है जिससे पूंजी की मान्यता और विस्तार दोनों ही बढ़ते हैं"।

इस परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि औद्योगीकरण का क्षेत्र केवल निर्माता उद्योगों तक ही सीमित नहीं है वरन उत्पादन क्रियाओं के महत्वपूर्ण परिवर्तनों को भी इसमें शामिल किया जाता है। यह परिवर्तन भिन्न प्रकार के हो सकते हैं परन्तु उनमें उद्योगों का यन्त्रीकरण प्रमुख है। यन्त्रीकरण से नये उद्योगों का विकास होता है। उत्पादन में वृद्धि होती है। मूल्य में कमी आती है जिससे वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है और अन्तत: राष्ट्र में औद्योगिक विकास होता है। अन्य शब्दों में "औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश में पूंजी का गहन और व्यापक प्रयोग का प्रश्न है"। इसको स्पष्ट करते हुए **ए.एच. हेन्सन** ने लिखा है कि पूंजी का गहन उपयोग सही अर्थों में उत्पादन, उत्पादन से प्रति इकाई का पूंजी उत्पादन अनुपात को बनाये रखता है जबकि पूंजी की मापक प्रक्रिया से आशय अन्तिम उत्पादन तथा पूंजी निर्माण में सहवृद्धि से है।

यूजीन स्टेले के मतानुसार, "औद्योगीकरण का अर्थ फैक्ट्रियों, मिलों, कारखानों, शक्ति संयन्त्रों, रेलवे आदि निर्माण संबंधी तथा घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित क्रियाओं विशेषकर वे क्रियाएं जिनसे आधुनिक बाह्य आर्थिक संरचना का निर्माण व संचालन होता हो के महत्व में पूर्ण एवं संबंधित विकास से है इस अर्थ में आर्थिक विकास की व्यापक प्रक्रिया का विचार औद्योगीकरण में निहित है"।

लीग ऑफ नेशन्स के द्वारा औद्योगीकरण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया है, "विस्तृत अर्थ में औद्योगीकरण से आय शक्तियन्त्रों, नवीनतम तकनीक एवं संगठन विधि के उपयोग तथा बड़े पैमाने पर पूंजी के विनियोग से है जिसमें श्रम विभाजन तथा विकसित भौतिक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वितरण एवं विनिमय प्रणाली भी आती है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया मात्र निर्माणकारी उद्योगों के गठन, स्थापना और विकास तक ही सीमित रहकर नहीं बल्कि किसी अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण आर्थिक कलेवर को परिवर्तित करने से सम्बन्धित है"।

जे हुग्स के शब्दों में, "औद्योगीकरण का आशय विशिष्टीकरण की तकनीकों तथा श्रम विभाजन के अधिकांश आर्थिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रवेश कराना है जिसके द्वारा उत्पादन कार्य के लिए व्यवस्थित संगठन, मशीनीकृत, रासायनिक, बौद्धिक तथा शक्ति चालित सहायकों का प्रयोग किया जाता है"।

संक्षेप में औद्योगीकरण में आर्थिक अवास की व्यापक प्रक्रिया का विचार निहित है इसके व्यापक अर्थ में निर्माण उद्योगों की स्थापना एवं विकास के साथ-साथ कृषि का विकास, व्यापार एवं परिवहन की समृद्धि यन्त्रीकरण इत्यादि को भी शामिल किया जाता है।

3 क्षेत्र एवं महत्व

क्षेत्र-

क्षेत्रीय अध्ययन विशेष रूप से विद्वानों की भारी मांगों, साधन और स्रोतों को दृष्टि में रखते हुए जिसकी तुलनात्मक अध्ययन में बाद में जरूरत पड़ेगी, न केवल न्यायोचित है बल्कि अति आवश्यक भी है।

क्षेत्रीय अध्ययन में सभी कारकों को ध्यान में रखकर क्षेत्र की किसी व्यवस्था को समझ लिया जाता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों में दोहराई जाती है। क्षेत्रीय अध्ययन में किसी एक क्षेत्र प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक का ठीक चुनाव कर उसका अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है परन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति और गुण क्या है? शोध प्रबन्ध की प्रकृति का अध्ययन करते समय एक मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि शोध का क्षेत्र क्या है?

शोध के अध्ययन के सम्बन्ध में

Karl pearson- The Grammar of science P.16 quoted by Dr. G.K. Agrawal and Dr. Pandey in Social Research P.10

सांख्यिकी विद्वान कार्ल पियर्सन का कथन है,

"शोध का क्षेत्र वास्तव में असीमित है तथा इससे सम्बन्धित विषय सामग्री भी अनन्त है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सामाजिक घटना सामाजिक जीवन का प्रत्येक पक्ष के अतीत एवं वर्तमान का प्रत्येक स्तर शोध के लिए नवीन विषय प्रस्तुत करता है।"

प्रस्तुत अध्ययन "आगरा जनपद के औद्योगिकरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंक का विश्लेषणात्मक अध्ययन के अन्तर्गत बैक की कार्यप्रणाली ऋण एवं अग्रिम की वर्तमान स्थिति तथा साथ-साथ में उसमें उत्पन्न समस्याओं एवं उनके निराकरण, तदुपरान्त सम्भावित प्रभावों एवं वांछित परिणामों का भी अध्ययन किया गया है।"

क्षेत्रीय अध्ययन की विशेषताएं

2 क्षेत्रीय अध्ययन के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर समस्या की बारीकी से छानबीन करता है

3 अनुसन्धानकर्ता जिस क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन करने जाता है उस सम्बन्ध में किन यन्त्रों या साधनों का प्रयोग करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र में उसे जटिल या कठिन साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। वह सीमित साधनों से अधिक सफलतापूर्वक जानकारी एकत्रित कर सकता है। शहरी क्षेत्रों में उसे वहाँ के वातावरण, लोगों के स्वभाव, आदतों तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने को अधिक तथा पूर्ण साधनों से लैस करना पड़ता है। आधुनिक समय में क्षेत्रीय अध्ययन अधिक उपयोगी एवं व्यावहारिक हो गया है।

क्षेत्रीय अध्ययन का निर्धारण

क्षेत्रीय अध्ययन के विभिन्न पक्षों का स्पष्ट रूप में परिसीमित कर लेना आवश्यक होता है। अध्ययन क्षेत्र का उचित चुनाव और विस्तृत क्षेत्र की स्थिति में उसे सीमित कर लेना अनिवार्य है। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण का आर्थिक आधार निम्न है। आर्थिक स्तर पर कृषि, कृषक, भूस्वामी, श्रमिक, पूंजीपति एवं उद्योगपति आदि को

चुना जा सकता है। क्षेत्रीय अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना होता है।

1 अध्ययनकर्ता जिस क्षेत्र को चुनता है वह उसकी रूचि के अनुसार होना चाहिए ताकि श्रम तथा लगन के साथ व्यवस्थित और गहन अध्ययन कर सके।
2 उसे क्षेत्र का पूर्व ज्ञान अवश्य होना चाहिए।
3 समस्या, आकार व साधन की पर्याप्तता में समन्वय होना चाहिए। अपर्याप्त साधनों से अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता।
4 क्षेत्र में क्या-क्या उद्योग केन्द्र हैं? वे कहां तक स्थानीय समुदायों के लिए पर्याप्त हैं? अन्य उद्योग केन्द्र किस प्रकार समुदायों द्वारा संचालित होते है? सामाजिक शोध के अन्तर्गत प्रत्येक शोधार्थी के लिए अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण करते समय विषय की महत्ता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्णय लेना होता है। अध्ययन क्षेत्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। यदि अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो एक निश्चित समय के अन्दर कार्य को पूर्ण कर पाना दुष्कर हो जायेगा और यदि अध्ययन क्षेत्र अधिक छोटा होगा तो निष्कर्षों की सत्यता संदिग्ध हो जाएगी। अत:अध्ययन क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसे शोधार्थी अपने पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता से शोध को निश्चित समय के अन्दर पूर्ण कर सके।

4. सम्बन्धित साहित्य

किसी भी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उससे सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन तथा गहन अध्ययन न किया जाये। सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसन्धान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकें, ज्ञानकोषों,

पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध प्रबन्धों तथा अभिलेखों आदि से, जिनके माध्यम से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन एवं परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

वस्तुतः सम्बन्धित साहित्य के बिना शोधकर्ता का कार्य अंधेरे में तीर मारने के समान है जिसके अभाव में उचित दिशा में वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक शोधार्थी को यह ज्ञान न हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या निकलने की सम्भावना है? तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न ही उसकी रूपरेखा तैयार कर कार्य को सम्पन्न कर सकता है। किसी भी क्षेत्र में साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित है। यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं किया जाये, तो हमारा कार्य प्रभावहीन भी हो सकता है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोध-प्रबन्ध का एक अध्याय बढ़ाने तथा ग्रन्थसूची तैयार करने के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि अनुसन्धान के सभी स्तर पर यह आवश्यक सिद्ध होता है जैसे समस्या का परिभाषीकरण, विश्लेषण, परिकल्पनाओं का वर्गीकरण, अध्ययन की सीमाओं, रूपरेखाओं का निर्माण, आंकड़ों का संग्रह, सारणीयन, व्यवस्थापन, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग एवं निष्कर्ष निकालने तथा सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करता है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शोधार्थी ने अपने विषय से सम्बन्धित अनेक विद्वानों की ग्रन्थ-पुस्तकों, पंचायतों एवं ग्रामीण विकास विभाव द्वारा प्रकाशित सामग्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन, कर्मचारी वृद्ध सेवा विनिमय, पत्रिका, भारत सरकार एवं नाबार्ड द्वारा प्रकाशित नियमावली आदि का अध्ययन किया है।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन

सम्पादन कार्य के उपरान्त संकलित तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है जिससे कि बिखरी हुई सामग्री को सूचनाओं व विभिन्नताओं के आधार पर कुछ निश्चित श्रेणियों के अन्तर्गत व्यवस्थित किया जा सके। वर्गीकरण करने के मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों को श्रेणीबद्ध करके समग्र को संक्षिप्त रूप देना होता है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने जिन तथ्यों को एकत्रित किया है वे बहुत अधिक मात्रा में हैं। उन तथ्यों का केवल ढेर मात्र लगाने से कोई समुचित निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। अतः शोधकर्ता ने विभिन्न एकत्रित समंकों की तालिकाएं बनाकर उन्हें भिन्न-भिन्न सम्बन्धित स्थान पर अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत किया है। पृथक-पृथक क्षेत्रों से सम्बन्धित बैंक प्रणाली, ऋण एवं अग्रिम की सूचनाएं, पृथक-पृथक क्षेत्रों एवं तालिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। वर्गीकरण के पश्चात् तथ्यों को और भी स्पष्ट रूप प्रदान करने तथा उन्हें अधिक बोधगम्य बनाने के लिए उनका सारणीयन करना भी आवश्यक हो जाता है। वर्गीकरण के परिणामों को संख्यात्मक तालिकाओं के रूप में संक्षिप्त करना ही सारणीयन है जिसका उद्देश्य तथ्यों एवं समंकों की तुलना योग्य बनाना होता है। इन्हीं सारणियों के आधार पर तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन एवं विश्लेषण भी किया गया है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने विभिन्न महत्वपूर्ण समंकों को उनसे सम्बन्धित अध्यायों में सारणियों की सहायता से स्पष्ट किया है।

सूचनाओं एवं समंकों का संकलन

शोधकार्य को प्रारम्भ करते ही प्रथम चरण तथ्यों का संकलन होता है। इन तथ्यों का संकलन प्रश्नावली अनुसूची, साक्षात्कार, निरीक्षण एवं सर्वेक्षण आदि पद्धतियों के

माध्यम से किया जाता है। सही सूचना प्राप्त करने के लिए सूचनादाताओं से मेल-मिलाप बढ़ाना आवश्यक हो जाता है ताकि वह किसी भी बात को न छिपाकर स्पष्ट, यथार्थ सूचनाएं देने के लिए तैयार हो जाएं। सूचना के एकत्रीकरण में निष्पक्षता होनी चाहिए। एकत्रित सूचना विश्वसनीयता की परीक्षा बीच-बीच में करते रहना चाहिए। इस प्रकार एकत्रित सूचनाओं से प्राथमिक तथ्यों एवं समंकों को संकलित करने के अतिरिक्त सरकारी, गैर-सरकारी, व्यक्तिगत, प्रकाशित अथवा अप्रकाशित पुस्तक रिकार्डों, पत्र-पत्रिकाओं, डायरियों, लेखों, प्रतिवेदनों एवं समय-समय पर प्रसारित नियमावलियों आदि के द्वितीय तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए।

जहॉं तक शोध प्रबन्ध के समंकों एवं सूचनाओं के संकलन का प्रश्न है, प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का विषय निश्चित होते ही शोधकर्ता ने आगरा जनपद के औद्योगिककरण विकास में जमुना ग्रामीण बैंकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन बैंक के अध्यक्ष, प्रबन्धकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें अपने अध्ययन के व्यावहारिकता से अवगत कराया साथ ही इसके उद्देश्यों एवं महत्व को बताया। समय-समय पर आगरा क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की शाखाओं का भ्रमण कर कर्मचारियों से मुलाकात की। बैंक के लगभग सभी कर्मचारियों ने शोधकर्ता के अध्ययन के बारे में उत्सुकतापूर्वक जानकारी लेने के पश्चात् पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तत्पश्चात् अपने विषय से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं एवं समंकों की अनुसूची एवं प्रश्नावली तैयार कर आगरा जमुना ग्रामीण बैंक के विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत की जिनके आधार पर बैंक प्रबन्धक ने शोधकर्ता को समय-समय पर अध्ययन से सम्बन्धित सूचनाएं व समंक उपलब्ध कराने में सहायता की। अध्ययन से सम्बन्धित सभी सूचना व समंक शोधकर्ता द्वारा स्वयं साक्षात्कार अनुसूची व प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किए गये हैं। प्राथमिक समंकों का संकलन शोधकर्ता ने साक्षात्कार,

अनुसूची प्रश्नावली एवं टेलीफोन आदि का प्रयोग करके प्राप्त किया जबकि द्वितीय समंकों का संकलन बैंक के वार्षिक प्रतिवेदनों पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशित अभिलेखों आदि के माध्यम से एकत्रित किए गए।

समंकों का विश्लेषण

वर्गीकरण, सारणीयन का कार्य समाप्त होने के उपरान्त उन्हीं के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। विभिन्न तथ्यों की तुलना तथा उनमें पाये जाने वाले सम्बन्धों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और उसी विश्लेषण के आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्षों को निकाला जाता है। उन निष्कर्षों के आधार पर न केवल विषय के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अपितु सर्वेक्षण के व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में शोधकर्ता द्वारा प्रत्येक सारणी के नीचे उनका विश्लेषण किया गया है। इस सारणी के विश्लेषण के लिए विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियों का सहारा लिया गया है। सभी सारणियों के अनुपात व प्रतिशतों की गणना की गई है। प्रत्येक अध्ययन के अन्त में समस्त सूचनाओं, समंकों व सारणीयों के निष्कर्षों को भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आवश्यक सुझाव भी दिए गए हैं।

शोध परिकल्पना निर्माण

शोध विषय के प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् शोधकर्ता अपने मस्तिष्क में एक ऐसा विचार बना लेता है जिसके बारे में वह कल्पना करता है कि यह विचार शायद उसके अनुसंधान का आधार सिद्ध हो सके। ऐसे काल्पनिक निष्कर्ष को वह अन्तिम मानकर नहीं चलता। उसकी प्रामाणिकता अपने अनुभव तथा वास्तविक तथ्यों द्वारा सिद्ध

करने की कोशिश करता है। जॉर्ज कैसवेल के अनुसार, "परिकल्पना अध्ययन विषय से सम्बद्ध अस्थाई या काल्पनिक निष्कर्ष है।"

लुण्डवर्ग के अनुसार, "परिकल्पना एक सामाजिक तथा कामचलाऊ सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षण करना शेष रहता है। अपने बिल्कुल प्रारम्भिक चरणों में परिकल्पना कोई मनगढ़ंत अनुमान, कल्पनापूर्ण विचार अथवा सहगान इत्यादि कुछ भी हो सकता है जो क्रिया अथवा अनुसन्धान का आधार बन सकता है।"

एमोरी एस. वोगार्ड्स के अनुसार, "परीक्षित किये जाने वाले विचार को परिकल्पना कहते हैं।"

गुडे तथा हॉट के अनुसार, "एक परिकल्पना अवलोकन किये गये तथ्यों अथवा दशओं का विवेचन करने तथा अध्ययन को आगे मार्गदर्शित करने के लिए निर्मित तथा अस्थाई रूप में ग्रहण की गयी बिद्धिमत्तापूर्ण कल्पना अथवा निष्कर्ष होते हैं।"

बर्नार्ड फिलिप्स के अनुसार, "वे परिकल्पना जो किसी घटना में विद्यमान सम्बन्धों के विषय में अस्थाई कथन है। परिकल्पनाओं को प्रकृति से पूछे गये प्रश्न कहा जाता है और वे वैज्ञानिक अनुसन्धान में प्राथमिक महत्व के यन्त्र होते हैं।"

पी.वी. यंग के अनुसार, "एक कार्यवाहक परिकल्पना एक कार्यवाहक केन्द्रीय विचार है जो उपयोगी अध्ययन का आधार बन जाता है।"

वेबस्टर ने अपने अंग्रेजी भाषा के नये अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोश में लिखा है कि परिकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धान्त होता है जोकि सम्भवत: बिना विचार किसी विश्वास के मान लिया जाता है जिससे कि उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सकें

और ज्ञात अथवा निर्धारित किये जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके।

परिकल्पना की विशेषताएं

प्रस्तुत की गयीं उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि परिकल्पना एक पूर्व विचार प्राथमिक कल्पना, अमूर्तिकरण निष्कर्ष अथवा सामान्यीकरण होता है जो सामाजिक तथ्यों की खोज करने तथा उनके विषय में विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है।

परिकल्पना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1 यह मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है। इसके बिना अनुसन्धानकर्ता विषय से कोसों दूर भटक सकता है।

2 परिकल्पना का स्पष्ट होना आवश्यक है। अस्पष्टता वैज्ञानिक ज्ञान और प्रकृति के प्रतिकूल है। अत: यदि यह अस्पष्ट है तो अनुपयोगी और अवैज्ञानिक सिद्ध होगी।

3 विशिष्टता इसका मुख्य लक्षण है यदि यह सामान्य हुई तब निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं होगा। विशिष्टता किसी विशेष पहलू से सम्बन्धित होनी चाहिये। अन्यथा सत्यता की जांच करना कठिन हो जायेगा।

4 उपलब्ध पद्धतियाँ साधनों से सम्बन्धित होनी चाहिए अन्यथा यह उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। **गुडे तथा हॉट के मत में,** "जो सिद्धान्त शास्त्री भी नहीं जानता कि उसकी परिकल्पना की परीक्षा के लिए कौन-कौन सी पद्धतियां उपलब्ध हैं वह व्यावहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है।"

5 परिकल्पना पूर्व निर्धारित सिद्धान्तों से सम्बन्धित होनी चाहिए।

6 यह तथ्यों पर आधारित अस्थाई हल है।

7 मूल्य या आदर्श निर्णय की पुष्टि हो, वही परिकल्पना वैज्ञानिक तथा सार्थक सिद्ध हो सकती है इसका अर्थ कदापि नहीं है कि अनुसन्धानकर्ता को आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए बल्कि मतलब यह है कि ऐसा आदर्श जिसका परीक्षण, अवलोकन किया जा सके जो परीक्षण करने पर खरे उतरते हों।

8 परिकल्पना प्राय: अतिश्योक्तिपूर्ण भाषा में व्यक्त नहीं होती है उसमें प्रयोग सिद्धता का गुण होना चाहिए।

9 यह समस्या के प्रमुख सिद्धान्त से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो।

10 उचित परिकल्पना द्वारा इकट्ठे किये जाने वाले तथ्य उपयोगी होते है।

परिकल्पना का महत्व

किसी भी वैज्ञानिक अनुसन्धान में परिकल्पना का बहुत महत्व है। इसके अभाव में किसी प्रकार के निश्चयात्मक फल की प्राप्ति सम्भव नहीं है। अवैज्ञानिक, असम्भव तथा दोषपूर्ण परिकल्पना से अनुसन्धान में लगा हुआ समस्त श्रम व्यर्थ जाता है। वैज्ञानिक अनुसन्धान में परिकल्पना का महत्व निम्नलिखित है :-

1 परिकल्पना अध्ययन को निश्चयात्मकता प्रदान करती है

परिकल्पना से विषय विशिष्ट तथा प्रसंगानुकूल बन जाता है तथा अनुसन्धानकर्ता इधर-उधर न भटककर एक दिशा की ओर अग्रसर होता है। इसके अभाव में अनुसन्धानकर्ता की वह गति होती है जो एक नाविक की अज्ञात समुद्र में कुतुबनुमा अथवा रेडार के बिना होती है।

2 परिकल्पना अनुसन्धान की दिशा का निर्देशन करती है

वास्तव में अनुसन्धान के दो ही प्रधान अंग हैं। एक तो परिकल्पना का निर्माण दूसरा उसकी परीक्षा। अत: एक ठीक-ठाक परिकल्पना के निर्माण से आधा काम तो यों ही पूरा हो जाता है। शेष आधे काम में उससे बड़ी सहायता मिलती है। हमारा काम केवल इतना रह जाता है कि परिकल्पना की सत्यता की जांच कैसे की जाए जिससे हमारी अनुसन्धान की दिशा का निर्देश मिल जाता है। बहुत सा व्यर्थ का परिश्रम बच जाता है। हमारा हर प्रयास एक निश्चित उद्देश्य तथा अर्थ रखने वाला हो जाता है।

3 इससे सम्बन्धित तथ्यों के चुनाव में सहायता मिलती है

जब हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो हमें अनेक तथ्यों के सम्पर्क में आना पड़ता है। प्रत्येक का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक नहीं होता। हमें केवल उन्हीं तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे अनुसन्धान में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। इनमें हमें अनुपयोगी एवं व्यर्थ की सूचनाओं का क्रमश: त्याग कर देना चाहिए। उपयोगी सूचनाओं को ग्रहण करना पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि हमें इस परिकल्पना की परीक्षा करनी है कि शिक्षा के प्रचार से प्रजनन दर कम होती है तो हमें सम्बन्धित व्यक्तियों की सन्तानों की संख्या तथा उनकी शिक्षा तक ही सीमित रखना पड़ेगा। उसी आधार पर हम यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अशिक्षितों में संतानों की संख्या अधिक तथा शिक्षितों में कम होती हैं। इस तरह हमें काम के लायक सूचना लेने में सुविधा होगी।

4. परिकल्पना निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है

परिकल्पना हमारी प्रगति में ही सहायक नहीं होती बल्कि शुद्ध निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होती है। **गुडे तथा हॉट के मतानुसार,** "बिना परिकल्पना के अनुसन्धान एक अनिर्दिष्ट विचारहीन भटकने के समान है। उसने परिणामों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों में नहीं रखा जा सकता। परिकल्पना सिद्धान्त तथा ऐसी खोज के बीच में आवश्यक कड़ी है जो अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है।"

5 उद्‌देश्य की स्पष्टता

परिकल्पना एक ऐसा मापदण्ड स्थापित करती है जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन का क्या उद्‌देश्य है। कुछ अध्ययन बहुउद्‌देशीय होते हैं अत: उन्हें स्पष्ट करना आवश्यक होता है। जब उद्‌देश्य स्पष्ट हो जाते हैं तो अध्ययनकर्ता को सामग्री एकत्रित करने में कठिनाई नहीं होती है। वह कई स्रोतों से आवश्यक और अभीष्ट सूचना प्राप्त कर सकता है। कई बार अनुसन्धानकर्ता उद्‌देश्य की स्पष्टता के अभाव में इतना भटक जाता है कि अन्त में निराशा हाथ लगती है। उसके श्रम का कोई लाभ नहीं होता चाहे उसने कितनी ही निष्ठा से दिलचस्पी एवं लगन के साथ कार्य किया हो। परिकल्पना इन दोषों से बचाती है।

6 अनुसन्धान क्षेत्र को सीमित करना

अनुसंधानकर्ता के लिए यह व्यावहारिक रूप में सम्भव नहीं है कि वह विषय के समस्त पक्षों पर अध्ययन करे। अध्ययन विषय के विभन्न पहलुओं पर सामग्री इतनी विस्तृत होती है कि वह यथार्थ में अनुसन्धान कर नहीं सकता।

निरर्थकता एवं जटिलता को दूर करने में हमें परिकल्पना सहायता प्रदान करती है। उदाहरण द्वारा अध्ययन करना चाहे तो इससे सम्बन्धित विषय मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र हो सकते हैं। एक व्यक्ति का मत देने के सम्बन्ध में व्यवहार जानने की कोशिश करें तो एक पक्ष आर्थिक हो सकता है जिसमें अपनी निर्धन स्थिति होने के कारण वह किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है जो उसे कुछ पैसा या अन्य लालच देता है। दूसरा पक्ष मनोवैज्ञानिक हो सकता है जिससे वह बड़े से बड़े स्वादिष्ट व्यंजनों, नारों व वायदों द्वारा प्रभावित होकर वोट दे। इसी प्रकार तीसरे पक्ष, जाति या बिरादरी का चौथा पक्ष विचारधारा का पांचवां अपने मित्रों व सम्बन्धियों को प्रसन्न करने का हो सकता है। लुण्डवर्ग के शब्दों में, परिकल्पना के आधार पर "हम जानबूझकर अपना विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की सम्भावना को कम करने का प्रयास करते हैं।"

परिकल्पना के लिए निर्मित कथन में जांचे जाने की क्षमता होनी चाहिए। वर्तमान अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पना का निरूपण किया गया है:-

1 औद्योगिक विकास हेतु किसी भी क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं एवं निगमों द्वारा प्रदत्त किये हुए ऋण की अत्यन्त आवश्यकता होती है।
2 औद्योगिक विकास तथा वित्तीय संस्थाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।
3 वित्तीय संस्थाओं एवं वित्तीय निगमों के अभाव में औद्योगिक इकाईयां रूग्ण अवस्था में पहुँच जाती हैं।
4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आगरा द्वारा औद्योगिक विकास हेतु प्रदत्त ऋण से औद्योगिक विकास में प्रगति हुई है।

5 इन बैंकों द्वारा प्रदत्त किये गये ऋण से अन्यों की तुलना में अधिक प्रगति हुई है।

शोधकार्य की सीमाएं

क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति के सफल प्रयोग के लिए कुछ प्रमुख सीमाएं होती हैं जिनके अभाव में अध्ययन अपूर्ण, अव्यवस्थित रहता है। वे इस प्रकार हैं:

1 क्षेत्र के विभिन्न कारकों की अज्ञानता के कारण अध्ययन भ्रमपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
2 आधुनिक शहरी अनुसंधानकर्ता जब ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन के लिए जाता है तो ग्रामीण लोग उसके साथ प्राय: समन्वय और एकता स्थापित नहीं कर पाते अत: वांछित व पूर्ण जानकारी मिल ही नहीं पाती।
3 एक क्षेत्र के कारक तथा उनका प्रभाव दूसरे क्षेत्र के कारकों और उनके प्रभाव से भिन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान का परिणाम उस क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। उसका उपयोग दूसरे क्षेत्रों के लिए प्राय: हो नहीं पाता।
4 अध्ययनकर्ता स्वयं की सीमाओं के कारण भी क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति को प्रभावशाली रूप में काम में नहीं ला पाता।
5 ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी साधनों की कमी एवं जागरूकता का अभाव है। वहॉ अध्ययनकर्ता को जानकारी प्राप्त करने में या तो कठिनाई रहती है या उसे वहॉ से अपेक्षित सामग्री मिल नहीं पाती।

यद्यपि अनिवार्यताओं के अनुसार साधन उपलब्ध करना प्राय: मुश्किल होता है तथापि यह पद्धति सर्वोत्तम, विश्वसनीय और उपयोगी है।

प्रत्येक क्षेत्र में किये गये शोधकार्य की कुछ मौलिक सीमायें होती हैं। और शोध अध्ययन का विषय आगरा जनपद के औद्योगिक विकास में *यमुना ग्रामीण बैंक* का विश्लेषणात्मक अध्ययन है जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं:-

1 यह शोध अध्ययन आगरा जनपद तक ही सीमित है।

2 यह अध्ययन आगरा के औद्योगीकरण से ही सम्बन्धित है।

3 इस शोध अध्ययन में जनपद के यमुना ग्रामीण बैंक का विश्लेषण से सम्बन्धित है।

4 इस अध्ययन में यमुना ग्रामीण बैंक द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रदत्त ऋण के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

5 यह अध्ययन केवल वर्ष 1995 से 2004 तक की अवधि तक ही सीमित है।

6 इस अध्ययन में यमुना ग्रामीण बैंक के कार्यालयों से गत 10 वर्षों के उद्योग सम्बन्धी आंकड़े बड़ी कठिनाई से प्राप्त किये गये हैं जो इस शोध प्रबन्ध में सम्मिलित किये गये हैं।

7 प्रस्तुत अध्ययन आगरा के औद्योगीकरण में जमुना ग्रामीण बैंक की विश्लेषणात्मक भूमिका से सम्बन्धित है अत: अध्ययन संरचना की दृष्टि से शोधार्थी ने अपने शोधग्रन्थ को नौ अध्ययनों में विभक्त किया है।

प्रथम अध्याय आगरा जनपद के परिचय से सम्बन्धित है अत: इस अध्याय के अन्तर्गत आगरा की भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, सामाजिक स्थिति, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, आर्थिक स्थिति आदि का वर्णन संक्षिप्त में विवरणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ-साथ विद्यमान औद्योगिक क्षमता, कृषि सम्पदा, खनिज सम्पदा, यातायात, वित्तीय संस्थाओं एवं ऊर्जा की जानकारी का विश्लेषण सम्मिलित है।

द्वितीय अध्याय में शोध अभिकल्पना एवं प्रक्रिया का उल्लेख है इसके अन्तर्गत शोध अध्ययन का उद्देश्य पूववर्ती अध्ययनों का पुनरावलोकन, क्षेत्र एवं महत्व, परिकल्पना निर्माण, शोध कार्य की सीमायें, अध्ययन संरचना एवं अध्ययन का महत्व आदि का विषय वस्तु से सम्बन्धित विवरणात्मक एवं आलोचनात्मक वर्णन है। इसके अन्तर्गत सामाजिक अनुसन्धान के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

तृतीय अध्याय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचय से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत शोधार्थी ने जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विश्लेषणात्मक भूमिका के लिये उसकी स्थापना एवं उद्देश्य, कार्य एवं महत्व, क्षेत्र एवं सीमायें तथा वित्तीय स्रोत आदि का परिचयात्मक एवं विवरणात्मक वर्णन किया है।

चतुर्थ अध्याय जमुना ग्रामीण बैंक की ऋण नीतियां एवं विविध योजना से सम्बन्धित है। इस अध्याय में विविध योजनान्तर्गत ऋण तथा अग्रिम योजनाओं का समावेश है।

पंचम अध्याय जमुना ग्रामीण बैंक की विविध योजनान्तर्गत ऋण एवं अग्रिम राशियों की उपयोगिता के अध्ययन से सम्बन्धित है। इस अध्याय में विविध योजनान्तर्गत ऋण तथा अग्रिम योजनायें शामिल हैं।

षष्ठम अध्याय आगरा के औद्योगीकरण में जमुना ग्रामीण बैंक का योगदान सम्मिलित है।

सप्तम् अध्याय यमुना ग्रामीण बैंक के द्वारा आगरा के औद्योगिक विकास में किये गये प्रयासों के मूल्यांकन से सम्बन्धित है।

अष्टम अध्याय में शोध अध्ययन विषय से सम्बन्धित समस्याएं एवं सुझावों का समावेश है।

अन्तिम अध्याय उपसंहार का है। इस अध्याय में विषय से सम्बन्धित सिंहावलोकन है।

अध्ययन का महत्व

वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसके कारण प्रबन्धक, उद्योगपति एवं सरकार सभी की दृष्टि में औद्योगिक विकास के अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। संक्षेप में आगरा के औद्योगीकरण में जमुना ग्रामीण बैंक की विश्लेषणात्मक भूमिका से सम्बन्धित महत्व निम्नानुसार है:-

1 जनपद के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि वहाँ के औद्योगिक संसाधनों जैसे खनिज, वन, कृषि उत्पादों आदि का उचित प्रयोग किया जाये। इस दृष्टि से विभिन्न संसाधनों की पूर्ति एवं आवश्यकता के अनुसार अनुमान लगाने, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों की तुलना करने तथा संसाधनों को मितव्ययिता के साथ प्राप्त करने की जो समस्या आती है औद्योगिक विकास के माध्यम से इस दिशा में आवश्यक विश्लेषण करके उचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

2 औद्योगिक विकास की जनपद में किसी भी ग्रामीण योजना में उद्योग के उचित स्थानीयकरण पर जोर दिया जाता है। औद्योगिक विकास के अध्ययन विश्लेषण के आधार पर विभिन्न उद्योगों के स्थानीयकरण का निर्धारण किया जा सकता

है यदि स्थानीयकरण में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो इन्हें सुधारने के लिए मार्ग-निर्देश सिद्धान्त निर्धारित किये जा सकते हैं।

3 वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार कुछ न कुछ मात्रा में औद्योगिक क्रियाओं पर नियन्त्रण अवश्य स्थापित करती है। इसमें उद्योगों के आकार, स्थानीयकरण, संयोजन, एकाधिकार, विदेशी सहयोग आदि पर नियन्त्रण किये जाते हैं। इन नियन्त्रणों के सम्बन्ध में आवश्यक नीति निर्धारित करने में औद्योगिक विकास के अध्ययन एवं विश्लेषण उपयोगी सिद्ध होते हैं।

4 प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य रहती हैं। जैसे श्रम समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, मन्दी की समस्या, क्षमता का पूरा उपयोग न कर पाने की समस्या, औद्योगिक केन्द्रीयकरण की समस्या, अनार्थिक आकार की समस्या आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन समस्याओं के समाधान में भी औद्योगिक विकास का अध्ययन एवं विश्लेषण महत्वपूर्ण सिद्ध होता है।

व्यक्तिगत उद्योगपति द्वारा निर्णय लेने में भी औद्योगिक विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इनमें औद्योगिक इकाईयों के आकार, उत्पादन तकनीक, उत्पादकता के प्रयास, विकेन्द्रीकरण की योजना, मूल्य निर्धारण, प्रतियोगिता की समस्या का समाधान आदि से सम्बन्धित निर्णयों का उल्लेख किया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं का विकास एवं वर्तमान आवश्यकता बैंकिंग के विशेष सन्दर्भ में

आधुनिक मुद्रा अर्थव्यवस्था में वित्त का आशय मुद्रा को उस समय उपलब्ध कराना है जबकि उसकी आवश्यकता हो। पूंजी का उत्पादन के साधनों में विशेष महत्व है। पूंजी को आधुनिक उद्योगों का जीवनरक्त माना जाता है क्योंकि कोई भी उद्योग

चाहे वह छोटा हो या बड़ा उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास पर्याप्त पूंजी न हो। वस्तुत: औद्योगिक वित्त किसी भी देश के औद्योगीकरण में आधारशिला का कार्य करता है। इस सम्बन्ध में मार्शल ने भी कहा है कि मुद्रा ही वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं घूमती हैं। मुद्राकोष ही पूंजी है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती है। इस सम्बन्ध में डा. सी.जी. श्रीवास्तव ने अपने विचारों को निम्न प्रकार व्यक्त किया है

वित्त उद्योग और वाणिज्य के पहियों के लिये हड्डिया का सार, नाड़ियों का रक्त और सभी व्यापारों की आत्मा है। औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में पूंजी का इतना अधिक महत्व नहीं था। क्योंकि उस समय उत्पादन के तरीके सरल थे और उत्पादन उपकरण भी सस्ते हुआ करते थे। लेकिन कालान्तर में औद्योगिक प्रगति के साथ उत्पादन के तरीके जटिल हो गये और उत्पादन में अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। ये मशीनें महंगी थीं अत: उत्पादन चलाने के लिए अधिकाधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ने लगी। अब उत्पादन श्रम साधन के स्थान पर पूंजी साधन बन गया। पूंजी के महत्व में वृद्धि हुई।

औद्योगिक वित्त व्यवस्था की विशेषताएं

औद्योगिक वित्त व्यवस्थ की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

1 औद्योगिक वित्त की प्रगति स्थाई होती है क्योंकि इसमें दीर्घकालीन विनियोग भवन, संयन्त्र आदि में किये जाते हैं। स्थायी पूंजी की अपेक्षा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम अनुपात में होती है।

2 औद्योगिक वित्त में अधिकांश पूंजी का विनियोग उत्पादन कार्यों के लिये किया जाता है।

3 नवीन उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित उद्योगों की वित्त व्यवस्था की समस्या इतनी कठित होती है कि उन्हें वित्त प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है।

उद्योगों में सामान्यत: दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है -

(1) **स्थायी(दीर्घकालीन) पूंजी**

(2) **कार्यशील(अल्पकालीन पूंजी)**

(1) स्थायी(दीर्घकालीन) पूंजी

इस पूंजी का उपयोग व्यवसाय में ऐसी सम्पत्तियों को खरीदने के लिए किया जाता है जिनको दीर्घकालीन तथा निरन्तर उपयोग किया जा सके। यह पूंजी व्यवसाय में स्थायी रूप से रहती है एवं उसे इच्छानुसार व्यवसाय से निकाला नहीं जा सकता। इस प्रकार स्थायी पूंजी के दो प्रमुख लक्षण हैं। प्रथम यह कि पूंजी दीर्घकालीन आवश्यकताओं में लगायी जाती है। अत: इसे दीर्घकालीन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। द्वितीय इसका व्यवसाय में निरन्तर उपयोग किया जाता है अर्थात् इस पूंजी को सामान्यत: व्यवसाय में से निकाला नहीं जा सकता।

सामान्यत: स्थायी पूंजी की आवश्यकता अग्रलिखित सम्पत्तियों को क्रय करने के लिए पड़ती है: स्थायी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संयन्त्र व मशीनरी, फर्नीचर व फिटिंग एवं पेटेण्ट आदि को क्रय करने के लिए। आधुनिकीकरण, शोध एवं अनुसंधान के लिए विविधीकरण विस्तार एवं विकास की आवश्यकताओं के लिये। नियमित एवं स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए किसी व्यवसाय में कितनी स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी।

(1) व्यवसाय की प्रकृति

(2) व्यवसाय के आकार

(3) उत्पादन की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है।

साधारणत: निर्माण उपक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार फर्म का आकार कितना बड़ा हो और उत्पादन की विधि जितनी जटिल और पूंजी प्रधान होगी पूंजी की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होगी।

(2) कार्यशील(अल्पकालीन पूंजी)

प्रत्येक व्यवसाय के दैनिक कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिये जिस पूंजी की आवश्यकता पड़ती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी का निर्माण सामान्यत: कच्चा माल, निर्मित व अनिर्मित माल का स्टॉक चल सम्पत्ति के क्रय, उत्पादन व्यय, कर्मचारियों के वेतन, परिवहन व्यय, मजदूरी एवं अन्य दैनिक कार्यों में किया जाता है। कार्यशील पूंजी का कार्यकाल स्थायी पूंजी की अपेक्षा कम होता है। अत: इसे अल्पकालीन पूंजी भी कहा जाता है।

कार्यशील पूंजी की निम्नलिखित विशेषताएं :-

प्रथम, आवश्यक रूप परिवर्तित कर दिये जाने के पश्चात् इस प्रकार की पूंजी निरन्तर गति से रोकड़(नकद) रूप में परिवर्तित होती रहती है। यह रोकड़ पुन: कार्यशील पूंजी में विनियोजित कर दी जाती है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी सदैव घूमती रहती है। द्वितीय, कार्यशील पूंजी की आवश्यकतानुसार घटती-बढ़ती रहती है। उन व्यवसायों में जिनमें कि वस्तुओं की मांग मौसमी परिवर्तन से प्रभावित होती है इस पूंजी की आवश्यकता उसके अनुरूप और उसकी मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। तृतीय, कार्यशील

पूंजी की वह आवश्यकता स्थायी होती है और कुछ अस्थायी। अस्थायी आवश्यकता का अभिप्राय उस आवश्यकता से है जहां मांग मौसमी परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके विपरीत स्थायी कार्यशील पूंजी का अर्थ उस पूंजी से है जो चालू सम्पत्तियों में लगानी पड़ती है।

कार्यशील पूंजी दो प्रकार की होती है। नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी एवं मौसमी अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। नियमित कार्यशील पूंजी उद्योगों को चालू करने के लिए हर समय आवश्यक होती है परन्तु मौसमी कार्यशील पूंजी समयानुसार कम या अधिक हो सकती है।

कुटीर उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जो पूर्णत: या मुख्यत: परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकाल या अंशकाल व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योग के पृथक-पृथक वर्गीकरण का आधार यह है कि प्रथम कुटीर उद्योगों में हस्त प्रक्रियाओं की प्रधानता रहती है जबकि लघु उद्योगों के लिये यह आवश्यक नहीं है। द्वितीय, कुटीर उद्योग में प्राय: परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन होता है। प्राय: स्थानीय बाजारों की मांग की पूर्ति की जाती है जबकि लघु उद्योगों में यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षाकृत व्यापक बाजार की पूर्ति की जाती है। तृतीय कुटीर उद्योगों में मजदूरी या वेतन पर कम व्यक्ति लगाये जाते हैं और अधिकतर कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है जबकि लघु उद्योगों में मजदूरी या वेतन पर पर्याप्त व्यक्ति लगाये जाते हैं।

कुटीर उद्योगों को पुन: दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - ग्रामीण कुटीर उद्योग तथा शहरी कुटीर उद्योग। ग्रामीण कुटीर उद्योग भी दो श्रेणियों में उपविभाजित किये जाते हैं - 1. कृषि के सहायक ग्रामीण कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण कौशल से सम्बन्धित कुटीर उद्योग। कृषि में सहायक ग्रामीण कुटीर उद्योग में वे उद्योग शामिल

किये जाते हैं जो कृषकों द्वारा सहायक धन्धों के रूप में चलाये जाते हैं। जैसे मुर्गीपालन, करघों पर बुनाई, गाय-भैंस पालन टोकरियां बनाना, रेशम के कीड़े पालना इत्यादि। ग्रामीण कौशल कुटीर उद्योगों में ग्राम हस्त-कौशल के धन्धे आते हैं जैसे - घानी से तेल निकालना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े का उद्योग इत्यादि। शहरी कुटीर उद्योगों में हथकरघा उद्योग, खिलौने बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना इत्यादि को शामिल किया जाता है।

औद्योगिक वित्त की अल्पकालीन एवं मध्यकालीन आवश्यकता की पूर्ति में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनको आधुनिक वित्त प्रणाली की आधारशिला कहा जाता है। इसलिए डा. एस.के. बसु ने कहा है, "औद्योगिक वित्त के अध्ययन में बैंकों और उद्योगों के सम्बन्धों पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि अन्य किसी प्रश्न ने न तो इतनी रूचि उत्पन्न की है और न ही इतना विवाद उत्पन्न किया है जितना कि बैंक और उद्योगों के सम्बन्धों के प्रश्नों ने।" जर्मनी, इंग्लैण्ड, जापान इत्यादि देशों के औद्योगिक विकास में बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जर्मनी की औद्योगिक उन्नति का सम्पूर्ण श्रेय वहां की बैंकों को जाता है। इस तथ्य को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जर्मनी में उन्नीसवीं शताब्दी के सप्तम और दशम दशक में और बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ महान औद्योगिक विकास की एक बड़ी मात्रा वहां की बैंकों की साहसी भावना का परिणाम है।

भारत में उद्योगों की वित्त व्यवस्था के प्रति व्यापारिक बैंकों का दृष्टिकोण बहुत कुछ ब्रिटिश व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनायी गयी नीतियों पर आधारित रहा है और वे प्रायः: अल्पकालीन पूंजी प्रदान करते रहे हैं। डा. एस.के.बसु के अनुसार, "भारतीय बैंकिंग पद्धति का निर्माण युद्ध से पूर्व प्रचलित अंग्रेजी जमा बैंकिंग के आधार पर हुआ है जिसकी पुरानी परम्परा उद्योगों से अलग रहने की रही है लेकिन स्वतन्त्रता

के पश्चात् औद्योगिक विकास में तेजी आने के कारण परम्परागत विनियोग की नीति को बदलने की आवश्यकता हुई जिसके कारण बैंकों द्वारा उद्योगों को वित्त प्रदान करने की नीति में परिवर्तन आया। नियोजन काल में व्यापारिक बैंकों ने उद्योगों को वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संदर्भ

1. राबर्टसन, सरडेनिस, कन्ट्रोल ऑफ इण्डस्ट्री, पृ. 3
2. पी. कांग—चांग, एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रियलाइजेशन, पृ. 69
3. आइना—ए—अकबरी, एथत्र ब्लायमेन द्वारा अनुदित पृ. 235
4. सांख्यिकी पुस्तिका जिला सांख्यिकी कार्यालय, आगरा
5. जी. ए. लुण्डवर्ग, सोशल रिसर्च, पृ. 9
6. प्रो. बी.एम. जैन, शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीक, वर्ष 1985—86
7. जार्ज ए : लुण्डबर्ग, सोशल रिसर्च
8. फिलिप्स बर्नाड, सोशल रिसर्च, पृ. 22
9. गुडे एण्ड हॉटर, मैथ्ड्स इन सोशल रिसर्च, पृ. 38
10. फिलिप्स बी. यंग, साइंटिफिक, सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च, पृ. 96
11. वसु, एस. के., इण्डस्ट्रियल फाईनेंस इन इण्डिया, पृ. 7
12. दि इकोनोमिक टाइम्स, अगस्त 7, 1991
13. एमोरी एस, बोगार्डस, सोशियोलॉजी, पृ. 551

अध्याय - तृतीय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का परिचय

(जमुना) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का परिचय

1 ऐतिहासिक एवं विकासात्मक पृष्ठभूमि

भारतीय आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग की पूर्ति एवं संचय में अभिवृद्धि के दृष्टिकोण से वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार की आर्थिक अन्तर संरचना प्रदान की गयी है ताकि वे केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएं न होकर आर्थिक विकास में सहयोग करने वाली संस्था हों।

इस दृष्टि से बैंकों को वर्तमान कार्यप्रणाली तक विकसित किया गया है। परम्परागत साख व्यवस्था वर्तमान ग्रामीण परिक्षेत्र के पूर्णतःअनुकूल नहीं थीं, फलतः वहां की साख पूर्ति के लिए किये गये प्रयास साख विस्तार की गहनता को प्रभावित नहीं कर पाये। वर्तमान समय में संस्थागत वित्तीय व्यवस्था को प्रभावी, गतिशील, सक्षम एवं उपयुक्त बनाने के लिए नयी-नयी पद्धतियों का विकास किया गया है जिनके माध्यम से सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास की संकल्पना को प्रतिमूर्ति का स्वरूप प्रदान किया जा सके। ग्रामीण समाज को साहूकारों के शिकंजे से मुक्ति दिलाने वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की लागत को कम करने, स्थानीय कार्य दशाओं के अनुरूप स्थानीय वर्ग से कार्य लेना तथा ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय समस्याओं का उपयुक्त एवं प्रभावी ढंग से समाधान करने एवं भारतीय अर्थतन्त्र की शोषण रहित समाजीकरण की प्रक्रिया में गतिशीलता लाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका एक मित्र, मार्गदर्शक तथा हितैषी के रूप में महसूस की गयी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के पूर्व तक ग्रामीण क्षेत्रों में साख एवं तत्सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के जो भी प्रयास किये गये उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में साख परिचालन व्यवस्था अत्यन्त गम्भीर है। इस समय के निराकरण के लिए लघु कृषकों एवं ग्रामीण शिल्पियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित कर साख सम्बन्धी सुविधाओं को विस्तार किया गया। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भौगोलिक एवं कार्यात्मक दो विचारधाराओं के आधार पर वर्गीकृत किये गये।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति संगठित एवं असंगठित दोनों वित्तीय संस्थानों के माध्यम से हो रही है। संगठित क्षेत्र में सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक एवं कुछ विशिष्ट संस्थाएं जैसे - आई.डी.बी.आई; एफ. सी.आई; आई.सी.आई.सी.आई एवं ए.एफ.सी. आदि संस्थाएं आती हैं। इन संस्थाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियन्त्रण है। असंगठित क्षेत्र में देशी साहूकार तथा महाजन सम्मिलित हैं। स्वतन्त्रोत्तर दो दशकों में छोटे-छोटे अधिकोषों को मिलाकर बड़े अधिकोषों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। परिणामस्वरूप वर्ष 1951 से 566 छोटे-छोटे अधिकोष संयोजित होकर जून 1969 में 89 बड़े अधिकोष बन गये। इसी अवधि में इन बैंकों की शाखाओं में अत्यधिक अभिवृद्धि हुई जो 4151 से बढ़कर 8125 हो गई। इन 89 बड़े बैंकों में 73 सूचीबद्ध बैंक तथा 16 अनुसूचित बैंक सम्मिलित थे।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार करते हुए कहा कि संगठित क्षेत्र के बैंकों से जनसंख्या के एक अल्पभाग को ही सहयोग प्राप्त हुआ है। इस समिति ने इस सन्दर्भ में सहकारी बैंकों की असफलता पर असन्तोष व्यक्त किया। उसके अनुसार "सहकारिता असफल हो गयी है परन्तु इसे

सफल होना है।" इस समिति ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की साख पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को भागीदार बनना चाहिए तथा राज्य नियन्त्रित व्यापारिक बैंकों एवं संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। इन्हीं अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए ही 'इम्पीरियम बैंक' का राष्ट्रीयकरण किया गया, बाद में जिसका नाम 'भारतीय स्टेट बैंक' रखा गया। वर्तमान समय में इस बैंक के कुछ सहायक बैंक भी हैं परन्तु इस बैंक के राष्ट्रीयकरण से भी ग्रामीण साख समस्या की गमीीरता दूर नहीं हुई है फलतः वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना कर साख विस्तार के प्रयास किये गये।

वाणिज्य बैंकों की स्थापना मूलतः व्यापारिक एवं औद्योगिक साख व्यवस्था के लिए की गई थी। इन्हें भी वर्ष 1964 में कृषि के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इन्होंने भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सहयोग करना प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था को यह व्यवस्था भी सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकी। इस व्यवस्था से भी राष्ट्र में 77 प्रति0 जनसंख्या को साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रहीं थीं इसलिए सन् 1968 में बैंकों का सामाज़िक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावी की गई। सामाजिक नियन्त्रण के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया कि साख के लिए कृषि उत्पादों का निर्यात तथा लघु उद्योगों को उच्च्य प्राथमिकता प्रदान की जाए परन्तु बैंकों की विविधता और उपभोक्ताओं की अधिकता के कारण अनेक बैंकों में इस नीति का अनुसरण सम्भव न हो सका वरन् वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ही कृषकों, लघु उद्यमियों एवं छोटे व्यावसायों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। वर्ष 1968-69 के मध्य राष्ट्रीय साख परिषद ने सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए साख प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु इसके सन्तोषजनक परिणाम सामने नहीं आये। सामाजिक नियन्त्रण की यह योजना भी असफल साबित हुई तब सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा ताकि जनसामान्य की बचतों को प्राप्त किया जा सके और

उन्हें उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्राप्त किया जा सके। जुलाई 1969 को तत्सम्बन्धी अधिनियम भी पारित कर दिया गया जो स्वातन्त्रोत्तर आर्थिक, सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम था। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ग्रामीण साख संरचना को नये स्वरूप में विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों की अवधारणा उदित हुई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में विविध समितियों की अनुशंसाएं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सम्बन्धी विचार कोई नया नहीं है वरन् वर्ष 1915 की मैकलेगन समिति एवं अन्य कई महत्वपूर्ण समितियों एवं आयोगों ने कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता सम्बन्धी अनुशंसाऐं की थीं जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ही कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना थी। इन बैंकों के गठन के सम्बन्ध में हमें अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति वर्ष 1950-51 के प्रतिवेदन से भी अनुशंसाएं प्राप्त हुईं। अनेक अवसरों पर भारतीय कृषि बैंकों की स्थापना का विचार भी दिया गया किन्तु सर्वप्रथम श्री आर.जी. सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग ने ग्रामीण बैंक के गठन का सुझाव दिया। इस आयोग का गठन भारत सरकार ने 3 फरवरी 1969 को किया था जिसने 2 फरवरी 1972 को अपना प्रतिवेदन दिया। इस प्रतिवेदन में ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। बैंकिंग आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सहकारी और व्यापारिक पद्धतियों के अच्छे लक्षणों को शामिल करते हुए ग्रामीण बैंकिंग संरचना की स्थापना सम्बन्धी सुझाव दिये। जहां प्राथमिक साख समितियां सुदृढ़ स्थिति में नहीं है वहां वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके पश्चात् एवं अन्य मन्त्रालय के अध्ययन समूह द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया गया।

आयोग ने कृषि साख की समस्या पर भी अत्यन्त गहनता से विचार किया और कहा कि भारतीय परिस्थितियों में कृषि साख को सुरक्षित करना है तो सहायक सुविधाओं के गठन का कार्य भी बैंकों द्वारा अधिग्रहीत किया जाना चाहिए। सहायक सुविधाओं से आयोग का अभिप्रायः आदानों का प्रदाय कृषि सेवाओं की समय पर उपलब्धता विपणन सुविधाओं आदि से था। आयोग के द्वारा आनुशांसिक कृषि अनुस्थापित ग्रामीण बैंक की संकल्पना में आयोग ने ग्रामीण बैंक के प्रत्याशित कार्यों की निम्नानुसार सूची प्रस्तुत की।

1. विभिन्न प्रकार के निक्षेपों द्वारा स्थानीय बचतों को प्रोत्साहित एवं गतिशील करना।
2. कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना।
3. पर्यवेक्षित साख कार्यकमों को कार्यान्वित करना तथा कृषकों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार वित्त व्यवस्था करना।
4. सहायक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
5. ग्रामीण दस्तकारों को ऋण प्रदान करना।
6. भण्डार-गृहों का निर्माण एवं पुनरीक्षण करना।
7. कृषि में उपयोग होने वाले यन्त्रों तथा उपकरणों को किराये पर उपलब्ध कराना।
8. विपणन संगठनों के माध्यम से कृषि व अन्य उत्पादों के विपणन में सहयोग करना।
9. अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले गॉवों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना।

राष्ट्रीय कृषि आयोग 1971 में भी अपने प्रतिवेदन में एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गठन का सुझाव दिया था जो (बैंकिंग आयोग द्वारा अनुशंसित ग्रामीण बैंक के अनुरूप) साख प्रदाय आदानों की पूर्ति एवं कृषि सेवायें प्रदान करने का कार्य हाथ में ले सके।

भारत सरकार द्वारा भी यह अनुभव किया गया कि एक ऐसे नये संस्थान की स्थापना की आवश्यकता है जो ऐसी अभिवृत्ति एवं परिचालनात्मक लोकाचारों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकोषों से पूर्णतः भिन्न हो। नरसिम्हन समिति भारत सरकार ने 1 जुलाई 1975 को श्री एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में ग्रामीण बैंकों के गठन हेतु एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की जिसने 30 जुलाई 1975 को अपना 40 पृष्ठीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दल का यह विचार था कि सहकारी साख अभिकरणों तथा व्यावसायिक बैंकों का वर्तमान स्वरूप विभिन्न कमियों से युक्त है अतः एक उचित समय के लिए ग्रामीण साख की संस्थागत प्रणाली में अन्तर्निहित क्षेत्रीय क्रियात्मक व्यवस्था को सुगठित किया जाये। समिति का यह आशय था कि क्षेत्रीय विविधताओं के कारण किसी एक विशेष प्रकार के संस्थागत ढांचे से भी सभी क्षेत्रों के लिए अनुकूल परिणामों की प्रत्याशा नहीं की जा सकती, अतः यहां पर एक अंशतः साधारण प्रबन्धन करने के लिए यह आवश्यक है कि संस्थागत साख प्रदाय के साधनों की परिसीमा में वृद्धि की जाये तथा नये विकल्पों का भी इसमें समावेश किया जाये। समिति का मत था कि नये संस्थान में सहकारी ढांचे व व्यावसायिक बैकों के गुणों का समावेश हो। समिति का एक मत यह भी था कि प्रारम्भ में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक संस्था के रूप में पांच ग्रामीण बैंक खोले जाने चाहिए जिससे भविष्य में इस संस्था के विकास के लिए प्रारम्भिक परिचालन, जीवन क्षमता आदि के सन्दर्भ में व्यावहारिक मार्गदर्शी तथ्यों का ज्ञान हो सके। श्री नरसिम्हन समिति की कतिपय अनुशंसाएं निम्नानुसार रहीं-

1. प्रत्येक ग्रामीण बैंक व्यापारिक बैंकों की भांति कार्य करे।
2. ग्रामीण बैंक की अधिकृत अंशपूंजी एक करोड़ रुपये हो। प्रारम्भ में निर्गमित पूंजी 25 लाख रूपये हो जिसमें से 50 प्रति0 केन्द्र सरकार, 25 प्रति0 प्रवर्तक बैंक, 10 प्रति0 सम्बन्धित राज्य सरकार तथा शेष 15 प्रति0 अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों को विक्रय हेतु उपलब्ध हो। इस सम्बन्ध में समिति ने यह भी कहा था कि व्यक्तियों द्वारा क्रय किये गये अंशों पर एक वर्ष के सावधि जमा पर ब्याज की दर के बराबर अर्थात् 8 प्रति0 लाभांश प्रत्याभूति दी जानी चाहिए।
3. इस बंटवारे में केन्द्र सरकार बड़े हिस्सेदारों के कारण अपना नियन्त्रण ग्रामीण बैंकों पर रख सकेगी।
4. प्रवर्तक बैंक से अभिप्राय उस एक बैंक से है जो सम्बन्धित जिले में अग्रणी बैंक हो।
5. इसकी समीक्षा केन्द्र सरकार करेगी जो नियन्त्रित प्राथमिकताओं के अन्तर्गत राष्ट्र के आर्थिक विकास कार्यक्रम के संदर्भ में की जानी चाहिए।
6. प्रवर्तक बैंक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह 5 वर्षों तक अपने क्षेत्र में स्थापित ग्रामीण बैंक के कार्यालयों को प्रबन्धकीय, वित्तीय तथा प्रशिक्षणात्मक सहायता प्रदान करें।
7. इन बैंकों का प्रबन्ध लघु व्यवसायी प्रकृति के संचालक मण्डल द्वारा किया जाये। संचालक मण्डल में अध्यक्ष सहित 9 संचालक हों जिसमें उप-संचालक केन्द्र सरकार की ओर से, 2 संचालक प्रवर्तक बैंक की ओर से, 2 राज्य सरकार की ओर से तथा 2 अंशधारियों की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायें।

नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर 8 अगस्त 1975 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध संचालकों की सभा में इस पर विचार किया गया तथा सभा में समितियों की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग के सदस्य श्री बी. शिवरामन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य उन जनपदों की सूची उपलब्ध कराना था जो मुख्यतः किसी विशिष्ट सिंचाई परियोजना के अधीन हो जिनमें ग्रामीण बैंकों का गठन किया जा सके। संचालन समिति ने यह भी सुझाव दिया कि मार्च 1976 से पूर्व 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा 'जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड' द्वारा 25 प्रथम ग्रामीण बैंकों का गठन अवश्य किया जाना चाहिए। समिति द्वारा ग्रामीण बैंकों के गठन का दायित्व जिन व्यावसायिक बैंकों को प्रदान किया गया उन्हें प्रवर्तक बैंकों की संज्ञा दी गयी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन के कारण -

विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण बैंकों के गठन के निम्नलिखित मुख्य कारण रहे -

1 सहकारी साख संरचना की कमियां-

सहकारी बैंकों का इतिहास 81 वर्ष पुराना है फिर भी यह ग्रामीण समाज की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ग्रामीण कमजोर वर्ग के उत्थान में इनकी भूमिका असन्तोषजनक रही है। इसका कारण सहकारी साख संरचना की कमियां हैं। इनमें मुख्य प्रबन्धकीय कमियां, प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, निहित स्वार्थों का बोलबाला, स्थानीय बचतों को गतिशील करके निक्षेप एकत्रित करने की सामर्थ्य का अभाव, भ्रष्टाचार की अधिकता, कालातीत व अतिदेय राशियां साख सम्बन्धी समुचित

पर्यवेक्षण का अभाव, ऋण देने हेतु कोषों के लिए रिजर्व बैंक पर अत्यधिक निर्भरता तथा वित्तीय रूप से कमजोर होना आदि प्रमुख है। इन कमियों के कारण ही सहकारी साख ढांचा न तो अपने पैरों पर खड़ा हो सका है और न ही इसके द्वारा साख की समुचित परिणामात्मक व गुणात्मक पूर्ति ही संभव हो सकी है। अतः यह नये संस्थान के गठन को उचित माना गया जिसमें ये कमियां विद्यमान न हों।

2 <u>व्यावसायिक बैंकों का अभिजात चरित्र व सीमाएं</u>

यह सत्य है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय साख पूर्ति की है परन्तु फिर भी इनकी कुछ सीमाएं रहीं जैसे संचालन की ऊंची लागतें, नगरीय तथा अभिजात चरित्र, पूंजीगत साख अर्थात् मध्यावधि और दीर्घकालीन ऋणों की ओर अत्याधिक रुचि, स्थानीय समस्याओं तथा भावनाओं का अभाव, कर्मचारियों की गॉवों में रहने के प्रति अरुचि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उपेक्षा आदि। इन्हीं कारणों से बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंक अपने बड़प्पन तथा भव्यता के कारण ग्रामीण अंचल में अभावग्रस्त, निरक्षर, गरीब एवं पिछड़े हुए सीमान्त कृषक व लघु कृषकों, भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों, हरिजनों व आदिवासियों का उत्थान करने में कोई उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह एवं आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। इनकी पहुंच मुख्यतः आर्थिक रूप से समृद्ध ग्रामीण समुदाय की ओर ही रही है। इस कारण यह उपयुक्त समझा गया कि एक ऐसे संस्थान का गठन किया जाये जो इन दोषों से मुक्त हो तथा ग्रामीण समाज की समस्याओं के प्रति न केवल संवेदनशील हो अपितु उसमें समाहित होने की क्षमता रखता हो।

3 ग्रामीण समुदाय की परिस्थितियों तथा कृषि का आधारभूत ढांचा-

भारतीय ग्रामीण समाज परिवर्तन के दौर में है। आर्थिक विकास के कारण कृषि का परम्परागत स्वरूप पेचीदा और जटिल हो गया है। देश में न केवल साख पूर्ति की समस्या है अपितु अनुषांगिक रूप से आदानों की समुचित पूर्ति आधुनिक कृषि सेवाओं की समय पर उपलब्धता, वितरण तथा प्रक्रिया की सुविधाओं, समुचित मार्गदर्शन की भी समस्या है। इन समस्याओं के लिए एक ऐसे संस्थान के गठन की आवश्यकता महसूस की गयी जो समय पर साख की पूर्ति, सहायता सुविधाओं की पूर्ति किसी सहयोगी पूरक या सम्बद्ध संस्थान द्वारा सुनिश्चित कर सके।

4 पिछड़े व कमजोर वर्ग की उपेक्षा-

प्रायः सभी साख संस्थाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की है, इसलिए इस तथ्य पर विशेष जोर दिया गया कि नये संस्थान पर इस वर्ग की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति का भार डाला जा जाये।

5 संस्थागत साख की अपर्याप्तता-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन का एक कारण यह भी है कि पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में साख सम्बन्धी मांग की पूर्ति में संस्थागत साख का योगदान अपर्याप्त रहा है। गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा आधे से अधिक मांग की पूर्ति की जाती है अतः संस्थागत साख ढांचे की व्यापकता का विस्तार करने तथा महाजन व साहूकारों का बर्चस्व कम कर ग्रामीण ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए संस्थागत साख के वैकल्पिक साधनों की संख्या में वृद्धि करना उचित समझा गया।

आर्थिक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं कारीगरों को सरलतम व्यवस्था के अन्तर्गत संस्थागत साख उपलब्ध कर उन्हें ऋणग्रस्तता से मुक्त करने का था। नये आर्थिक कार्यक्रम के इस पहलू को आगे बढ़ाने के लिए ही भारत सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा देशभर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976-

2 अक्तूबर 1975 को गांधी जयन्ती के पावन अवसर पर मुरादाबाद, गोरखपुर(उ0प्र0),भिवानी(हरियाणा), जयपुर(राज0), मालदा(प0बं0)आदि जनपदों मे 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रारम्भ किया गया।

9 फरवरी 1976 को अध्यादेश का स्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ने ले लिया। इस अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं के विकास के उद्देश्य के लिए विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों व कृषि श्रमिकों, कारीगरों, छोटे व्यावसायिकों तथा उनसे सम्बन्धित प्रारम्भिक आवश्यकताओं हेतु साख व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रमुख प्रावधान

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के महत्वपूर्ण प्रावधान अग्र प्रकार हैं -

1 <u>क्षेत्राधिकार-</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यक्षेत्र एक राज्य के विशिष्ट जिलों तक ही सीमित होगा इसकी शाखाएं अधिसूचित क्षेत्र में ही होनी चाहिए। जनपदों की संख्या एक से पांच तक हो सकती है परन्तु जिलों की कृषि, जलवायु तथा ग्रामीण वातावरण में समानता होनी चाहिए। एक शाखा के अन्तर्गत एक से तीन विकास-खण्ड आने चाहिए तथा उसे इस स्थिति में होना चाहिए कि वह 5 से 10 तक कृषक सेवा समितियों का वित्त पोषण कर सकें।

2 <u>प्रवर्तक-</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित होने चाहिए। इसका गठन प्रवर्तक बैंक द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए।

3 <u>पूंजी ढांचा-</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 25 लाख रूपये होनी चाहिए प्रदत्त पूंजी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक का अभिदान क्रमशः 50 : 15 : 35 के अनुपात में होना चाहिए।

4 <u>प्रबन्ध-</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबन्ध अध्यक्ष सहित 9 संचालकों के मण्डल द्वारा किया जाना चाहिए। संचालकों की संख्या केन्द्र सरकार के अनुमोदन पर 15 तक बढ़ायी जा सकती है। बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार

द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त संचालक मण्डल में केन्द्र सरकार तीन संचालकों को मनोनीत करेगी। इसी प्रकार प्रवर्तक बैंक के 3 संचालकों तथा राज्य सरकार 2 संचालकों को मनोनीत करेगी।

5. व्यवसाय-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वे सभी बैंकिंग व्यवसाय कर सकता है जो एक व्यावसायिक बैंक द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं किन्तु ऋण व अग्रिमों के सम्बन्ध में अधिनियम में ये प्रावधान है कि ग्रामीण बैंक -

(i) विशेषकर लघु सीमान्त कृषकों तथा सभी प्रकार की सहकारी साख समितियों को कृषि कार्यों तथा उससे सम्बन्धित उद्देश्यों हेतु ऋण व अग्रिम प्रदान करेगा।

(ii) विशेषकर कारीगरों, छोटे उद्यमियों तथा व्यापार वाणिज्य, उद्योगों व अन्य उत्पादक क्रियाओं में संलग्न अल्प साधनों वाले व्यक्तियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करेगा।

अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक परिपत्र दिनांक 23.02.76 द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विस्तार से मार्गदर्शी अनुदेश जारी किये हैं। इस अनुदेश में 'विशेषकर' शब्द को घटाकर 'मात्र' शब्द रखा गया है जिसके कारण ग्रामीण बैंकों का ऋण व्यवसाय केवल लघु व सीमान्त कृषकों, ग्रामीण कारीगरों व व्यवसायियों एवं सहकारी समितियों तक ही सीमित हो गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 1986

भारत सरकार द्वारा श्री एस.एस. केलकर की अध्यक्षता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा उनकी समग्र क्षमता बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर आधारित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम 1987 द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में संशोधन किया था। यह संशोधन 28 सितम्बर 1988 से लागू हुआ। संशोधित अधिनियम के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं –

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये और प्रदत्त अंशपूंजी 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गयी है।

(ii) क्षेत्रीय गामीण बैंकों के अध्यक्ष की नियुक्ति सम्बन्धित प्रायोजक बैंक द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से की जायेगी।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के सम्बन्ध में प्रायोजक बैंकों को और अधिक उत्तरदायित्व सौंपा गया। अब इन बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूंजी में अभिदान करने के अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके 5 वर्ष की कार्यावधि के दौरान उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण देना होगा और प्रबन्धकीय और वित्तीय सहायक की भूमिका अदा करनी होगी।

(iv) इस अधिनियम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्मेलन का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बैंक और संबंधित राज्य तथा प्रायोजक बैंक के परामर्श से दो या इससे अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्मेलन किया जा सकता है। इस पर उचित विचार किये जाने के पश्चात् इस सम्बन्ध में सरकार के राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जायेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मुख्य विभेदक विशेषताएं-

इन बैंकों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं -

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैक संसद के विशिष्ट अधिनियम द्वारा गठित हैं।

(ii) सीमित क्षेत्राधिकार के कारण ये आंचलिक स्वभाव रखते हैं।

(iii) ये मुख्यतः ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग की उत्पादक एवं उपभोग सम्बन्धी उद्देश्यों हेतु ऋण प्रदान करते हैं

(iv) ये केन्द्र सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकार तथा वाणिज्यिक बैंकों (जिन्हें प्रवर्तन बैंक कहा जाता है) द्वारा गठित अधिकोषीय उपक्रम हैं।

(v) इनमें वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के स्वस्थ आधारों का समन्वय है।

(vi) इन बैंकों की रीतियों व प्रशासन पर केन्द्र सरकार संगठन व प्रबन्ध पर प्रवर्तक बैंक तथा सेवा-नियमों आदि पर राज्य सरकार का नियन्त्रण है।

वाणिज्यिक बैंक एवं ग्रामीण बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन-

राष्ट्रीयकृत बैंक आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। बैंक वास्तव में शहरी क्षेत्रों की उपज हैं जिन्हें ग्रामीण गरीबों तक पहुंचाने में इन बैंकों ने पर्याप्त योगदान दिया है। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना करने से निम्नलिखित समानताएं दृष्टव्य हैं -

समानताएं-

(i) वाणिज्यिक बैंक एवं ग्रामीण बैंक दोनों ही अनूसूचित श्रेणी की बैंक हैं।

(ii) दोनों ही निक्षेप स्वीकार करती हैं एवं साख प्रदान करती हैं।

(iii) वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों का नियमन एवं नियन्त्रण बैंकिंग अधिनियम 1948 के अधीन होता है किन्तु ग्रामीण बैंकों की शैशवावस्था है अतः इन्हें कुछ छूट प्रदान की गयी है।

असमानताएं-

(i) वाणिज्यिक बैंकों का सम्मेलन बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 एवं इसका निर्गम तथा नियन्त्रण बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अधीन होता है। ग्रामीण बैंकों का सम्मेलन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अधीन होता है।

(ii) वाणिज्यिक बैंकों की परिचालन लागत उच्च है।इसकी तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालन लागत न्यून है।

(iii) वाणिज्यिक बैंक मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ग्रामीण बैंकों की शाखाएं ग्रामीण अंचलों में खोली जाती हैं।

(iv) वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ग्रामीण बैंकों में क्षेत्रीय प्रधानता है क्योंकि ग्रामीण बैंक एक निश्चित क्षेत्र के लिए ही खोली जाती है और इसका कार्यक्षेत्र

सीमित होता है जबकि वाणिज्यिक बैंक अपनी शाखाएं देश में किसी भी स्थान पर खोल सकता है।

(v) वाणिज्यिक बैंक वर्तमान में आत्मनिर्भर अवस्था में हैं एवं इनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। ग्रामीण बैंक प्रारम्भिक अवस्था में हैं तथा इनकी वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में ये पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं।

(vi) वाणिज्यिक बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक आधार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। ग्रामीण बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व पिछड़े समाज के आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग सुविधाएं सहकारी तथा व्यापारिक आधार पर प्रदान करना है।

(vii) ग्रामीण बैंकों द्वारा मुख्यतः कृषि व ग्रामीण साख प्रदान की जाती है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुख्यतः व्यावसायिक औद्योगिक नगरीय साख दी जाती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचनात्मक संरचना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पत्ति 26 सितंम्बर 1975 के अध्यादेश द्वारा हुई थी जिसे कानूनी रूप प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम-1976 (1976 के अधिनियम संख्या 21, दिनांकित 9 फरवरी 1976) के माध्यम से प्राप्त हुआ। अधिनियम बनने के उपरान्त ही पूर्ण रूपेण यह स्पष्ट हो गया कि इन ग्रामीण बैंकों के क्या कार्य होंगे, इनकी संरचना कैसी होनी चाहिए। काफी कुछ इस अधिनियम की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य-उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के प्रयोजनार्थ प्रत्यक्ष तथा अन्य सुविधाओं, विशिष्ट तथा छोटे एवं सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को प्रदान

करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन एवं परिसीमन तथा उनसे सम्बन्धित एवं उनके आनुषंगिक विषयों का प्रबन्ध करने के लिये इस अधिनियम का निर्माण हुआ जो कि भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ।

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम-1976 है जिसे हम संक्षिप्त रूप में 'आर0आर0बी0 एक्ट-1976' नाम से सम्बोधित करते हैं जिसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है एवं इसे 26 सितम्बर सन् 1975 को प्रवृत्त हुआ ही समझा जाता है। इस अधिनियम में प्रयुक्त 'अधिसूचित क्षेत्र से तात्पर्य उन स्थानीय सीमाओं से है जिनके भीतर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कार्य करता है।

राज्य सरकार से तात्पर्य किसी संघराज्य क्षेत्र में स्थापित ग्रामीण बैंक के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं किसी राज्य में स्थापित ग्रामीण बैंक के सम्बन्ध में उस राज्य सरकार से है

जमुना ग्रामीण बैंक

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ग्रामीण क्षेत्रों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषक भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण दस्ताकर आदि को उत्पादन सम्बन्धी ऋण प्रदान कर उनकी आर्थिक दशा सुधारने की दृष्टि से कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1 जुलाई 1975 को श्री एम. नरसिम्हा की अध्यक्षता में इस कार्यकारी दल का गठन किया गया। उस समय यह अनुभव किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्रामीण समुदाय विशेषतया कमजोर वर्ग की बैंकिंग

आवश्यकताओं को अपेक्षित स्तर तक पूरा नहीं कर पा रहे थे। ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कम खर्च पर ग्रामीण जनता एवं कमजोर वर्ग को ऋण सुविधायें उपलब्ध कराना था। सितम्बर 1975 में संसद द्वारा विधान पारित कर उसी वर्ष पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से इस उद्देश्य की शुरूआत के रूप में की गयी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग कृषि श्रमिकों व लघु उद्यमियों को कृषि के व्यापार एवं व्यवसाय उद्योग को ऋण प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था।

जमुना ग्रामीण बैंक की स्थापना–

केनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित आगरा स्थित अपने प्रदान कार्यालय के साथ जमुना ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत 2 दिसम्बर 1983 को की गयी थी। उस समय बैंक की शाखायें कम थीं। वर्ष 1995 में कुल बैंक की शाखायें 42 थीं। वर्तमान में इस बैंक की 39 शाखायें कार्यरत हैं। बैंक का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के दो जिलों यथा आगरा एवं फिरोजाबाद है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लघु व सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को ऋण तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं उत्पादन क्रियाओं को विकसित कर सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की लाभदायकता कम होने का प्रमुख कारण साख अन्तराल रहा है। जब उद्योगों के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वे पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत अधिक हो जाती है। अतः इस साख अन्तराल को पूरा करने का दायित्व भी इस बैंक को दिया गया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक उन्नत तकनीक के प्रयोग तथा उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु धन की व्यवस्था ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सुगम बनाने के प्रयास किये गये। यह बैंकें लाभ

कमाने वाली संस्थाएं न होकर आर्थिक विकास में सहयोग करने वाली संस्थाएँ हैं। इससे ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारा है।

जमुना (क्षेत्रीय) ग्रामीण बैंक का परिचय

(1) **कार्य क्षेत्र** – भौगोलिक दृष्टि से इस बैंक का कार्यक्षेत्र आगरा तथा फिरोजाबाद में फैला हुआ है। फिरोजाबाद क्षेत्र में शाखाएँ कम तथा आगरा जिले में शाखायें काफी अधिक हैं। यह अन्तर प्रदेश के दक्षिण–पश्चिम में स्थित है। यह जनपद अपनी ऐतिहासिकता एवं दर्शनीयता के कारण पूरे संसार में विख्यात है।

(2) **स्थापना**– जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत 2 दिसम्बर 1983 को की गयी थी। यह बैंक केनरा बैंक के द्वारा प्रवर्तित है। इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण आगरा तथा फिरोजाबाद तक है। इन जिलों में 15 विकास खण्डों में अपनी 39 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अन्तर्गत बैंकिंग कार्य सम्पादित करते हेतु अधिकृत है।

भारत सरकार वित्त मन्त्रालय– नई दिल्ली की अधिसूचचना के अनुसार दिनांक 01.06.2006 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित केनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित तीनों ग्रामीण बैंक अर्थात् अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़, ऐटा ग्रामीण बैंक, ऐटा, जमुना ग्रामीण बैंक आगरा का आपस में विलय कर दिया गया। जिससे श्रेयस ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी। तीनों ग्रामीण बैंक श्रेयस ग्रामीण बैंक केनरा बैंक के अन्तर्गत कार्य कर रही है तथा जमुना ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय आगरा से हटाकर अलीगढ़ कर दिया गया है। वर्तमान में जमुना ग्रामीण बैंक को श्रेयस ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना

1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निगमन

2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालय एवं अभिकरण

3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी

4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबन्ध

5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कारोबार

6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का लेखा एवं लेखा परीक्षा

7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अन्य शक्तियां एवं बाध्यताएं

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निगमन

यदि किसी बैंक ने किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करने की प्रार्थना की है तो केन्द्रीय सरकार किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक या एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ऐसे नाम से कर सकती है जो अधिसूचना में निर्धारित किया गया हो एवं उक्त या पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उन स्थानीय सीमाओं को निर्देशित करती है जिनके भीतर ऐसा प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर सकती है।

प्रत्येक क्षेत्रीय बैंक शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुद्रा वाला एवं नियमित निकाय

आर0आर0बी0 एक्ट 1976 धारा 3(1),पृष्ठ संख्या-2

होता है एवं उसे अधिनियमों के उपबधों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति के अर्जन धारा एवं व्यय करने की शक्ति होती है ।

प्रायोजक बैंक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उसकी शेयर पूँजी के लिए प्रतिश्रुति कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के काम करने के प्रथम पाँच वर्षो के दौरान कार्मियों की भर्ती करके एवं उन्हें प्रशिक्षण देकर साथ ही ऐसी प्रबंधकीय तथा वित्तीय सहायता देकर जैसी कि प्रायोजक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बीच करार किया जाए उसकी सहायता करे ।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालय एवं अभिकरण

क्षेत्रीय प्रादेशिक ग्रामीण का प्रधान कार्यालय अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे स्थान पर होता है जो केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक एवं प्रायोजक बैंक से परामर्श करके राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की राय में अधिसूचित क्षेत्र किसी स्थान पर अपनी शाखाएं या अपने अभिकरण स्थापित करना आवश्यकता है तो वह ऐसा कर सकता है ।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूँजी

इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास निर्गमित एवं प्राधिकृत पूँजी का प्रावधान किया गया है, प्रारंभ में प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूँजी एक करोड़ रूपए रखी गई थी जो सौ-सौ रूपये के एक लाख पूर्णतः समादत्त शेयरों में विभक्त थी । परंतु केन्द्र सरकार, रिजर्व बैंक एवं प्रायोजक बैंक से परामर्श करके ऐसी प्राधिकृत पूँजी को बढ़ा या हटा सकती है परंतु इस प्रकार ही कि प्राधिकृत पूँजी पच्चीस लाख रूपये से कम

आर0आर0बी0 एक्ट 1976 धारा 3(3), पृष्ठ संख्या-2

न हो एवं सभी दशाओं में शेयर सौ-सौ रूपये में पूर्णतः समदत्त शेयरों के रूप में ही हों।

इस क्रम में केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को प्राधिकृत पूँजी को बढ़ाकर पाँच करोड़ रूपये कर दिया गया है इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूँजी प्रारम्भ में पच्चीस लाख रूपये थी। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड को अधिकार दिया जाता है कि यह रिजर्व बैंक /संबन्धित राज्य सरकार एवं प्रायोजित बैंक से परामर्श करके एवं केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूँजी समय-समय पर बढ़ा सके। जहाँ अतिरिक्त पँजी निर्गमित की जाती है वहाँ एसी पूँजी के लिए भी निम्नानुसार में ही प्रतिश्रुति की जा सकती है। निर्गमित पूँजी के पचास प्रतिशत के लिए संबन्धित राज्य सरकार एवं पैंतीस प्रतिशत के लिए प्रायोजक बैंक प्रतिश्रुति करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयरों को भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 20 में प्रमाणित प्रतिभूतियों के अंतर्गत ही समझा जाता है एवं उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949के प्रायोजनों के लिए भी अनुमोदित प्रतिभूतियाँ समझा जाता है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का प्रबन्ध

आर0आर0बी0 एक्ट 1976 के अधीन रहते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का साधारण अधीक्षण निर्देशन एवं कामकाज तथा कारोबार का प्रबन्ध निदेशक मण्डल में निहित होता है जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रयोग या निर्वहन किये जाते हैं।

4.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निदेशक मण्डल बोर्ड

इस अधिनियम की धारा 11(1) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक निदेशक बोर्ड का गठन किया जाता है -

{क} केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित/निर्देशित अधिकतम तीन सदस्य

{ख} सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अधिकतम दो सदस्य

{ग} प्रायोजक बैंक द्वारा नामित अधिकतम तीन सदस्य

इन सदस्यों को निदेशक कहा जाता है। केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा भी सकती है किन्तु निदेशकों की कुल संख्या 15 से अधिक नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार की वह रीति भी विहित करती है कि किस प्रकार यह संख्या भरी जायें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष ही इस निदेशक बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है।

4.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अध्यक्ष

अधिनियम के अनुसार सरकार किसी व्यक्ति को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है एवं अधिक से अधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके लिए ऐसा व्यक्ति धारा 6(4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्य करता है। वर्तमान में प्रचलन में यह अवधि तीन वर्ष की है एवं अध्यक्ष प्रायोजक बैंक का ही अधिकारी होता है।

धारा 6(1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट अवधि के अवमान से पूर्व किसी भी समय अध्यक्ष को कम से कम तीन माह की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले तीन माह का वेतन एवं भत्ता देकर उसकी पदावधि

आर0आर0बी एक्ट 1976 धारा 11 {पृष्ठ संख्या 3}

समाप्त करने का अधिकार होता है एवं इसी तरह अध्यक्ष को भी तीन माह की लिखित सूचना केन्द्रीय सरकार को देकर पदत्याग करने का अधिकार होता है जिसका प्रयोग वह विनिर्दिष्ट अवधि में कभी भी करने को स्वतन्त्र होता है।

अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर पुनःनियुक्ति पाने के लिए स्वतन्त्र होता है। अध्यक्ष को अपना सम्पूर्ण समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कामकाज में ही लगाने को बाध्य किया गया है। उसे बोर्ड के अधीक्षण नियन्त्रण एवं निर्देशन के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सम्पूर्ण कामकाज का प्रबन्धन करना होता है।

यदि अध्यक्ष अंग शैथिल्यता के कारण या अन्यथा अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो जाता है या छुट्टी के कारण या ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उसका पद रिक्त नहीं होता अनुपस्थित है, तो केन्द्रीय सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

अध्यक्ष ऐसे वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है एवं सेवा के ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों द्वारा शासित होता है जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है। चूंकि अध्यक्ष प्रायोजक बैंक का कार्यरत अधिकारी होता है इसलिए उसे प्रायोजक बैंक के वेतन-भत्ते एवं अध्यक्ष के रू॰ में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है।

4.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशकों की निरर्हताएं -

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 12 के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में यथास्थिति नियुक्त या नाम निर्देशित किये जाने के लिए एवं

1. आर0आर0बी0 एक्ट 1976 की धारा 11{6} पृष्ठ संख्या 3

निदेशक होने के लिए निरर्हरित या अपात्र होता है यदि -

{क} वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका हो।

{ख} उस व्यक्ति ने अपने ऋण संदाय को निलम्बित कर लिया हो।

{ग} उस व्यक्ति ने अपने लेनदारों से समझौता कर लिया हो

{घ} वह व्यक्ति विकृत-चित्त हो एवं सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो।

{ड़} वह व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो जिसमें केन्द्रीय सरकार की राज में नैतिक अहमता अन्तर्ग्रस्त हो ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों एवं निदेशकों के पदों की स्थिति

यदि किसी निदेशक का स्थान रिक्त हो जाता है तो -

निदेशक धारा 12 में वर्णित किसी भी निरर्हता के अधीन हो जाता है अथवा बोर्ड के लगातार तीन या तीन से अधिक अधिवेशनों में बोर्ड की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है।

4.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड के अधिवेशन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिवेशन ऐसे समय एवं स्थान पर होते हैं एवं वह अपने अधिवेशनों में कम कामकाज के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करते हैं जो विहित किये गये हों।

आर0आर0बी0 एक्ट 1976 की धारा 14 पृष्ठ संख्या 4

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष ही प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यदि ग्रामीण बैंक अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो वह निदेशक अध्यक्षता करता है जिसे अध्यक्ष साधारणतया या किसी विशिष्ट अधिवेशन के लिए प्राधिकृत करता है। किन्तु अध्यक्ष या इस प्रकार प्राधिकृत निदेशक की अनुपस्थिति में अधिवेशन के उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए निर्वाचित कर लेते है।

4.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशकों/सदस्यों की फीस व भत्ते

समिति या बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक सदस्य को ऐसी फीस एवं भत्ते प्रदान किये जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार,

रिजर्व बैंक अथवा प्रायोजक बैंक या अन्य किसी बैंक का अधिकारी है तो उसे कोई फीस देय नहीं होती।

ऐसे निदेशक या समिति के सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार रिजर्व बैंक का प्रायोजक बैंक या किसी अन्य बैंक का अधिकारी है, देय भत्तों का निर्वहन वह सरकार या बैंक करता है जिसके द्वारा वह नियोजित किया गया है एवं किसी अन्य निदेशक/समिति के सदस्य को देय भत्तों एवं फीस का निर्वहन सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को करना होता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारीगण

क्षेत्रीय ग्रामीण बै ।कों को अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार है। इनकी सेवा के निबन्धनों एवं शर्तों का अवधारणा भी नहीं करता है। यदि कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजक बैंक से प्रार्थना करता है तो प्रायोजक बैंक के लिए आवश्यकता

है कि स्थापना के प्रथम पांच वर्षों तक उतने अधिकारियों/कर्मचारियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जितने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारियों का वेतन वही होता है जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जो प्रारम्भ में राज्य सरकारों के विभिन्न पदों के समकक्ष था किन्तु राष्ट्रीय औद्योगिक पंचाट के निर्णयानुसार वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के समान कर दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हैं जो बोर्ड द्वारा उनको सौंपे जाते हैं या प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कारोबार

वैसे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंककारी अधिनियम 1949 में परिभाषित बैंककारी कारोबार चलाने की व्यवस्था, आर0आर0बी0 एक्ट 1976 में की गयी थी किन्तु इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं -

(क) विशिष्टतया छोटे एंव सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को अलग-अलग या समूह में और सरकारी समितियों को जिनके अन्तर्गत कृषि विपणक समितियां, कृषि प्रसंसकरण, सहकारी कृषि कर्म समितियाँ, प्राथमिक कृषि, प्रत्यय समितियां एवं कृषि सेवा समितियाँ भी हैं। कृषि प्रयाजनों या कृषि संक्रियाओं या उनसे संबन्धित अन्य प्रयोजनों के लिए उधार या अग्रिम देना।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबन्ध में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर विशिष्टतया कारीगरों, छोटे उद्यमियों एवं कम साधन वाले ऐसे व्यक्तियों को जो व्यापार वाणिज्य या उद्योग या अन्य उत्पादन कार्यो में लगे हुए हों उधार या अग्रिम देना।

आर0आर0बी0 एक्ट 1976 की धारा 14 पृष्ठ संख्या 4

किन्तु इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों तक सीमित रखने के कारण इनकी बढ़ती हुई हानियों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह से उन्हें 40 प्रति0 तक गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण वितरण की अनुमति प्रदान कर दी है जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने प्रारम्भ हो गये हैं।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखा एवं लेखा परीक्षा-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की लेखाबही एवं लेखा परीक्षण की स्थिति की निम्नवत् विवेचना की गई है -

6.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखाबन्दी

अधिनियम के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की लेखाबन्दी प्रतिवर्ष दिसम्बर से अन्त में दिखाये हुए सम्पूर्ण बहियों को बन्द करके सन्तुलित कराने एवं लेखाओं की परीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से लेखा परीक्षक की नियुक्ति की अपेक्षा की गई थी किन्तु सन् 1989 से रिजर्व बैंक ने उक्त तिथि को बदलकर 31 मार्च कर दिया है।

6.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लेखा परीक्षा

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रत्येक परीक्षक ऐसा व्यक्ति होता है जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के अधीन किसी कम्पनी के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अर्ह है एवं ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी होता है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केन्द्र सरकार के अनुमोदन से नियत करता है।

प्रत्येक लेखा परीक्षक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वार्षिक तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता की एक प्रति एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा रखी गई सभी बहियों की सूची दी जाती है एवं लेखा परीक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह तुलन-पत्र एवं उससे सम्बद्ध वाउचरों की जांच करें एवं लेखा परीक्षक अपने कर्तव्यों के पालन करे।

{क} क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बहियों, लेखा एवं अन्य दस्तावेजों को देखने का अधिकारी होता है

{ख} वह ऐसे लेखाओं के अन्वेषण में अपनी सहायता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के व्यय लेखपालों एवं अन्य व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है

{ग} वह ऐसे लेखाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष या किसी अधिकारी/कर्मचारी की परीक्षा कर सकता है।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 9 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रत्येक लेखा परीक्षक वार्षिक तुलन-पत्र एवं लेखाओं के सम्बन्ध में उस बैंक की रिपोर्ट करता है एवं ऐसे प्रत्येक रिपोर्ट में यह कथन होता है कि

{1} क्या उसकी राय में तुलन-पत्र ऐसा पूर्ण एवं उचित तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक प्रविष्टियां हैं एवं वह ऐसे समुचित रूप में तैयार किया गया है जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रिया-कलाप की स्थिति ठीक एवं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गयी है।

{2} क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जिन व्यवहारों की सूचना उसे मिली है वे उस बैंक की शक्तियों के अन्तर्गत है या नहीं।

आर0आर0बी0 एक्ट 1976 की धारा 19 पृष्ठ संख्या 5, 6

{3} क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियों उसकी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है या नहीं?

{4} लाभ हानि लेखा से उस अवधि के लाभ या हानि का जिस अवधि के बारे में वह लेखा है सही हिसाब प्रदर्शित होता है या नहीं एवं

{5} कोई अन्य विषय जिसके बारे में वह सोचता है कि उसकी सूचना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिलनी चाहिए।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लेखावर्ष की समाप्ति की तारीख से साठ दिन के अन्दर अपने प्रत्येक अंशधारी को लेखा वर्ष के दौरान अपने कार्यकरण एवं कामकाज की रिपोर्ट देता है जिसके साथ तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा की सम्बन्धित लेखावर्ष के लेखाओं के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में अवक्षेपण, कर्मचारीवृन्द एवं अधिवार्षिकी निधियों में अभिदाय तथा सभी ऐसे अन्य विषयों के लिए उपबन्ध करना विधि के अधीन आवश्यक है या जिनके लिए बैंककारी कम्पनियों द्वारा प्रारम्भिक रूप से उपबन्ध किया जाता है अपने शुद्ध लाभों में से लाभांश घोषित कर सकता है।

ब्याजकर अधिनियम 1974 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी ब्याज कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

आर0आर0बी0 एक्ट 1976 की धारा 14 पृष्ठ संख्या 4

{7} क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शक्तियां एवं बाध्यताएं

7.1 केन्द्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसे विषयों के बारे में जो नीति एवं लोकहित से सम्बन्धित हैं, ऐसे निर्देशों का पालन करते हैं जो केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करके प्रदान करता है। यदि ऐसा कोई निर्देश नीति के ऐसे विषय से सम्बद्ध है जिसमें लोकहित अंतर्ग्रस्त है तो केन्द्र सरकार का विनिश्चय अंतिम होता है।

7.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता

अधिनियम की धारा 25 के अनुसार जब तक विधि द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी पद्धतियों एवं प्रथाओं का अनुपालन करते हैं जो बैंकरों में रूढ़िगत है एवं वह विशिष्टतया कोई जानकारी जो उसकी सहायकों के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में हो केवल उन्हीं परिस्थितियों में प्रकट करेगा जिनमें विधि या बैंकरों में रूढ़िगत पद्धति एवं प्रथा के अनुसार उसे प्रकट करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए आवश्यक या समुचित है अन्यथा नहीं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रत्येक निदेशक समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक अधिकारी या अन्य कर्मचारी को भी अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इस सम्बन्ध में निश्चिम प्रारूप में विश्वस्तता एवं गोपनीयता की घोषणा करने को बाध्य किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्रवर्तक में सम्बन्ध

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 3(3) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्रवर्तक बैंक के सम्बन्धों को परिभाषित करता है। इसके अनुसार प्रवर्तक बैंक ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा, अभिदान स्टॉफ की भर्ती तथा प्रशिक्षण प्रबन्धकीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती है।

शाखा प्रबन्धक-

बैंक का शाखा प्रबन्धक ऐसा व्यक्ति है जो ग्राहकों के बहुत सम्पर्क में आता है। वस्तु बैंक अधिकांश व्यवसाय शाखा प्रबन्धकों की कुशलता, व्यक्तिगत व्यवहार एवं सम्बन्धों पर निर्भर करते हैं इस दृष्टि से शाखा प्रबन्धक एवं अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जो ग्राहकों में बैंक के प्रति निष्ठा उत्पन्न कर सके और अपने व्यवहार से बैंक का गौरव ढांचा रख सके।

क्षेत्रीय पर्यवेक्षक-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की द्वितीय श्रेणी में क्षेत्र पर्यवेक्षक/सहायक आते हैं। क्षेत्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति बड़ी शाखाओं में अधिकारियों की श्रेणी में होती है। क्षेत्र पर्यवेक्षक कृषि, ग्रामीण कारीगर, फुटकर व्यापारी और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की जो ग्रामीण अंचलों में रहते हुए कार्य करते हैं ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करने में मदद करता है। वह शाखा में निम्न सहायक कार्य करता है -

(i) कैम्प में उपस्थित होना

(ii) आवेदन प्रक्रिया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संगठनात्मक संरचना
प्रवर्तक बैंक केन्द्र
सरकार
राज्य सरकार
संचालक मंडल
अध्यक्ष
विशेष अधिकारी
प्रबन्ध लेखा विभाग
प्रबन्ध सेविवर्गीय
प्रबन्धक वित्त स्वयोजाना विभाग
अन्य प्रबन्धक
कृषि अधिकारी
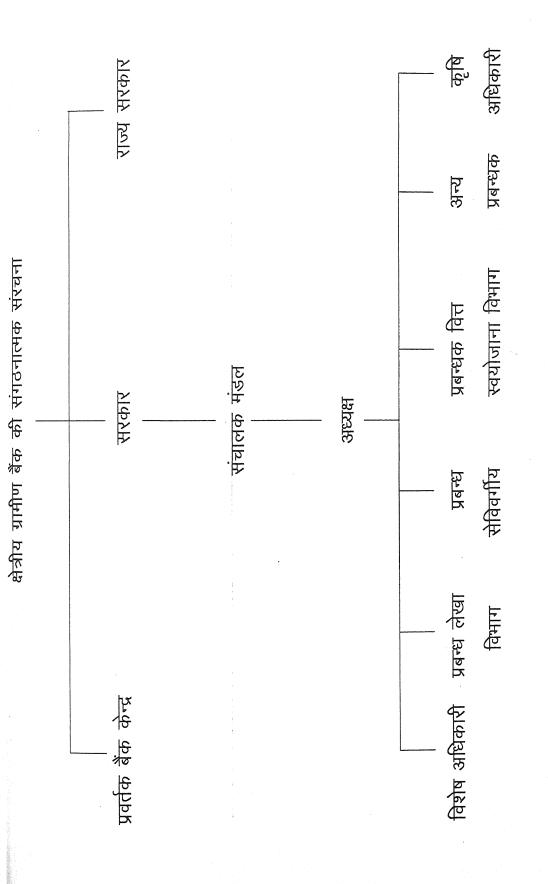
(iii) आवेदकों के पूर्व एवं बाद स्वीकृति

(iv) स्थल प्रमाणीकरण

(v) ऋणों का निरीक्षण

(vi) ऋणों की वसूली

(vii) कृ-ाकों को निक्षेप विनियोजन हेतु शिक्षित करना

क्षेत्र पर्यवेक्षक के संचालन क्षेत्र का आवंटन मुख्यालय प्रबन्धक द्वारा किया जाता है।

लिपिक-

बैंक कर्मचारियों की अन्य श्रेणी में लिपिक संवर्ग आते हैं। बैंक में लिपिक दो श्रेणियों में विभक्त होते हैं- वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक। लिपिक बैंकिंग व्यवसाय की महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि लिपिक ग्राहकों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आते हैं

आशुलिपिक/टंकक-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नियुक्त आशुलिपिक/टंकक को राज्य सरकार के आशुलिपिक/टंकक के समान वेतन-भत्ते/अनुलाभ का भुगतान किया जाता है। इनकी नियुक्ति मुख्यालय स्तर पर की जाती है।

संदेशवाहक/ड्राइवर-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आवश्यकतानुसार ड्राइवर/संदेशवाहक की नियुक्ति कर सकती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान इनके वेतन-भत्ते और अनुलाभ आदि का भुगतान किया जाता है।

चपरासी-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार बैंक में स्थायीय चपरासी की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु व्यवहार में सामान्यत:बैंक अंशकालीन चपरासी या दैनिक वेतनभोगी की व्यवस्था कर सकता है।

बैंकर-

बैंकर प्रत्येक वह व्यक्ति होता है जो बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था एवं कार्य संचालन में सहयोग देता है। इस परिभाषा के अनुसार लिपिक, लेखाकार, शाखा प्रबन्धक एवं अन्य सभी कार्यकर्ता बैंकर की श्रेणी में आते हैं। बैंकिंग व्यवसाय की प्रगति एवं सफल संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बैंकर के कन्धों पर होता है अतः एक बैंकर में निम्न गुण अवश्य होने चाहिए -

(i) हिसाब-किताब में मौलिक सिद्धान्तों की पूर्ण जानकारी।

(ii) दैनिक व्यवहार से सम्बन्धिक सभी प्रकार के कानूनों एवं नियमों की जानकारी।

(iii) आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण का आवश्यक ज्ञान।

(iv) सज्जन, अध्ययनशील एवं नवीनतम जानकारियों का ज्ञान।

(v) आकर्षक व्यक्तितत्व, तीक्ष्ण बुद्धि से सम्पन्न।

(vi) मिलनसार एवं मित्रभाव

(vii) विचारक एवं कार्यशील

कार्मिक प्रबन्ध-

कार्मिक प्रबन्ध के अन्तर्गत उत्तरदायित्व निर्वहन कार्यानुसार लोचशीलता लाभ हितार्थ, अन्वेषण समस्याओं एवं जोखिमों में आशावादी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रबन्ध की सफलता के तीन प्रमुख तत्वों में गणना, वचनबद्धता और नियन्त्रण है।

भर्ती-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कर्मचारियों की भर्ती के मामले में स्वतन्त्र है परन्तु कुछ वर्षों तक उन्होंने प्रवर्तक बैंक के अनुभवी अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर सेवायें अर्जित की हैं। बैंक के कर्मचारियों को राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के समान पारिश्रमिक प्राप्त होता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना में बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों की स्थिति निम्न प्रकार है-

1.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का शाखा प्रबन्धक	राज्य सरकार के विकास-खण्ड अधिकारी
2.	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक/सहायक	विकास-खण्ड विस्तार अधिकारी
3.	कनिष्ठ लिपिक	विकास-खण्ड में निम्न श्रेणी लिपिक

नियुक्ति हेतु योग्यतायें-

1. <u>अधिकारी-</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। कृषि विकास, साख, सहकारिता अथवा कृषि, बैंकिंग क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है।

2. <u>क्षेत्रीय पर्यवेक्षक-</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातक।

(i) **<u>वरिष्ठ लिपिक</u>** - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(ii) **<u>कनिष्ठ लिपिक</u>**- मैट्रीकुलेशन/हायर सेकण्डरी या उसके समकक्ष उत्तीर्ण।

अन्य मापदण्ड-

विभिन्न श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी के चयन में निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जाते है -

(i) शाखा प्रबन्धक की भर्ती के लिए अभ्यर्थी को राज्य का निवासी होना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित क्षेत्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) क्षेत्रीय पर्यवेक्षक और लिपिकों की भर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा की जाती है। बैंक द्वारा अधीनस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थियों को चयन पश्चात उसी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिपिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बैंक अधीनस्थ जिलों के समीप वाले जिलों या राज्य में से अभ्यर्थियों की नियुक्ति करती है तथा अपने संचालित क्षेत्र के अनुसूचित जनजनतियों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सीधी भर्ती के समय राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत को भी अपनाया जाता है।

नियुक्ति प्रक्रिया-

राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबन्ध संस्थान से सलाह करने के उपरान्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने संचालित क्षेत्र और राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यक विवरण जैसे - पदनाम, पदों की संख्या?, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, योग्यताएं, आयुसीमा, आरक्षण, अन्तिम तिथि, परीक्षा की संभावित तिथि एवं परीक्षा केन्द्र आदि का उल्लेख करते हुए विज्ञापित करती है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को समाचार-पत्रों के माध्यम से साक्षात्कार कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की जाती है। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की बैंक कर्मचारियों/ अधिकारियों की भर्ती की जाती है।

1. **प्रबन्धक** - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संगठनात्मक संरचना में प्रबन्धक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रबन्धक बैंक का प्रशासनिक अधिकारी होता है।

2. **प्रबन्धक {सेविवर्गीय}** - सेविवर्गीय प्रबन्धक ग्रामीण बैंक के कर्मचारियो की समस्याओं के निराकरण एवं उनकी सुख-सुविधाओं तथा बैंकों के उद्देश्यों की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता है।

3. **प्रबन्धक {कृषि एवं योजना विभाग}** - यह प्रबन्धक बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं उससे सम्बन्धित हित ग्राहियों की समस्याओं का निराकरण करके कृषि विकास में योगदान करता है।

4 **प्रबन्धक {लेखा}** - ग्रामीण बैंक के लेखा सम्बन्धित कार्यों को प्रबन्धक द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। लेखा प्रबन्धक का बैंक में महत्वपूर्ण स्थान रहता है।

5 **कृषि वित्त अधिकारी** - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कृषि वित्त अधिकारी बैंक के कृषि वित्त से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण कर बैंक कार्यो को सुचारू रूप में आगे बढ़ाने में सहयोग करता है।

6. **प्रबन्धक {नियोजन एवं विकास}**- ग्रामीण बैंक में मुख्यालय स्तर पर नियोजन एवं विकास प्रबन्धक बैंक की ऋण नीतियों एवं बैंकिंग विकास में सहयोग देता है।

7. **प्रबन्धक {निरीक्षण एवं गोपनीयता}**-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मुख्यालय स्तर पर बैंक एवं उसकी शाखाओं के निरीक्षण एवं बैंकिंग गोपनीयता हेतु इस प्रबन्धक की नियुक्ति की जाती है।

8. **प्रबन्धक{प्रशासन}** -

बैंक का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यालय स्तर पर इस हेतु एक प्रबन्धक (प्रशासन) की नियुक्ति की जाती है।

एक अविकसित देश में तीव्र आर्थिक विकास हेतु पूंजी निर्माण की उच्च दर आवश्यक होती है। जो घरेलूबचतों को इस ओर मोड़ सके। व्यावहारिक बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से पंजी निर्माण में गतिशीलता एवं घरेलू बचतों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगीकरण में पूंजी की बढ़ती हुई आवश्यकता एवं महत्व को देखते हुए एक संगठित पूंजी संरचना के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जाना प्रासंगिक है।

पूंजी संरचना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले स्रोतों के सम्बन्ध में वित्तीय विशेषज्ञों के विचारों में भिन्नता है। कतिपय विद्वान पूंजी एवं वित्तीय संरचना में विभेद नहीं करते। इसके अन्तर्गत पूंजी के दीर्घावधि स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। इसके विपरीत अनेक विद्वान पंजी संरचना के अन्तर्गत केवल दीर्घावधि स्रोतों को ही शामिल करते हैं। इनके अनुसार अंशों एवं ऋणपत्रों के साथ-साथ कोषों एवं अधिकोषों जैसे दीर्घावधि स्रोतों से पूंजी प्राप्त की जाती है। पूंजी संरचना के दो प्रमुख अंग हैं। स्वामित्व पूंजी जिसके अन्तर्गत अंशपूंजी तथा कोष एवं अधिकोष की राशि सन्निहित है एवं ऋण पूंजी जिसके अन्तर्गत ऋणपत्रों तथा विभिन्न दीर्घकालिक वित्तीय संस्थाओं से दी गयी ऋण राशि भी सम्मिलित की जाती है। इन दोनों विचारधाराओं का अपना-अपना महत्व है। संरचना शब्द का प्रयोग अभियांत्रिकी विज्ञान से प्रारम्भ हुआ माना जाता है। जिस प्रकार एक भवन के निर्माण में उस भवन के आकार एवं आकृति के अनुसार सामग्री का उपयोग कुछ मानव अपनाने में किया जाता है। उसी प्रकार एक कम्पनी द्वारा विभिन्नस्रोतों से पूंजी प्राप्त करने एवं उसका भिन्न सम्पत्तियों में उपयोग कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है जो पूंजी की एक व्यवस्था को जन्म देती है ताकि न्यूनतम लागत पर

अधिकतम प्रत्याय दर प्राप्त की जा सके। पूंजी की यह व्यवस्था पूंजी की संरचना के नाम से जानी जाती है। इसे पूंजी कलेवर, पूंजी संगठन, पूंजी ढांचा, पूंजी स्वरूप आदि नामों से भी पुकारते हैं। इसके अन्तर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि किसी व्यावसायिक संस्था की पूंजी किन-किन स्रोतों से किस-किस अनुपात में गठित की गयी है ताकि पूंजी मिश्रण की सही जानकारी मिल सके। दूसरे शब्दों में पूंजी संरचना में इस बारे में निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी का कितना भाग किस रूप में है। यह पूंजी चाहे जिन स्रोतों से प्राप्त की जाये। इसका विनियोग विभिन्न सम्पत्तियों में ही किया जाता है। इस प्रकार कम्पनी की सम्पूर्ण पंजी एक ही होती है किन्तु इसकी रचना विभिन्न वृत्ताक्षों से होती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य निर्धारित अनुपात को ही पूंजी संरचना कहते हैं। अन्य शब्दों में पूंजी संरचना पूंजीकरण की कुल राशियों का प्रतिभूतियों में वितरण दर्शाता है। पूंजी संरचना का स्वरूप निर्धारित करते समय अनेक तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है जिसमें संस्था के हितों की सुरक्षा प्रथम है।इसके अतिरिक्त पूंजी ढांचे का निर्माण करते समय प्रतिभूतियों की निजी विशेषताएं विभिन्न प्रतिभूतियों की औसत लागत, संस्था पर नियन्त्रण का स्वरूप, जोखिम की मात्रा आदि तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रकार एक अनुकूलतम पूंजी ढांचे का निर्माण होता है। संस्थाओं के प्रबन्धक वैकल्पिक पूंजी संरचनाओं की परस्पर तुलना करते हुए सर्वोत्तम पूंजी संरचना अपनाने का प्रयत्न करते हैं। एक सन्तुलित पूंजी संरचना का आशय एक अनुकूलतम पूंजी ढांचे से होता है।

यह तभी सम्भव है जबकि पूंजी संरचना में सम्मिलित प्रतिभूतियों की पूंजी लागत कम से कम हो और फर्म की औसत पूंजी औसत लागत प्रत्याय से कम हो।

इस प्रकार सन्तुलित पूंजी ढांचे की अवधारणा दो तत्वों से मिलकर बनती है। पूंजी की लागत में कमी और अंशमूल्यों में वृद्धि। संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि अनुकूलतम तथा श्रेष्ठ और संतुलित पूंजी संरचना वही है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां ऐसे सन्तुलित अनुपात में निर्गमित हों कि वे फर्म को पूंजी लागत की दृष्टि से मितव्ययी और मूल्यांकन की दृष्टि से मूल्यवृद्धि में सहायक हो। डेविड ड्यूरण्ड में इन दोनों परस्पर विरोधी विचारों, शुद्ध आय की अवधारणा तथा शुद्ध कार्यशील आय की अवधारणा के नाम से परिभाषित किया है।

{क} शुद्ध आय की अवधारणा

इस विचारधारा के अनुसार ऋण पूंजी की लागत व साम्य, अंशपूंजी की लागत पूंजी संरचना में स्वरूप मानी जाती है। जब फर्म की पूंजी संरचना में वित्तीय तोलक का अनुपात बन जाता है तो औसत भारित पूंजी लागत की दर हट जाती है और फर्म का मूल्य बढ़ने लगता है।

{ख} शुद्ध कार्यशील आय की गणना

इस विचारधारा के अन्तर्गत साम्य अंशपूंजी की लागत में वित्तीय तोलक की वृद्धि के अनुपात में ही परिवर्तन होता है। अर्थात् इन दोनों में परस्पर रेखीय सम्बन्ध है। परिणामस्वरूप पूंजी की औसत लागत स्थिर होती है और फर्म का मूल्य भी यथावत् रहता है।

पूंजी ढांचे के निर्धारक तत्व

सामान्यतः देश की आर्थिक़, औद्योगिक और संस्था विशेष की महत्वपूर्ण परिस्थितियों एवं विशिष्ट तत्वों को ध्यान में रखकर ही पूंजी ढांचे का निर्धारण किया

जाता है। पूंजी ढांचे का निर्धारण करते समय जिन तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है उन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है -

{क} आंतरिक तत्वों में

(i) व्यवसाय का आकार

(ii) व्यवसाय की प्रकृति

(iii) टाय की नियमितता

(iv) व्यावसायिक सम्पत्तियों का ढांचा

(v) संस्था की आय

(vi) व्यवसाय नियन्त्रण की इच्छा

(vii) प्रबन्धकीय दृष्टिकोण

(viii) भावी योजनाएं

(ix) परिचालन लागत

(x) समता पर व्यापार

{ख} बाह्य तत्वों में

(i) अर्थव्यवस्था की विशेषताएं

(ii) उद्योग/व्यवसाय की विशेषताओं में व्यक्त किया जा सकता है

पूंजी संरचना के अनुपात व्यावसायिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। एच.जी. गुथमन के अनुसार मोटे तौर पर किसी व्यापार संस्था की ऋण पूंजी कुल पूंजी संरचना की 60 प्रति0 से अधिक होनी चाहिए। कम लाभ अर्जित करने

वाले संस्थाओं जैसे लोकोपयोगी संस्थाओं में यह अनुपात 50 प्रति0 हो सकता है। यह नियम इस सिद्धान्त पर आधारित है कि संस्था की कुल पूंजी संरचना पर अर्जित लाभ ऋणपत्रों पर देय ब्याज से कम से कम दो गुणा होनी चाहिए ताकि संगठकालीन परिस्थितियों में भी ब्याज का भुगतान करने में विशेष कठिनाई न हो।

7.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नियम बनाने की शक्ति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में ऐसे किसी भी नियम जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में ऐसे किसी भी नियम जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर कोई नीतिगत या संरचनात्मक असर पड़ता है, बनाने का अधिकार प्रायोजक बैंक एवं रिजर्व बैंक के परामर्श में सिर्फ केन्द्रीय सरकार को ही है।

ऐसे नियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समझ जब वह सत्र में हो 30 दिन की अविधि के लिये रखना होता है। यह अवधि एक सत्र में दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी की जा सकती है। यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद में सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभावी हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक बोर्ड को भी प्रायोजक बैंक रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार की पूर्वानुमति के नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है जिनसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के नियमों को सुचारू रूप से लागू करने में सहायता मिलती है।

निम्नलिखित सारणी देश की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रवर्तक बैंकवार स्थिति को दर्शाती है -

क्रम संख्या	प्रवर्तक बैंक का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	जनपदों की संख्या	शाखाओं की संख्या
01	इलाहाबाद बैंक	07	09	508
02	आन्ध्रा बैंक	03	05	153
03	बैंक ऑफ बड़ौदा	18	28	1185
04	बैंक ऑफ इण्डिया	16	29	998
05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	03	08	312
06	बैंक ऑफ राजस्थान	01	02	61
07	केनरा बैंक	08	12	702
08	कार्पोरेशन बैंक	01	02	44
09	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	23	43	1799
10	देना बैंक	04	07	258
11	इण्डियन बैंक	04	04	145
12	इण्डियन ओवरसीज बैंक	03	07	304
13	जम्मू एवं कश्मीर बैंक	02	06	188
14	न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	01	04	39
15	पंजाब नेशनल बैंक	19	43	1300
16	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	01	03	22
17	सिण्डीकेट बैंक	10	20	1038
18	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	03	05	208
19	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	04	04	166
20	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	31	78	2431
21	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	01	02	23
22	स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र	02	05	202
23	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	01	03	41
24	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	03	06	136
25	यूनियन बैंक	04	07	403
26	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	10	39	974
27	उ0प्र0 को0 बैंक लि0 लखनऊ	01	02	69
28	विजया बैंक	01	01	25

<u>तालिका क्रमांक 2</u>

जिलों में ग्रामीण बैंक की ग्रामीण, अर्द्ध ग्रामीण एवं शहरी खातों की संख्या (1995–2005)

वर्ष	जिलों की संख्या	शाखाओं की संख्या	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी
1995	2	46	24	14	8
1996	2	46	24	14	8
1997	2	46	24	14	8
1998	2	46	24	14	8
1999	2	46	24	14	8
2000	2	45	24	13	8
2001	2	42	21	13	8
2002	2	42	21	13	8
2003	2	39	18	13	8
2004	2	39	18	13	8
2005	2	39	18	13	8

वार्षिक प्रतिवेद जमुना ग्रामीण बैंक आगरा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष–1995–2005 तक के आधार पर

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैंक दो जिलों आगरा और फिरोजाबाद में कार्यरत हैं। जिसमें कुछ शाखायें फिरोजाबाद क्षेत्र में भी आती हैं। वर्ष 1995 में दो जिलों में कुल शाखाओं की संख्या 46 थी, जिसमें ग्रामीण, अर्द्ध ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल शाखायें क्रमशः 24, 14, 8 थीं।

वर्ष 1996 से 1999 तक संख्याओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 शाखा स्थापित की गई जिससे कुल शाखाओं में 1 शाखा की वृद्धि हुई।

वर्ष 2001 से 2002 तक इसमें कमी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल शाखायें 21 रह गईं।

वर्ष 2003–05 तक इस ओर अधिक कमी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या मात्र 18 रह गई। वर्तमान में शाखाओं की संख्या 39 है।

इससे स्पष्ट होता है कि 1995 में शाखाओं की संख्या 46 थी जो वर्ष 2005 में 39 रह गई। शाखाओं में कमी का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित शाखाओं से बैंक को अधिक हानि हो रही थी। जिससे कुछ शाखाओं को समाप्त कर दिया गया।

तालिका क्रमांक–3

सावधि जमा खाते पर ब्याज की दरें

31.3.2005 को लागू जमाओं व अग्रिमों पर लागू ब्याज दर का ढांचा इस प्रकार है।

क्रम संख्या	जमाओं की अवधि	ब्याज दर प्रतिशत
1.	15 दिनों से 45 दिनों तक	4.25
2.	46 दिनों से 90 दिनों तक	4.50
3.	91 से 179 दिनों तक	4.50
4.	180 दिनों लेकिन एक वर्ष से कम	5.50
5.	एक वर्ष या दो वर्षों से कम	5.75
6.	दो वर्ष व ऊपर लेकिन तीन वर्ष से कम	5.75
7.	तीन वर्ष से अधिक व 5 वर्ष से कम	6.25
8.	5 वर्ष से अधिक	6.50

स्रोत– जमुना ग्रामीण बैक, प्रधान कार्यालय, 31.3.2005 से ब्याज दर लागू

आवर्ती जमा योजना

आवर्ती जमा खाता बचत खाते तथा सावधि जमा खाते का सम्मिलित रूप है। यह खाता कम धनराशि से खोला जा सकता है। परन्तु इसमें नियमित रूप से प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि निक्षेप (जमा) करना अनिवार्य है। यह खाता 500 रूपये या उससे अधिक से खोला जा सकता हैं। इस खाते की अवधि 12 माह से 120 माह, जमा अवधि 15 दिन से लेकर 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। इन विभिन्न समयावधि में जमा की

गई धनराशि पर विभिन्न दरों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ब्याज का भुगतान करती है। सावधि जमा खाते पर ब्याज की दरें तालिका से स्पष्ट हैं।

तालिका क्रमांक–4

जमुना ग्रामीण बैंक के खातों में जमा राशियों का विवरण

वर्ष 1995 से 2005 तक

वर्ष	चालू खाते			बचत खाते		
	खातों की संख्या	धनराशि	वृद्धि दर	खातों की संख्या	धनराशि	वृद्धि दर
1995	1345	71.05	93.00	93146	1278.97	53.00
1996	1517	118.76	67.14	93630	1594.57	24.65
1997	1780	276.6	132.90	95271	2327.29	45.95
1998	2069	346.74	25.36	94101	2874.21	23.50
1999	2085	743.26	114.35	98406	3823.83	33.04
2000	2690	287.12	-61.37	106794	4378.62	14.50
2001	1957	361.08	25.75	113901	5477.06	25.08
2002	3020	401.52	11.20	119360	6788.24	23.94
2003	2882	369.22	-8.04	132322	8911.01	31.27
2004	1638	753.09	103.96	148165	10849.26	21.75
2005	5628	1350.41	79.26	155670	12525.69	15.45

स्रोत– वार्षिक प्रतिवेदक जमुना ग्रामीण बैंक आगरा (वर्ष 1995 से 2005 तक के आधार पर)

तालिका क्रमांक 4 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जमुना ग्रामीण बैंक की जमाराशियों में बैंकों की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बैंक के कार्य में एक मुख्य कार्य जमा प्राप्त करना है।

जमाओं को मांग व समय में विभाजित किया जा सकता है। मांग व समय निक्षेपों को चालू खातों बचत खातों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में बैंक विभिन्न विशेष योजनाओं के अन्तर्गत भी जमाएं प्राप्त कर बचत खातों, चालू खातों में ब्याज प्रदान करती है। इसके मुख्य कारण बैंक शाखाओं में वृद्धि एवं समाज में बैंकिंग की बढ़ती हुई साख व्यापार में वृद्धि और शिक्षा का प्रसार रोजगार परक योजनाओं का विकास आदि।

वर्ष 1995 तक जमुना ग्रामीण बैंक में चालू खातों में 71.05 लाख रूपये , यह बढ़कर 1996 में 118.76 लाख तथा वर्ष 1997 में 276.6 लाख रूपये हो गये। जिसमें वृद्धि दर क्रमशः 93.00, 67.14, 132.90 जमाओं में वृद्धि हुई। वर्ष 1998 एवं 1999 में इन जमाराशियों में पुनः बढ़ोत्तरी हुई जो वर्ष 1998 में 346.74 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 1999 में 743.26 लाख रूपये बढ़ोत्तरी हुई। जिसमें वृद्धि दर 25.36 से बढ़कर 114.35 वृद्धि दर हुई जो बहुत ही अधिक थी। वर्ष 2000 मे जमा धनराशि 287.12 लाख रूपये जो ऋणात्मक –61.37 वृद्धिदर को दर्शाता है।

वर्ष 2001 में इस राशि में बढ़ोत्तरी हुई जो बढ़कर 361.08 लाख रूपये, जिसमें वृद्धिदर 25.75 हुई।

इस प्रकार आगामी वर्षों में जमाओं में धनराशि एवं उसमें वृद्धि 2002, 2003, 2004, 2005 में क्रमशः जमा राशियाँ 401.52, 369.22, 753.09, 1350.41 लाख रूपये हुई। इसमें वृद्धि क्रमशः 11.20, –8.04, 103.96, 79.26 वृद्धि दर हुई।

जमुना ग्रामीण बैंक ने अपनी स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रयास किये हैं। परिणाम स्वरूप बैंक ने विभिन्न जमा योजनाओं के माध्यम

से जमा राशि एवं जमा खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 2005 में चालू खातों में जमा धनराशि अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्शाती है।

तालिका क्रमांक– 5

जमुना ग्रामीण बैंक की कुल निक्षेप (जमा)राशि में खातेवार वार्षिक वृद्धि

हजारों में

वर्ष	बचत खाता	चालू खाता	सावधि जमा खाता	कुल निक्षेप
1994-95	93146	1345	14020	108511
1995-96	93630	1517	19604	114751
1996-97	95271	1780	27991	125042
1997-98	94101	2069	32525	128695
1998-99	98406	2085	38540	139031
1999-2000	106794	2690	40640	150124
2000-01	113901	1957	46139	161997
2001-02	119360	3020	47282	169662
2002-03	132322	2882	48656	183860
2003-04	148165	1638	48263	198066
2004-05	155670	5628	38241	199539

स्रोत– जमुना ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1995–2005 तक के आधार पर)

तालिका क्रमांक 5 से बचत खाता जमा राशि में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1995 से 2005 तक बचत खाते की जमा राशि

में निरन्तर वृद्धि होती रही है। केवल वर्ष 1997 से 1998 को छोड़कर जिसमें थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। वर्ष 1995–96 में बचत खातों की संख्या 93630 थी यह संख्या बढ़कर 1996–97 में 95271 एवं 1997–98 में 94101 तथा वर्ष 1998–99 में 98406 हो गयी। वर्ष 1999 – 2000 पुनः इस संख्या में बढ़ोत्तरी हुई जो बढ़कर 106794 हजार हो गई।

वर्ष 2001 में बचत खाते संख्या में पुनः वृद्धि हुइ जो 113901 हजार हो गई। इसी प्रकार आगामी वर्षों में संख्याओं में वृद्धि वर्ष 2002, 2003, 2004, 2005 में क्रमशः खातों की संख्या बढ़कर 119360, 132322, 148165, 155670 बचत खातों की संख्या लाखों में पहुंच गई।

सावधि जमा खातों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। वर्ष 1995 में कुल खातों की संख्या 108511 हजार थी। यह संख्या बढ़कर वर्ष 1996 में 114751 हजार एवं 1997 में 125042 तथा 1998 में इस संख्या में 128695 हजार वृद्धि हो गई। वर्ष 1999 में 139031 हजार संख्या एवं 2000 में 150124 हजार सावधि जमा खातों में वृद्धि होने के कारण कुल खातों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई।

इस प्रकार आगामी वर्षों मे जमा खातों की संख्या वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 में खातों की संख्या 46139, 47282, 48656, 48263, 38241 इस प्रकार कुल खातों की संख्या लाखों में वृद्धि 161997, 169662, 183860, 198066, 199539 प्रति वर्ष लगातार वृद्धि देखी गई।

चालू खातों में वर्ष 1994–1997 से वर्ष 1997–1999 तक बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2000–2005 के बीच कुछ वर्षों में चालू जमाओं में कमी व वृद्धि हुई।

चालू खातों की संख्या वर्ष 1995–96 में 1345 हजार थी जो 1996–97 में 1517 हो गई।

इसी प्रकार 1997–98 इन संख्याओं में और वृद्धि हुई जो 2065 हजार तक पहुंच गई। वर्ष 1998–99 में इसमें 2089 एवं 1999–2000 में 2690 तक तथा 2000–01 में 1957 हजार की वृद्धि हुई।

इस प्रकार आगामी वर्षों में चालू खातों में वृद्धि वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 में संख्याओं में वृद्धि क्रमशः 3020, 2882, 1638, 5628 वृद्धि हुई। कुछ वर्षों को छोड़कर निरन्तर वृद्धि हुई।

इससे स्पष्ट होता है कि चालू खातों , बचत खातों, सावधि जमा खातों में, 1995 से 2005 तक कुछ वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षों में काफी अधिक बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2005 में खातों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। बैंक के पास अधिक पूंजी होने से उसने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक योजनाओं के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया।

DATA ON JAMUNA GRAMIN BANK

(Rupees in Thousands)

PARAMETERS		1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
Deposits	Current	11876	27660	34674	74326	28712	36108	40152	36922	75309	135041
	%Age	2.5	3.6	3.5	5.7	2.1	2.2	2.4	1.7	3.1	5.5
	Savings	159457	232729	287421	382383	437862	547706	6788[illegible]4	891101	1084926	1252569
	%Age	33.7	30.5	28.6	29.3	31.5	33.5	35.6	40.2	45.0	50.6
	Term	301980	501417	681635	849863	922922	1052558	1189245	1289631	1251631	1092345
	%Age	63.8	65.8	67.9	65.0	66.4	64.3	62.3	58.1	51.9	43.9
	Total	**473313**	**761806**	**1003730**	**1306572**	**1389496**	**1636372**	**19082[illegible]1**	**2217654**	**2411866**	**2479955**
Balances	Cash	15866	45366	34271	71459	42682	38896	5984[illegible]	95530	122305	97649
	CA with RBI	14400	22500	30000	36000	38400	49471	98071	99741	103313	128184
	CA with CB	94160	53019	58705	147938	55761	58946	78031	30270	54049	33716
	Total	**124426**	**120885**	**122976**	**255397**	**136843**	**147313**	**235950**	**225541**	**279667**	**259549**
As % to Deposits	Cash	3.35	5.96	3.41	5.47	3.07	2.38	3.14	1.8	2.38	2.7
	CA with RBI	3.04	2.95	2.99	2.76	2.76	3.02	5.14	5.0	4.8	5.6
	In CA	19.89	6.96	5.85	11.32	4.01	3.6	4.09	1.53	2.5	1.4
	Total	**26.29**	**15.87**	**12.25**	**19.55**	**9.85**	**.9.0**	**12.36**	**8.38**	**9.6**	**9.7**
Interest on Deposits		283.02	502.65	689.33	926.45	1085.54	1107.22	1282.[illegible]6	1334.0	1253.0	1128.0
Cost of Deposits		8.15	8.90	8.71	8.65	8.73	8.04	7.7	6.8	5.8	4.9
Income on Loan		251.84	332.28	563.10	681.62	670.31	506.16	555.99	506.0	664.0	811.0
Average Loans		2313.64	3182.74	4477.06	5124.48	5434.95	5288.24	5100.20	5320.0	6760.0	9020.0
Yield on Loans		10.9	10.4	12.6	13.3	12.33	9.57	10.90	9.31	9.57	9.0
Average Deposits		3515.09	5646.54	7918.46	10706.19	12440.89	13767.88	16658.91	19601.00	21673.00	22998.00
Interest on Deposits		283.02	502.65	689.33	926.45	1085.54	1107.22	1282.25	1334.00	1253.00	1129.00
Cost of Deposits		8.05	8.90	8.71	8.65	8.73	8.04	7.70	6.82	5.78	4.91
Average Investment		1593.86	3015.46	5672.77	7331.76	9826.49	11627.43	14495.22	16162.00	16648.00	15807.00
Return on Investment		142.67	452.52	729.41	987.98	1125.89	1260.45	1578.21	1549.00	1451.00	1063.00
Yield on Investment		8.95	15.01	12.86	13.48	11.46	10.84	10.89	9.43	8.85	6.72
Gross Loan		2515.15	4040.70	5305.19	5740.54	5624.64	5410.11	5257.51	6201.00	8298.00	107.26
Gross NPA		992.15	1391.31	1579.48	1567.20	1998.39	2097.97	2149.09	1690.00	1345.00	1153.00
% Of Cross NPA		39.4	34.4	29.8	27.3	35.5	38.8	40.9	27.0	16.0	10.7
Costs & Margins	Cost of Deposits	8.05	8.90	8.71	8.65	8.73	8.04	7.70	6.8	5.8	4.9
	Yield on Loans	10.9	10.4	12.6	13.3	12.3	9.6	10.9	9.31	9.57	9.0
	Yield on Investment	8.95	15.01	12.86	13.48	11.46	10.84	10.89	9.43	7.9	6.7

Profitability		Cost of Funds	7.71	6.94	6.94	7.09	7.29	6.72	6.54	5.88	4.8	4.1
		Return on Funds	8.92	10.07	11.2	11.48	10.75	10.0	9.95	8.87	8.13	6.8
		Financial Margin	1.21	3.13	4.26	4.39	3.46	3.28	3.41	3.0	3.3	2.7
		Transaction Cost	1.55	2.71	2.32	1.88	1.77	1.73	2.1	2.2	1.9	2.1
		Miscellaneous Income	1.02	0.75	0.71	0.45	0.35	0.26	0.21	1.5	3.3	0.6
		Risk Cost	0.67	2.75	0.08	-0.09	1.07	0.78	0.09	0.35	0.75	0.42
		Net Profit Margin	-2.99	-1.58	2.57	3.05	0.97	1.03	1.43	1.96	3.85	0.72
		Working Fund	5835.32	8414.34	11537.06	1453.8	16710.67	18169.24	20958.03	23424	26018	27884
		Profit	-141.33	-195.67	296.05	431.62	179.09	190.19	300.23	458.29	101.60	201.64
Productivity		Per Employee Business		71.50	100.94	123.73	129.27	106.00	121.00	143.00	163.00	178.00
		Per Branch Business		239.38	333.53	408.83	424.34	518.42	579.52	727.00	831.00	910.00
Asset Classification		Standard		2649.39	3725.71	4173.33	3626.25	3312.14	3108.42	4509.00	6953.00	9572.00
		Sub Standard		618.0	932.5	831.16	992.33	817.05	637.6	436.00	362.00	246.00
		Doubtful		762.24	646.25	736.04	1001.96	1275.78	1506.49	1251.00	980.00	905.00
		Loss		11.07	0.73	0.01	4.1	5.14	5.0	3.0	2.00	2.00
		Total		**4040.7**	**5305.19**	**5740.54**	**5624.64**	**5410.11**	**5257.51**	**6201.00**	**8298.00**	**10726.00**
	In %Age	Standard		65.6	70.2	72.7	64.5	61.2	59.1	73.0	84.0	89.0
		Sub Standard		15.3	17.6	14.5	17.6	15.1	12.1	7.0	4.0	2.0
		Doubtful		28.8	17.3	17.6	27.6	38.5	48.5	20.0	12.0	8.0
		Loss		1.8	0.1	0.0	0.4	0.6	0.8	0.1	0.1	1.0

(Source: JGB Annual Reports)

संदर्भ

1. बापना, एम. एस. 'रीजनल रूरल बैंक्स इन राजस्थान; हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 1989, पृ. 13
2. भट, एन. एस., पूर्वोक्त, पृ. 21
3. शिव प्रसाद, डी., ''रीजनरल रूरल बैंक्स इन आन्ध्र प्रदेश : ए क्रिटिक'' जनरल ऑफ रूरल वॉल्यूम, 2, पृ. 351
4. वही, पृ. 12, 128
5. आर0 आर0 बी0 एक्ट, 1976 धारा 3(1) पृष्ठ– 2
6. आर0 आर0 बी0 एक्ट, 1976 धारा 3(3) पृष्ठ– 2
7. आर0 आर0 बी0 एक्ट, 1976, धारा 11, पृष्ठ– 3
8. देसाई वसन्त, वही, पुस्तक, पृ. 16
9. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन 1995 से 2005) तक
10. आर0 आर0 बी0 एक्ट 1976, धारा 14, पृष्ठ– 4
11. ''स्पेशल रिफरेन्स कामर्शियल बैंक्स'', डीप एण्ड डीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1987, पृ0 128
12. फाइलेण्ड, एम. सी. एण्ड डैटन ई, ''मैनेजमेन्ट बैंकिंग वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स
13. एग्रीकल्चर बैंकिंग इन इण्डिया नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1983, पृ0 93
14. आर.0 आर0 बी0 एक्ट, 1976 धारा 19, पृष्ठ – 5, 6
15. कोटिया, पी.के., 'रोल ऑफ फायनेनशियल इन्स्टीट्यूशन्स इन रीजनल डवलपमेंट ऑफ इण्डिया, प्रतीक्षा पब्लिकेशन
16. भट, एन, एस. वी. पुस्तक, पृ. 20
17. शिव प्रसाद, डी., वही पुस्तक, पृ. 362
18. नायर, एस. डी., बी. वही पुस्तक, पृ. 197
19. जमुना ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

अध्याय - चतुर्थ

जमुना ग्रामीण बैंक की ऋण नीतियाँ विविध योजनाएँ

जमुना ग्रामीण बैंक की ऋण नीतियाँ एवं ऋण योजनायें

बैंक मुद्रा एवं साख में व्यवसाय करती है, इसलिए इनकी साख नीतियाँ व्यावसायिक सफलता को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। वर्तमान बैंकों की साख नीतियों में ऋण की विविधता, उत्पादकता, तरलता आदि का सार्थक एवं परिणामोत्पादक स्वरूप निर्धारित किये जाने की पहल की जा रही है। ग्रामीण बैंकों का गठन विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है। अतः इन बैंकों की ऋण नीतियों का निर्माण करते समय ऋ़ण योजनाओं की संरचना सार्वजनिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के साथ ही व्यावसायिक सफलता के आधार पर सुनिश्चित की जाती रही है। चूंकि इन बैंकों का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। अतः ऋण नीति के अन्तर्गत समस्त योजनाओं का निर्माण क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है ताकि योजनायें व्यावहारिक एवं उपयुक्त स्वरूप में कार्यान्वयन स्तर पर उपयोगी हों। व्यावसायिक बैंक वर्तमान समय में न केवल बड़े उद्योगों की सेवा कर रहे हैं। बल्कि मनुष्य के प्रयासों को छोटे क्षेत्रों में बढ़ावा देने में भी सहयोग कर रहे हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनी ऋण नीतियां इस प्रकान नहीं बनायी गयी थीं जिससे कृषिकीय क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण सुविधायें प्राप्त हो सकें। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिकीय ऋण हेतु ग्रामीण बैंकों की स्थापना आवश्यक थी। ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं के लिए वित्त प्रदान करना है। जिससे साख अन्तराल की पूर्ति की जा सके। बैंक मुद्रा एवं साख में व्यवसाय करती है, इसलिए इनकी साख नीतियाँ व्यावसायिक सफलता को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण

बैंक द्वारा इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान किया जाय ताकि सदियों से उपेक्षित रहे इस वर्ग को उपयुक्त रोजगार प्रदान कर उनका सामाजिक जीवन स्तर सुधारा जा सके। इसी कारण बैंक अपनी समस्त ऋण योजनाओं में इस वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करती हैं।

ग्रामीण कारीगरों एवं लघु व्यवसायियों को ऋण

ग्रामीण कारीगरों के अन्तर्गत बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, बसोड़, दर्जी, लुहार, सुनार एवं समकक्ष कार्य करने वाले व्यक्ति आते हैं जो कि कृषि क्षेत्र की प्राविधिक एवं दैनिक सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनके पास अपने कार्यों को आधुनिक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय स्रोतों का अभाव होता है। इनके पूंजीगत उपकरण सदियों पुराने होते हैं फलस्वरूप इनके व्यवसाय में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति का भी अभाव पाया जाता है। अतःयह आवश्यक है कि इन्हें स्थायी तथा कार्यशील स्तर पर लगाया जा सके। बैंक इस वर्ग को कार्यशील पूंजी तथा पूंजीगत विनियोग हेतु ऋण प्रदान करता है ताकि ये अपने व्यवसाय को आनुनिकीकृत कर सकें। इस आधुनिकीकरण में पूंजीगत सामग्री यथा विद्युतशक्ति तथा हस्तचालित मशीनें प्रदान कराना शामिल है। ग्रामीण व्यवसायियों में भी फेरीवाले, किराना, कपड़ा, अनाज, सब्जी-फल आदि के व्यवसायी भी आते हैं। बैंक द्वारा इन्हें भी अपने व्यवसाय का स्तर उठाने हेतु ऋण ग्राम स्तर पर ही कृषि हेतु प्राविधिक आदानों के सतत् प्रवाह को परिमार्जित स्वरूप में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक होते हैं ताकि ग्राम स्तर पर वाणिज्य एवं व्यवसाय के परिणाम एवं कुल राष्ट्रीय आय के अंशदान में अभिवृद्धि हो।

आगरा जनपद में ऋण प्रदाय

बैंक का कार्यक्षेत्र आगरा जनपद तक ही सीमित है इसलिएबैंक इस क्षेत्र से बाहर के निवासियों को ऋण प्रदान करने में असमर्थ है। इसके द्वारा केवल अपने कार्यक्षेत्र के निवासियों, पिछड़ों एवं कमजोर वर्गों को ही ऋण प्रदान किया जाता है।

क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार ऋण नीति

बैंक ने अपनी ऋण नीति में इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार ही योजनायें बनाई जांचें अर्थात् जिस क्षेत्र में जैसे विकास की सम्भावना हो उसी के अनुरूप योजना हो ताकि योजनाओं में स्थानीयता का गुण विद्यमान रहे। वर्तमान में आगरा जमुना ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत इस प्रकार की योजना कार्यरत है।

ऋण नीति का ग्रामीण अनुस्थापन एवं पूर्ण मार्गदर्शन

जमुना ग्रामीण बैंक की ऋण नीति का एकमात्र उद्देश्य ऋण देना ही नहीं है अपितु क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देना है। बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण सन्तुलित विकास हेतु प्रत्येक कदम पर प्रयत्नशील है। बैंक की योजनाओं में जहां ग्रामीणों के लिए छोटी-छोटी ऋण योजनाएं हैं वहीं ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु यह नीतियां पूर्णतया ग्रामीण अनुस्थापित हैं। इस बैंक की ऋणनीति का एक पहलू यहां भी है कि यह केवल ऋण देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझता बल्कि ऋण स्वीकृति से ऋण वसूली तक की प्रत्येक प्रक्रिया पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

बैंक की विविध ऋण योजनाएं

कृषि राष्ट्रीय आय में 40 प्रति0 से अधिक अंशदान करती है। कृषि न केवल देश के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराती है बल्कि उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है जिस पर देश की आर्थिक समृद्धि आधारित है। इस दृष्टि से कृषि वित्त का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ऋण प्रदान किये जाते हैं।

जमुना ग्रामीण बैंक की इन विविध योजनाओं को विश्लेषण एवं विवेचन की दृष्टि से निम्न शीर्षकों एवं उप-शीर्षकों में विभक्त किया गया है:-

प्रत्यक्ष कृषि ऋण

इसके अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिकों की कृषि सम्बन्धी ऋण प्रदान किये जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं -

{अ} कृषि सम्बन्धी

1. ट्रैक्टर हेतु ऋण प्रदान करना
2. लघु सिंचाई योजना में नलकूप, नवीन कूप, डीजल पम्प एवं विद्युत मोटर आदि
3. किसान क्रेडिट कार्ड

{ब} पशुपालन सम्बन्धी

{2} अप्रत्यक्ष कृषि ऋण

अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के अन्तर्गत किसी भी समिति को ऋण नहीं दिया जाता है।

ग्रामीण कारीगर एवं व्यवसायी

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाता है-

अ. ग्रामीण कारीगर

1. लुहार
2. बढ़ई अथवा सुनार
3. किराना दुकान
4. जनरल स्टोर एवं अन्य सभी व्यवसायों के लिये ऋण दिया जाता है।

ब. लघु व्यवसायी

इसके अन्तर्गत लघु व्यवसायियों को कैश/क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जाते हैं।

अन्य ऋण योजनायें

अन्य ऋण योजनाओं में इन योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है-

अ. भवन निर्माण योजना ब. गृह सज्जा योजना स. वाहन ऋण योजना

क. प्रत्यक्ष कृषि योजना

इस शीर्षक के अन्तर्गत बैंक द्वारा लघु कृषक, सीमान्त कृषक एवं खेतिहर मजदूरों को ऋण प्रदान किया जाता है। कृषि को अकृषिकीय संसाधनों एवं रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, अधिक उत्पादकता वाले बीजों तथा मशीनीकृत अन्य विविध

योजनाओं हेतु ऋणों की आवश्यकता पड़ती है जिनकी प्रतिपूर्ति में क्षेीय ग्रामीण बैंक का सहयोग महत्वपूर्ण है।

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण सवितरण

समाज के गरीब व कमजोर वर्ग के लिए वित्तीय संस्थान की अपनी परम्परागत भूमिका का निर्वहन करते हुए सरकारी एजेन्सियों के साथ उनके विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगातार सक्रिय सहभागिता निभायी है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण की स्थिति इस प्रकार है-

क्रमांक	योजना का नाम	ऋण सवितरण	राशि हजार रू. में शेष
01	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना व्यक्तिगत समूह	1653 7303	2480 14109
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	2197	21059

अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य समूहों को उपलब्ध करायी गयी साख की स्थिति इस प्रकार है

लक्ष्य समूह	लाभार्थियों की संख्या	शेष यथा 31 मार्च '04
कमजोर वर्ग	12949	381279
महिला अभ्यर्थी	2438	45849
अल्पसंख्यक समुदाय	467	9720
अनुसूचित जाति/जनजाति	1687	200113

बैंक द्वारा विभिन्न लक्ष्य समूहों के अन्तर्गत स्वरोजगारों के साथ-साथ रोजगारपरक उपक्रमों को समयबद्ध व बेहतर साख-सहायता की सलाह और सहयोग प्रदान किया गया। कमजोर वर्गों को ऋण का अनुपात 10 प्रति0 की तुलना में 46 प्रति0 रहा। बैंक द्वारा जिले में स्वरोजगारों की व्यवसाय सम्बन्धी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण के लिये शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूडसेट संस्थान भेजा गया।

(1) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत स्थिति

वर्ष के दौरान बैंक ने 18000 के सी0सी0 कार्डों के लक्ष्य के सापेक्ष 11022 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये। इस योजना के अन्तर्गत कुल ऋण राशि यथा मार्च 2004 रू0 43.33 करोड़ रही। बैंक ने स्थानीय समाचार-पत्रों द्वारा तथा होर्डिंग्स, बैनरों और बोर्डों के माध्यम से कि0क्रे0का0 योजना को लोकप्रिय बनाया। भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुएकि 31 मार्च 2004 तक सभी पात्र इच्छुक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जायें। वर्ष के दौरान सभी शाखाओं में कि0क्रे0का0 सवितरण शिविरों का आयोजन किया गया। कि0क्रे0का0 योजना के अन्तर्गत ऋण सवितरण की तुलनात्मक स्थिति व शेष स्तर इस प्रकार हैं-

(2) महिला विकास प्रभाग

बैंक का महिला विकास प्रभाग साख की उपलब्धता का पर्यवेक्षण करने तथा महिला स्वयं समूहों को साख-सम्बद्धता और विकास के लिए लगातार सक्रिय रहा है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 280 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किये गये तथा महिला लाभार्थियों की क्षमताओं को बढ़ाने व उद्यमिता विकास में उनकी मदद के लिए रू0 2.12 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। महिला

लाभार्थियों को कुल साख शेष भारतीय रिजर्व बैंक के 5 प्रति0 के निर्धारित मापदण्ड के सापेक्ष बैंक के कुछ अग्रिमों का प्रतिशत 05.51 रहा।

बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं की बिना किसी सेवा प्रभार मार्जिन अथवा प्रतिभूति लिये एल0पी0जी0 कनेक्शन और रसोई के बर्तन देने के लिए एवं विशेष योजना जमुना रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया। इस विशिष्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 361 'गैस कनेक्शन ऋण' वितरित किये गये और इस सभी मामलों में वसूली शत-प्रतिशत व मजबूर रही जिसके बैंक का महिलाओं की पुनर्भुगतान क्षमता में सुधार हुआ।

बैंक द्वारा 8 मार्च 2004 को 'महिला सशक्तिकरण' पर एक परिदृश्य प्रदर्शनी और वाद-विवाद प्रतियोगिता की गयी।

गैर निधि व्यवसाय

बैंक की 24 शाखएं डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने हेतु अधिकृत है। सभी शाखाओं को गारण्टी जारी करने एवं चैक को संग्रहित/बट्टा हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। 15 शाखाओं में लॉकर की सुविधा प्रदान की गयी है।

कम्प्यूटरीकरण

बैंक ने अपनी दयालबाग आगरा स्थित शाखा को कम्प्यूटरीकृत किया है और बैंक की चार शाखायें एवं प्रधान कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

अन्य विवरण

बैंक ने अपने कर्मियों को उनके ज्ञान-कौशल विकास हेतु कृषि बैंकिग महाविद्यालय, ग्रामीण बैंकिंग विकास संस्थान, लखनऊ राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक

एवं प्रवर्तक बैंक द्वाराऊआयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजकर प्रतिक्षण उपलब्ध कराया है। पिछले वर्ष एस0डी0सी0-एच0डी0 परियोजना के तहत् ग्रामीण विकास बैंकर संस्थान द्वारा आर्ड(संगठन) विकास पहल कार्यक्रम शुरू किया। योजना निर्धारण करने हेतु ओ0डी0आईद्ध कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें सभी श्रेणी के कार्मिकों द्वारा भाग लिया गया।

चालू वर्ष में औद्योगिक सम्बन्ध शान्तिपूर्ण एवं स्वस्थ रहे हैं। अन्तर शाखा समामेलन जनवरी 2003 तक पूर्ण कर लिया गया है तथा असमायोजित प्रविष्टियों के समंजन हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

नाबार्ड निरीक्षण 28 जून से 27 जुलाई 2002 तक किया गया एवं प्रबन्धकीय निरीक्षण (मैनेजमेण्ट ऑडिट) 7 नवम्बर से 22 नवम्बर 2002 तक हुआ था। बैंक ने निरीक्षण एवं आंकिक सुधार निर्दिष्ट समय में भेज दी है।

<u>कम्प्यूटरीकरण</u>

वर्ष 2004-05 के दौरान बैंक द्वारा रिकार्ड समय में शतऋप्रतिशत शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण पर विशेष योग्यता हासिल की तथा केनरा बैंक की समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रथम शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत बैंक होने का गौरव प्राप्त किया। कम्प्यूटरीकरण से शाखाओं पर ग्राहक सेवा उन्नत हुई तथा आन्तरिक कार्य में समय की बचत होने से प्रबन्धकों को अग्रिम खातों के अनुवर्तन एवं विकासपरक कार्य हेतु समय सुलभ हुआ। वर्ष 2002-05 में बैंक ने अपनी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जेजी बैंक.कॉम भी जारी की जिससे अंशधारकों को अद्यतन जानकारी मिल सके।

अन्य ऋण योजनाएं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में आर्थिक सहायता का जरूरतमन्द है, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बैंक ने अन्य विभिन्न ऋण योजनाओं का प्रावधान किया है एवं जिनके माध्यम से वह ऋण प्रदान करता है उनमें से कुछ योजनायें निम्नलिखित हैं।

उपभोग ऋण

जमुना ग्रामीण बैंक ग्रामीण समाज की अन्य सामाजिक, पारिवारिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपभोग ऋण देने का प्रावधान अपनी ऋण योजनाओं में किया है ताकि कृषकों को अपनी इस आवश्यकताओं के लिए अन्यत्र स्थान से ऋण लेने की आवश्यकता न पड़े। बैंक का प्रमुख्य लक्ष्य ग्रामीण समाज को महाजनों एवं आर्थिक शोषकों के विरूद्ध आर्थिक संरक्षण प्रदान करना है। बैंक उपभोग ऋण कृषक के साथ-साथ ग्रामीण समाज के अन्य सदस्यों को भी प्रदान करता है। उपभोग ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यकता नहीं कि उधारगृहीता कृषक ही हो।

गृहसज्जा हेतु ऋण

उपभोग ऋण बैंक द्वारा गृहसज्जा ऋण योजना के तहत दिया जाता है। उसमें शासकीय सेवकों को घरेलू उपकरण जैसे- टेलीविजन, फ्रिज, कूलर, फर्नीचर आदि क्रय करने के लिए ऋण दिया जाता है। इस हेतु ऋणदाता को दो जमानतदार बैंक को बताने पड़ते हैं तथा इस दिये हुए ऋण पर बैंक 17 प्रति0 वार्षिक की दर से ब्याज वसूल करता है।

वसूली

उपभोग ऋण की मात्रा को देखते हुए वसूली की किश्तों का निर्धारण किया जाता है। उपभोग ऋण की वसूली 30 मासिक किश्तों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा की जाती है।

जमा राशियों एवं आभूषणों पर ऋण

इस योजना के अन्तर्गत जमाराशियों पर उपभोग ऋण 75 प्रति0 दिये जाने का प्रावधान है लेकिन आभूषणों के विरूद्ध इस बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जाता।

बैंक भवन निर्माण एवं मरम्मत

इस योजना के अन्तर्गत बैंक शाखा के वर्तमान या प्रस्तावित मकान मालिक की शाखा भवन की मरम्मत हेतु केवल ऋणराशि प्रदान की जाती है और इस ऋण की अदायगी किराये से की जाती है।

ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु

जमुना ग्रामीण बैंक ने जहां एक ओर कृषकों, ग्रामीण कारीगरों एवं व्यावसायियों को अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है वहीं दूसरी ओर ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु भी अनेक बड़ी-बड़ी योजनाओं के प्रारूप भी तैयार किये हैं। ये योजनाएं ग्रामीण समाज को प्रत्येक छोटी से छोटी आवश्यकता से लेकर बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर तैयार की गयी है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्षेत्रीय(जमुना) ग्रामीण बैंक द्वारा 1 दिसम्बर 1985 से ही प्रारम्भ किया जा चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य चयनित क्षेत्र उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से लघु/सीमान्त तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों को कार्य उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना है। अतः इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से लघु सीमान्त एवं भूमिहीन कृषि श्रमिक ही लाभान्वित होंगे। इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजातियों के लघु/सीमान्त कृषकों एवं भमिहीन कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए सम्मिलित किया जाता है।

ऋण योजनाओं का क्रियान्वयन

साख योजनाओं की सफलता एक सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है। ऋण देने की प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती है। इस कार्य हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण योजनाओं को तैया करके निदेशक मण्डल से अनुमोदन के पश्चात् ही लागू किया जाता है। प्रधान कार्यालय द्वारा लगातार पर्यवेक्षण किया जाता है। ऋण वसूली हेतु शासकीय सहयोग से कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

जमुना ग्रामीण बैंक की विविध ऋण योजनाओं के प्रावधानों के व्याख्यात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि इस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों को नये स्वरूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया था जिसमें उसने प्र्याप्त सीमा तक सफलता भी प्राप्त की है। ग्रामीण कृषक, कारीगर, मजदूर, तकनीकी व गैर तकनीकी बेरोजगारों को भी विविध ऋण योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बैंकों ने एक स्वस्थ विकास की राह पर लाकर खड़ा किया है। ये योजनाएं मात्र ग्रामीणजनों को साहूकारों की ऋण ग्रस्तता के चंगुल से

निकालने में ही सक्षम नहीं हुई बल्कि सम्बन्धित लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध हुई है। इस बैंक ने व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है।

विकास वालंटियर वाहिनी क्लब और स्वयं सहायता क्लब {वर्ष-2003-04}

बैंक ने अपना नवीन 'जमुना मॉडल' का शुभारम्भ किया जोकि स्वयं सहायता समूहों के र्प्यवेक्षण, प्रमोशन व स्थापना हेतु एक अल्पलागत उच्च प्रभावी मॉडल है। बैंक ने वर्ष के दौरान 883 नये समूहों को जोड़ते हुए 23 किसान मित्रमण्डल-वी0पी0पी0 क्लब की स्थापना की। वर्ष के दौरान 220 समूहों को रू0 1. 93 करोड़ के ऋण प्रदान किये गये। जमुना मॉडल के अन्तर्गत सूक्ष्मवित्त(माइक्रो फाइनेन्स) गतिविधियों के अध्ययन हेतु दक्षिण एशिया के बैंकरों के एक दल ने हमारे बैंक का भ्रमण किया। किसान मित्रमण्डल की प्रगति और स्वयं सहायता समूहों के गठन और सम्बद्धता का विवरण निम्न प्रकार है -

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2003	31 मार्च 2004
01	विकास वालन्टियर वाहिनी क्लब	-	23
02	स्वयं सहायता समूहों का गठन	403	883
03	स्वयं सहायता समूहों की सम्बद्धता	29	220

बैंक द्वारा किसानों को नई तकनीकें बढ़ाने हेतु दो 'मीट एण्ड मैच' कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैंक कार्यकर्ताओं को लेकर एस0एच0जी0 जागरूकता कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूहों के अधिकारियों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किसान मित्रमण्डलों एवं स्वयं सहायता समूहों के अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण देने के लिये किसानमित्र मण्डल महासंघ की

दो बैठकें की गयीं जिसमें बैंक अधिकारियों द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय पर एस0एच0जी0 सम्बन्धी गतिविधियों के मामलों में दिशा-निर्देशन व पर्यवेक्षण किया गया।

फसल ऋण

इन्हें अल्पकालीन ऋण भी कहा जाता है। सामान्यत: इनकी अवधि एक वर्ष तक होती है। कुछ परिस्थितियों में ये 15 माह तक की अवधि के भी हो सकते हैं। फसल ऋण फसल उत्पादन में कृषकों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान किये जाते हैं। ये ऋण कृषक की कृषि उपज हेतु ऋणों की आवश्यकता तथा ऋणों की वापसी क्षमता के आधार पर ही निश्चत मात्रा में प्रदान किये जाते हैं। फसल ऋण नीति के अन्तर्गत मुख्य तत्व यह है कि यह ऋण फसल बोने व तैयार करने हेतु यथा बीज-खाद, निराई-गुड़ाई, बिजली, पानी, कटाई तथा विपणन प्रक्रिया हेतु प्रदान किया जाता है। इसे दो भागों में विभक्त किया गया है-

1. नकद भाग
2. वस्तु के भाग में दिया जाने वाला(यह लगभग 60 से 75 प्रति0 तक होता है।)

सामान्यतः फसल ऋण बोने के समय दिया जाता है तथा आवश्यकता के अनुसार नकद रूप में अथवा वस्तु रूप में भी प्रदान किया जाता है। सामान्यतः ये ऋण वस्तु के रूप में ही प्रदान किया जाता है। अर्थात् कृषक को नकद भुगतान न करके निविदा के माध्यम से अनुज्ञा की जाती है तथा भुगतान सीधे विक्रेता को किया जाता है। फसल आने पर तथा उत्पादन को प्राप्त कर लेने के पश्चात् फसल के विपणन हेतु भी समय दिया जाता है। इसके पश्चात् ही ऋण भुगतान की तिथि तय की जाती है। किस फसल के लिए कितना ऋण नकद तथा कितना वस्तु के रूप में

दिया जाय इसके लिए मापदण्ड निर्धारित है। ये मापदण्ड प्रति हेक्टेयर/एकड़ के अनुसार बनाये जाते हैं।

<u>भूमि सुधार</u>

इस योजना के अन्तर्गत इस बैंक द्वारा वित्तीयसहायता नहीं दी जाती है।

(ख) <u>अप्रत्यक्ष कृषि ऋण</u>

अप्रत्यक्ष ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस हेतु बैंक विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करके इनके माध्यम से समस्त वर्गों को ऋण वितरित करता है लेकिन वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आगरा की कोई सहकारी समितियां नहीं है।

<u>ग्रामीण कारीगर एवं व्यवसायी</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आगरा में ग्रामीण कारीगरों एवं व्यावसायियों हेतु अनेकानेक ऋण योजनाओं को ग्रामीण समाज के समझ प्रस्तुत किया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों एवं व्यावसायियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक शोषणों से मुक्ति दिलाना है ताकि वह अपना पर्याप्त आर्थिक विकास करने में सक्षम हो सके एवं स्वतन्त्र व्यवसाय के स्वामी बन सकें। बैंक इनको आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है एवं व्यापारिक बैंकों की तुलना में ब्याज भी कम लेता है। बैंक वर्तमान उक्त आवश्य हेतु 12 प्रति0 वार्षिक की दर से ब्याज अपनी ऋणराशि पर प्राप्त करता है जो कि वास्तव में अन्य बैंकों से कम है। इस प्रकार बैंक ग्रामीण कारीगरों व व्यावसायियों को उनकी कला व व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है एवं नवजीवन प्रदान करता है। ये योजनायें उन व्यक्तियों के लिए एक ज्योतिपुंज के समान है जो निर्बल, निर्धन व समाज में आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं।

ग्रामीण कारीगर

जमुना ग्रामीण बैंक ने जिले के ग्रामीण कारीगरों हेतु अनेक योजनाएं बनायी हैं। ग्रामीण कारीगर वे हैं जो कि वस्तु के रूप या गुण का सृजन कर उसे उपयोगी बनाते हैं अथवा किसी क्षेत्रीय कला में संलग्न हैं। बैंक द्वारा ग्रामीण कारीगरों हेतु जो योजना बनायी गयी है उन पर दी गयी ऋण राशि पर 12 प्रति0 ब्याज लेता है।

लघु व्यवसायी

ग्रामीण अंचलों के व्यवसाय में संलग्न व्यावसायियों अथवा वे ग्रामीण जो नये सिरे से अपना व्यवसाय प्रारम्भ करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को बैंक ऋण प्रदान करता है। नौकर क्रय करने हेतु नाविकों को वर्तमान में बैंक द्वारा ऋण देने की योजना संचालित नहीं की जा रही है।

बैंक द्वारा आरम्भ किये गये नीति सम्बन्धी परिवर्तन (वर्ष 02-03)

प्राायोजक बैंक ने वर्ष के दौरान कुछ रियायती सुविधाओं को औचित्यपूर्ण बनाया जैसे-

1. पुनर्वित्त पर लिये जाने वाले ब्याज की दर 9 प्रति0 प्रतिवर्ष के स्थान पर अब पी0एल0आर0 से 1.5 प्रति0 कम करना(पी0एल0आर0 की वर्तमान दर 11 प्रति0 है)

2. अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक का वेतन तथा भत्तों का वहन प्रायोजक बैंक के स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करेगी।

3. चालू खातों पर 4 प्रति0 की दर से ब्याज का भुगतान वापस लिया जायेगा।

नाबार्ड द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश

1. सूखा राहत कार्यवाही के सम्बन्ध मे दिशा-निर्देश दिये गये जैसे कि फसल ऋण की ब्याज पर एक बार छूट देना तथा मूल ऋणी को सावधि ऋणों में परिवर्तित करना।

2. ग्रामीण गोदामों के निर्माण के वित्त पोषण के लिये निवेश अनुदान आयोग।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये प्रतिभूति व्यापार हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये।

(वर्ष 2002-03) कृषि मौसम में सूखे के कारण अपनाई गई नई नीति

वर्ष 2002-03 के दौरान देश का अधिकांश भाग मानसून न होने से सूखे की चपेट में आया है। जमुना ग्रामीण बैंकों के परिचालन क्षेत्र में इस अनुपेक्षित स्थिति के कारण बैंकों के ग्राहकों , जिनमें से अधिकतर किसान हैं, के सम्मुख अत्यधिक कठिनाईयॉ आयी हैं।

जमुना ग्रामीण बैंक ने स्थिति की समीक्षा की तथा खरीफ फसल के ऋणों की मांग पर पुनर्भुगतान निर्धारण किया। बैंक द्वारा सूखे से प्रभावित किसानों का ब्याज माफ करने के लिये सरकार से मामला उठाया गया है।

इस सूखे के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली में कठोर उपायों को स्थगित कर दिया गया है जिससे वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बावजूद बैंक ने वर्ष 2002-03 में यथासाध्य उत्तम कार्य निष्पादन किया।

ADVANCES SCHEMES

Scheme	Eligibility	Quantum of Loan	Rate of Interest	Margin	Security Norms	Other terms & conditions	Repayment terms	Steps for follow-up/ recovery
Swarozgar Credit Cards (SCC)	Small Artisans, handloom weavers, service sector, fisherman Self Employed persons Rickshaw owners and other Micro Entrepreneurs etc.	Rs.25000/- per borrower	10% P. A. quarterly compounded at Monthly rest	NIL	Hypothecation of Stock	No drawls will be permitted of revolving cash credit remains outstanding for more than 12 months	(i) SCC is valid for 5 years subject to satisfactory operations (ii) Yearly review	Through Recovery Certificates / Civil Suit
General Credit Card Scheme (GCCS)	All Rural/Semi urban house holds are eligible irrespective of their acting	50% of net annual Income of entire house hold subject to a maximum Rs.25000/-	10% P.A. to be debited at half yearly basis- March & September	No Margin	No security	Limit is in nature of revolving OD & borrower will be entitled to with draw by cash to the extent of limit *sanctioned*	Limit shall for 3 years subject to yearly review	Civil Suit
Shreyas Budget	*All permanent Individuals of* Central/State Govt./PSU/ Schools, Colleges who are credit worthy and respectable	*Ten Months* gross salary or Rs.1.50 lac which ever is less	*12% PA quarterly* compounded at monthly rest	*No* margin	*Suitable* guarantee/ co-obligation of a person good for the amount	*Teachers who are covered* under Teachers Loan scheme are not eligible under this scheme	*With in 3 to 5 years in EMIs*	*Employer's under* taking to register the mandate executed by the employee to deduct the loan Instalments & remit the same to the Bank for Adjustment to record the loan.

Teachers Loan Scheme	All confirmed teachers/ employees of the schools of Govt./ Govt. aided whose salary is being credited in the financing branch.	Eighteen months gross salary or Rs.2.00 lac which ever is less subject to net take should not be less than 25% of gross salary	11.50% P.A. quarterly compou-nded at Monthly rest	No Margin 25% Margin if assets are being purcha-sed	(i) Personal security of the applicant. (ii) Co-obligati-on of other teacher/ employee whose salary is disbursed through financing branch. (iii) Hypothe-cation of Vehicle/ assets where the same are purchase out of bank loan	The teachers/ employee of the schools who are not drawing salary from the branch are not be considered under Teacher Loan Schemes	With in three to 5 years in EMIs.	Branch where recovery in the scheme in less than 95 %, only 10 months gross salary or Rs.1.50 lacs which ever is less can be permitted at Branch level.
Artisans Credit Card (ACC)	All Artisans involved in production/ manufacturing process	<u>Working Capital</u> 20% of anticipated turnover. Term Loan can be permitted as per existing	11.50% P.A. quarterly compou-nded.	Upto Rs. 25000/- NIL above Rs. 25000/- 25%	Hypothe-cation of assets created out of Bank finance	(i) Preference will be given to Artisans, Registered with Development Commission (Handicraft)	Limit – valid for Rs 3 years subject to annual review. Term Loan repayable within a period of 3-5 years depending upon the repayment	

		guide lines of the Bank					capacity	
Shreyas Bandhak	Customers having satisfactory dealing with our bank for OD at least 5 years previous dealing. Non customer should be well introduced satisfactory OPL/market report on them.	50% of the value of property proposed to be offered as security as per the valuation report of panel valuer.	13% PA quarterly compou-nded at monthly rest.	Maxim-um 50% of value of security with a maxim-um of Rs.25 lac	(i) EMT of property accepta-ble to Bank having clear & marketa-ble title (ii)Guar-antee of a person accepta-ble to the Bank	Guarantee may be waived by the sanctioning authority on merit like 100% security by liquid collaterals.	OD- limit for one year Term Loan - Within 5 years in EMIs.	
Shreyas Kiraya	Customers with satisfactory dealing with us. Non customers should be well introduced with satisfactory OPL/marked report on them.	60% of the gross monthly rent received for the unexpired period of lease less TDS and Advance rent taken.	13% PA quarterly compou-nded at monthly rest.	-	(i) EMT of leased property value of which should be at least 100% of Loan or alternate property having 150%	Tripartite Agreement to be executed between lesser, Lessee and bank to remit lease rentals to the financing branch directly	Maximum 60 months EMIs	

					value of the loan amount. (ii) Assig-nment of lease rentals in favour of the Bank. (iii) Third party guaran-tee of person/s of adequate net worth			
Kisan Credit Card to Tenant Farmers/ Share croppers/ oral lessees through SHGs.	Farmers undertaking crop cultivation on lands not owned by them. All SHGs having share croppers/ tenant farmer/oral lessee, linked with the branch	On the basis of crop proposed to be cultivated/ scale of finance and area proposed to be brought under cultivation subject to the ceiling in term of the ratio of saving & loan amount	9% P.A. simple subject to revision from time to time	-	The group will have to docume-nts holding them jointly and severally respons-ible for bank loan.	The financial requirement of the group will be based on the total need of the Individuals eligible share cropper/oral lessee/tenant farmer.	KCC Limit for 3 years subject to Annual review.	
Vehicle	The applicant	(i) Upto	upto Rs	Upto	(i) Hypo-	In respect of	Loan to be	

loan to Agriculturi sts (AL – LHV)	should have minimum land holding of 5 Acres for four wheelers. No minimum land for two wheeler	Rs.50000/- 100% of cost of vehicle. (ii) Above Rs.50000/- 75 to 85% of cost of vehicle.	5.0 lac - 11.5% & above Rs.5.00 lac -12%	Rs 50000/- NIL Above Rs 50000/- 15-25%	thecation of vehicle (ii) Third party co-obligation (iii)Mortg-age of Agricult-ure Land (In case of loan amount upto Rs 50000/- No Mortgage of Land is insisted)	Jeep & other light/medium/ commercial Motor Vehicle mortgage of land is essential.	recovered within 3 to 5 years in Monthly/quarte-rly/Half yearly instalments depending upon the income. In respect of Two Wheelers, for 4 wheelers within five years in monthly/qua-rterly/ half yearly instalments.	
Scheme for Purchase of Land for Agricult-ural Purpose	Small and Marginal Farmers	Based on Cost of land value of stamp duty Maximum Rs. 5 lacs	Upto Rs. 2.00 lac – 11.50% & above Rs.2.00 lac – 13%	Upto Rs. 50000/- NIL above Rs. 50000/- 10%	(i) Mortgage of land existing & proposed in favour of the Bank (ii) Hypo-thecation of Crops grown from time to time	To encourage women to own land, as ownership rights of land to women would lead to their empowerment hence 40% of total advances under the scheme shall be car marked to women	In 7 to 12 years in half yearly instalments	
Shreyas Awas (Housing	(i)Major Indian resident who are in gainful	i) For acquiring built	10% P.A. quarterly compou-	25%	(i) Mortgage of	Repayment should be so fixed that	Within 5 years to 10 years in EMIs including	

loan to Custom-ers)	employment/ professional/busi-ness and regular income. (ii) Applicant should not be more than 55 years age and should be income tax assesses.	house, purchasing site & Contract-ing House there on (ii) For extension/ addition to existing house Flat and for repairing	nded at monthly rest upto Rs. 15.00 lac repayable within 5 years. 10.5% P.A. quarterly compou-nded at monthly rest for loan upto Rs.15.00 lac repayab-le in more than 5 years.		property purchas-ed/ construc-ted (ii)Guara-ntee of third party accepta-ble to the Bank	entire loan must be closed before the age of 60 years/date of retirement/ superannuation	repayment holding period.	
Shreyas Shiksha (Educatio n loan scheme)	i) Studies in India Rs. 7.50 lac (ii) Studies abroad Rs. 15.00lac	All the poor and needy to undertake basic education and meritorious students to persue higher education/ profession-nal/ Technical	Upto Rs. 4.00 lac – 11% P.A. Above Rs. 4.00 lac – 12% P.A.	Upto Rs.4.00 lac – NIL above Rs.4.00 lac In India – 5% studies Abroad 15%	Upto Rs.4.00 lac – No security Above Rs. 4.00 lac – collateral security equal to 100% of the loan amount or co-obligation	Loan shall be given jointly with parent/ guardian	(i) Loan to be repayable in 5-7 years (ii) Repayment will start after one year of the completion of the course	

		education			of third party having required net worth not less than the loan amount and Assignm-ent of the future income of the student.			
Secured Overdraft Scheme to Traders/ Business Enterprises	Traders Commission Against and other business enterprises having not less than 3 years of satisfactory track record and good reputation in the market.	Maximum upto Rs. 10.0 lac	Upto 2.00 lac – 11.50% Above Rs.2.00 lac – 13% quarterly compou-nded	25%	(i) hypo-thecation of entire stock (ii) Pledge of term Deposit/ NSCs/ KVP/IVP/ LIPs, & Mortgage of land and building situated in Urban and semi urban places (iii)Guar-antee of a Credit	Limit under this scheme shall be permitted against the combined security of stock	Tenability of the limit Two years subject to yearly review.	

					worthy person accepta-ble to the Bank.			
Laghu Udyami Credit Card (lucc)	All existing small borrower engaged in small business, retail trade, Artisans village Industries, SSI, tiny units and P&SE	Maximum upto Rs.3.00 lac	Upto Rs. 2.00 lac – 11.50% Above Rs. 2.00 lac – as per the category/ Activity of the Loan	Upto Rs. 25000/- NIL Over Rs. 25000/- 25%	Prime – (i) Hypo-thecation of stock receiva-ble <u>Collateral</u> (ii) Hypo-thecation of Vehicle/ office equipme-nt or EMT of Immova-ble property or pledge of NSC/ KVP/ WP/Bank deposit. Above Rs. 25000/- suitable guarant-ee/co-obligation of a third person.	Limit for Small Business/ Retail traders etc. 20% of the annual tern over declared in the tax return or last 12 months turnover in the operative account for P&SE 100% of their gross annual income	Limit sanction will be valid for 3 years subject to the annual review.	

अध्याय - पंचम

जमुना ग्रामीण बैंक की विविध योजना अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम राशियों की उपयोगिता का महत्व

जमुना ग्रामीण बैंक की विविध योजना अन्तर्गत ऋण की प्रगति

वर्तमान समय में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। बैंकिंग को अर्थव्यवस्था की रक्त नलिकाओं की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में वांछनीय एवं तीव्र आर्थिक विकास एक बड़ी सीमा तक बैंकों के सफल संचालन एवं प्रभावशाली कार्य पद्धति पर निर्भर है। वास्तव में बैंकिंग आधुनिक व्यावसायिक समाज की एक आवश्यकता बन गई है। बैंकिंग कम्पनी भी एक लाभ कमाने वाली संस्था है, जो अपने ग्राहकों से जमा प्राप्त कर उस पर ब्याज प्रदान करती है तथा प्राप्त जमाओं की विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग करके आय अर्जित करती है। बैंक जो भी ऋण और अग्रिम प्रदान करती है उसमें अधिकांश भाग विक्षेपकर्ताओं की जमाओं का होता है। इसलिए बैंकों को अग्रिम तथा ऋणों को प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उपलब्ध कोषों का सार्थक उपयोग हो पा रहा है एवं वे सुरक्षित हैं। इसमें बैंकों को अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। बैंकों का एक भी ऋण या अग्रिम डूबना उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। अतः बैंकों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकार करते समय स्वस्थ ऋण प्रदान करने के सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि अग्रिम बैंकों की समृद्धि का सूचक है आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों हेतु ऋण देने में सुरक्षा लाभदायकता आदि सिद्धान्तों की बलि भी देनी पड़ती है। क्योंकि आधुनिक युग में व्यवसाय का समाज के प्रति अपना व्यावसायिक उत्तरदायित्व होता है जो साहस एवं कुशलता से ही सम्पादित किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों में हरिजन, वनवासी, लघु एवं कुटीर उद्योग पर्यावरण सुधार परिवार कल्याण रोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में ऋण प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बावजूद भी आर्थिक लाभदायकता के उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता। सामान्यतया अग्रिम एवं ऋणों की बैंकों में साथ ही व्याख्या की जाती है इस प्रकार बैंक प्रदत्त अग्रिम से

आशय उस राशि से है जो बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को योजनाओं एवं परियोजनानुसार प्रदान किया जाता है। ये अग्रिम सामान्यतया किसी वस्तु की प्रतिभूत के माध्यम से अथवा जमानत के आधार पर प्रदान किये जाते हैं।

भारत जहाँ की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर आधारित है तथा अधिकतर ग्रामीण एवं कृषक गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं तथा अकृषक बेरोजगार हो, वहाँ ऋण की अत्यन्त आवश्यकता हो, इसी महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। ग्रामीण अंचलों के लिए जहाँ गरीबी व बेरोजगारी का वीभत्स तांडव है। कई योजनाएँ चालू की गई हैं, समाज के निचले स्तर से ही हम वास्तविक समस्याओं का अध्ययन प्रारम्भ करें तो हम पाते हैं कि ग्रामीण निर्धनता के पर्याप्त बन गये हैं। निर्धनता की स्थिति यह है कि ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसी दशा में परम्परागत स्थितियाँ, रीतियाँ, स्वभाव आदि उसे निर्धनता में ढकेल रहे हैं। यदि विद्यमान निर्धनता को समाप्त करना है, सामाजिक विकास लाना है तो ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण नीति को सुदृढ़ बनाना होगा।

आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैंक की वित्तीय की प्रगति

आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैंक की वित्तीय प्रगति के अध्ययन में शोधार्थी द्वारा सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग की (जनपद आगरा) ऋण विवरण एवं वसूली का अध्ययन निम्न रूप से किया गया है।

तालिका क्रमांक - 1

आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैंक की जमाराशियों में प्रतिशत वृद्धि

वर्ष 1995-2005

(करोड़ में)

वर्ष	जमाधन राशि	प्रतिशत वृद्धि
1995	2955.10	41.54
1996	4733.13	60.16
1997	7618.06	61.00
1998	10037.30	31.75
1999	13065.72	30.17
2000	13894.96	06.35
2001	16363.72	17.77
2002	19082.21	16.61
2003	22176.54	16.21
2004	24118.66	8.76
2005	24799.55	2.82

स्रोत - जमुना ग्रामीण बैंक आगरा के प्रधान कार्यालय से संग्रहित

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2955.1
4733.13
7618.06
10037.3
13065.72
13894.96
16363.72
19082.21
22176.54
22118.66
24799.55
Y1995
Y1996
Y1997
Y1998
Y1999
Y2000
Y2001
Y2002
Y2003
Y2004
Y2005
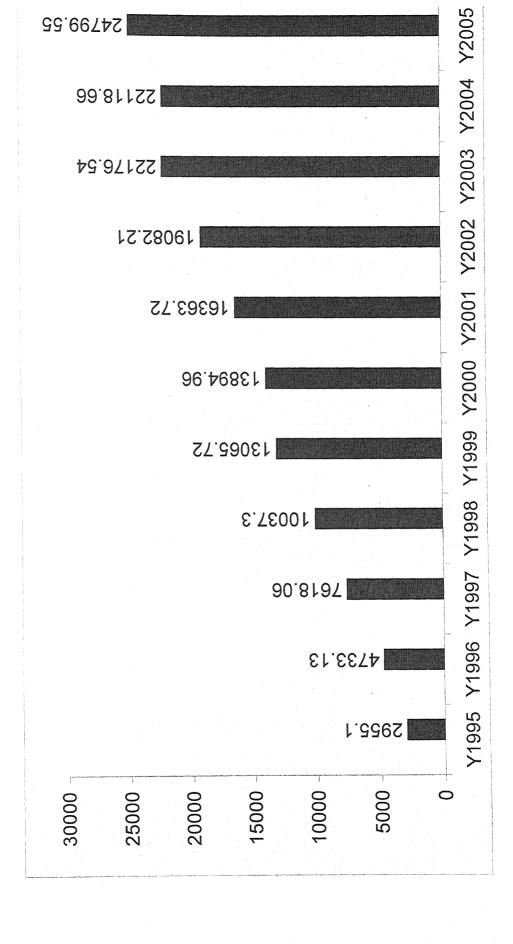
उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 से विदित होता है कि जमुना ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशियाँ वर्ष 1996 के अंत में बढ़कर 4733.13 लाख रूपये हो गयी जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 60.16 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती हैं। जमाराशियों में बैंक की कुल जमा धनराशियाँ वर्ष 1997 तथा 1998 के अंत तक बढ़कर 7618.06 तथा 10037.30 लाख रूपये तक पहुंच गई जो कि गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि 61.00 प्रतिशत एवं 31. 75 प्रतिशत वृद्धि को प्रकट करती हैं। वर्ष 1999 में जमाराशियों 13065.72 और वृद्धिदर 30.17 को दर्शाती है। वर्ष 2000 में जमाराशि 13894.96 जिससे आशा के अनुरूप वृद्धि 6.35 प्रतिशत जो बहुत कम थी। वर्ष 2001 जमुना ग्रामीण बैंक में जमाराशि 16363.72 लाख रूपये जो बढ़कर 2002 में 19032.21 लाख रूपये जिसमें वृद्धि दर 17.77, क्रमशः 16.61 इसी क्रम में वर्ष 2003, 2004 में जमा राशि 22176.54, 24118.66 लाख रूपये जिसमें वृद्धि दर क्रमशः 16.21. 8.76 कुल वृद्धि हुई। वर्ष 2004 के सापेक्ष 2005 में वृद्धि दर 2.82 के साथ 24799.55 लाख रूपये पहुंच गई।

इससे स्पष्ट होता है कि जमाराशियों में प्रतिवर्ष वृद्धिदर कम होती चली जा रही है।

तालिका क्रमांक—2

प्रति शाखा व्यवसाय (लाखों में)

वर्ष	प्रति शाखा व्यवसाय	शाखाओं में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1996	157.57	-	-
1997	239.38	81.81	51.92
1998	333.53	94.15	39.33
1999	408.83	75.3	22.57
2000	424.34	15.51	3.79
2001	558.30	133.96	31.56
2002	624.10	65.8	11.78
2003	727.64	103.54	16.59
2004	831.2	103.57	14.23
2005	910.93	79.72	9.59
2006	1112.00	201.07	22.07

स्रोत— जमुना ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय से संकलित

बैंक का प्रतिशाखा व्यवसाय
लाख में
1200
1000
800
600
400
200
0
51.92
239.38
39.33
333.53
22.57
408.83
3.79
424.34
31.56
558.3
11.78
624.1
16.59
727.64
14.23
831.2
9.59
910.93
2.07
1112
Y1997
Y1998
Y1999
Y2000
Y2001
Y2002
Y2003
Y2004
Y2005
Y2006
प्रतिशत वृद्धि
प्रति शाखा व्यवसाय

तालिका क्रमांक–3
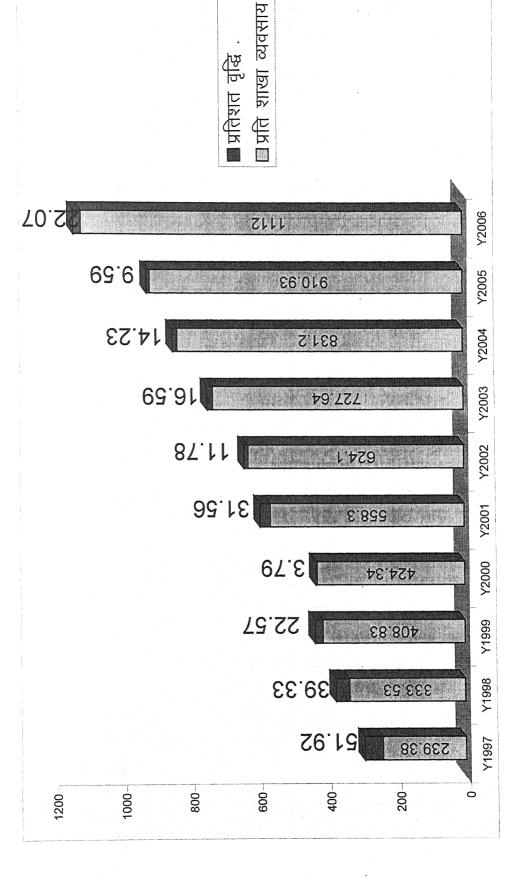
लाभ हानि

(लाखों में)

वर्ष	लाभ/हानि	लाभों में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1996	–141.33	–	–
1997	–195.67	–54.34	–38.44
1998	296.05	491.72	251.30
1999	431.62	135.57	45.79
2000	179.09	–252.53	–58.50
2001	190.19	11.1	6.19
2002	300.23	110.04	57.85
2003	458.29	158.06	52.64
2004	1001.68	543.39	118.56
2005	2001.64	999.96	99.82

स्रोत– जमुना ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय से संकलित

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि जमुना ग्रामीण बैंक वर्ष 1996 के अन्त तक बैंक को –141.33 लाख रूपये की हानि हुई। वर्ष 1997 में बैंक को –195.67 लाख रूपये की हानि हुई। गत वर्ष के सापेक्ष –38.47 लाख रूपये की अधिक हानि हुई। वर्ष 1998 में बैंक को लाभ 296.05 लाख रूपये जिसके लाभों में वृद्धि 491.72 लाख रूपये इसमें 251. 30 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1999 में बैंक को लाभ 431.62 लाख रूपये जिसके लाभों में वृद्धि 135.57 लाख रूपये इसमें 45.79 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2000 में लाभों में कमी रही। यह गत वर्ष के सापेक्ष 179.09 लाख रूपये लाभों में वृद्धि –252.53 लाख रूपये इसमें प्रतिशत वृद्धि –58.50 रही। इसी प्रकार वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 में बैंक को लाभ क्रमशः 190.19, 300.23, 458.29, 1001.68 लाख रूपयें लाभों में वृद्धि 11.1, 110.04, 158.06, 543.39 लाख रूपये जिसमें वृद्धि दर क्रमशः 6.19, 57.85, 52.64, 118.56 रही। वर्ष 2005 में बैंक को लाभ 2001.68 लाख रूपये जिसमें गत वर्ष के सापेक्ष लाभों में वृद्धि 999.96 लाख रूपये इसमें 99.82 प्रतिशत वृद्धि है।

इससे स्पष्ट होता है कि कुछ वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षों में बैंक को लाभ हुआ। वर्ष 2005 में बैंक का लाभ 2001.64 लाख रूपये अब तक के सबसे अधिक लाभ को दर्शाता है।

लाभ-हानि

लाख में

1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
Y1995
Y1996
Y1997
Y1998
Y1999
Y2000
Y2001
Y2002
Y2003
Y2004
-141.33
-195.67
296.05
431.62
179.09
190.19
300.03
458.29
1001.68

तालिका क्रमांक- 4
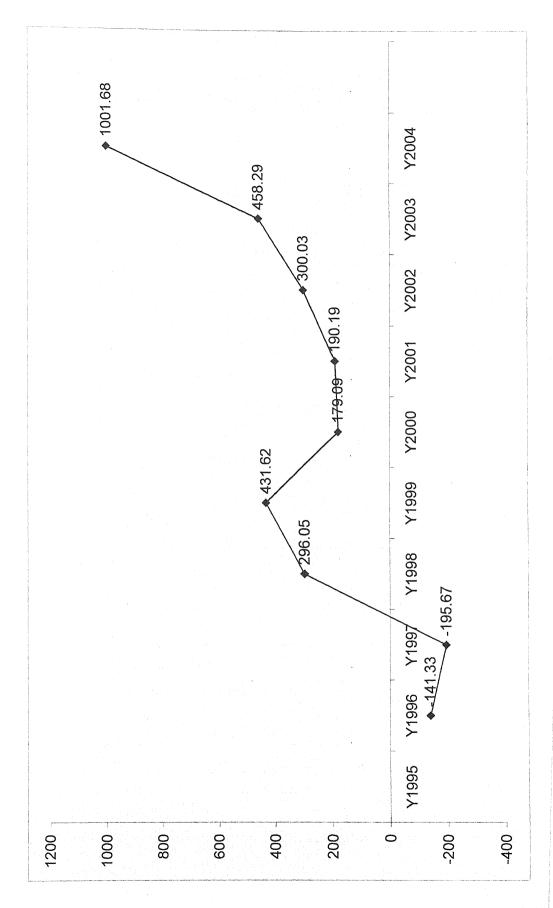
आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा दिये गये ऋण की वसूली

वर्ष 1995- 2005

(लाखों में)

वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय	प्रतिशत वसूली (जून स्थिति)
1995	–	–	–	–
1996	165081	107351	57730	65.00
1997	187608	103906	83702	55.38
1998	244032	160138	83894	65.62
1999	309389	225265	84124	72.80
2000	465521	316960	148561	68.08
2001	508738	315446	193292	62.01
2002	535110	305617	229493	57.11
2003	553637	348379	205258	62.93
2004	585243	411444	173799	70.30
2005	685110	529274	155836	77.25

स्रोत- जमुना ग्रामीण बैंक आगरा के प्रधान कार्यालय से संकलित

उक्त तालिका क्रमांक–4 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1995 में प्रधान कार्यालय द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 1996 के दौरान बैंक ने 165081 हजार रूपये का ऋण वितरित किया। जिसकी वसूली 107351

हजार रूपये की गयी। जिसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण 57730 हजार रूपये रह गया, जिसमें 65 प्रतिशत वसूली की जा सकी। वर्ष 1997, 1998 में बैंक ने 187608, 244032 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया। जिसकी वसूली क्रमशः 103906, 160138 हजार रूपये की गयी। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली 55.38, 65.62 की जा सकी।

वर्ष 1999—2000 में बैंक द्वारा ऋण वितरित 309389, 465521 हजार रूपये दिया। जिसमें वसूली क्रमशः 225265, 316960 हजार रूपये की गयी, इसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण 84124, 148561 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली क्रमशः 72.80, 68.08 की जा सकी।

इसी प्रकार वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 बैंक द्वारा ऋण वितरित क्रमशः 508738, 535110, 553637, 585243 हजार रूपये दिया गया। जिसकी वसूली क्रमशः 315446, 305617, 348379, 411444 हजार रूपये की गयी। इसमें, बकाया (अतिदेयी) ऋण 193292, 229493, 205258, 173799 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली क्रमशः 62.01, 57.11, 62. 93, 70.30 की जा सकी।

वर्ष 2005 में दिया गया ऋण 685110 हजार रूपये जिसकी वसूली 529274 हजार में की गयी। बकाया (अतिदेयी) ऋण 155836 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली 77.25 की जा सके।

इससे स्पष्ट होता है कि बैंक द्वारा दिया गये ऋणों में लगातार वृद्धि हुई है, बैंक द्वारा वसूली कुछ वर्षों को छोड़कर वसूली प्रतिशत में वृद्धि को दिखाता है।

वर्ष 2005 के बैंक द्वारा दिया गया, ऋण 685110 हजार रूपये जिसकी वसूली 77.25 प्रतिशत हुई। यह बैंक की सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक-5

आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में दिये गये ऋण की प्रगति

(लाख में)

वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय	प्रतिशत वसूली (जून स्थिति)
1996	36309	22595	13714	62.23
1997	42369	25857	16512	61.03
1998	57202	30228	20074	52.79
1999	126750	75218	51532	59.34
2000	160693	106685	54008	66.39
2001	236622	135584	101038	50.04
2002	226842	115798	111044	51.04
2003	251187	158096	93091	62.93
2004	219161	157414	61747	71.83
2005	390371	298317	92054	76.41

स्रोत–जमुना ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय द्वारा आंकड़े संकलित

उक्त तालिका क्रमांक 5 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1996 के दौरान बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में 36309 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया है, जिसकी वसूली 22595 हजार रूपये की गयी। जिसमे बकाया (अतिदेयी) ऋण 13714 हजार रूपये रह गया, जिससे 62.23 प्रतिशत वसूली की जा सकी। वर्ष 1997, 1998 में बैक द्वारा कृषि क्षेत्र में 42369, 57202 हजार

रूपये का ऋण वितरित किया गया। जिसकी वसूली क्रमशः 25857, 30228 हजार रूपये की गयी, जिसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण क्रमशः 16512, 20074 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 61.03, 52.79 प्रतिशत की वसूली की जा सकी।

वर्ष 1999, 2000 में बैंक द्वारा वितरित ऋण 126750, 160693 हजार रूपये किया गया। जिसकी वसूली 75218, 106685 हजार रूपये की गयी जिसमे बकाया (अतिदेयी) ऋण 51532, 54008 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 59.34, 66.39 प्रतिशत वसूली की जा सके।

इसी प्रकार वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 बैंक द्वारा ऋण वितरित क्रमशः 236642, 226842, 251187, 219161 हजार रूपये दिया गया, जिसकी वसूली क्रमशः 135584, 115798, 158096, 157414 हजार रूपये की गयी। इसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण क्रमशः 101058, 111044, 93091, 61747 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली क्रमशः 50.04, 51.04, 62.93, 71.83, 76.41 की जा सकी।

वर्ष 2005 में कृषि में दिया गया ऋण 390371 हजार रूपये, जिसकी वसूली 298317 हजार रूपये की गयी। बकाया (अतिदेयी) ऋण 92054 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 76.41 प्रतिशत वसूली की जा सकी।

इससे स्पष्ट होता है कि बैंक द्वारा दिये गये कृषि क्षेत्र में ऋणों में लगातार वृद्धि हुई है। बैंक द्वारा वसूली कुछ वर्षों को छोड़कर वसूली प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाता है।

वर्ष 2005 मे बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के ऋण 390371 हजार रूपये जिसकी वसूली 76.25 प्रतिशत हुई यह बैंक की सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक–6

आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैक द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में दिये गये ऋण की प्रगति

(लाखों में)

वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय	प्रतिशत वसूली (जून स्थिति)
1996	129323	84876	44445	65.63
1997	145239	78049	67190	53.74
1998	186230	129910	56920	69.53
1999	182639	150047	32592	82.15
2000	304828	210275	94553	68.98
2001	242096	179862	62234	74.29
2002	308268	189819	118449	61.57
2003	302450	190283	112167	62.91
2004	366082	254030	112052	69.39
2005	294739	230957	63782	78.36

उक्त तालिका क्रमांक 6 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1996 के दौरान बैंक ने 129323 हजार रूपये का गैर कृषि ऋण वितरित किया। जिसकी वसूली 84876 हजार रूपये की गयी। जिसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण 44445 हजार रूपये रह गया। जिससे 65.63 प्रतिशत की वसूली की जा सकी। वर्ष 1997, 1998 में बैंक द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में 145239, 186230 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया। जिसकी वसूली 78049, 129910

हजार रूपये की गयी। जिसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण 67190, 56920 हजार रूपये रह गयी। वर्ष के दौरान 53.74, 69.53 प्रतिशत वसूली की जा सकी।

वर्ष 1999, 2000 में बैंक द्वारा वितरित ऋण 182639, 304828, हजार रूपये किया गया, जिसकी वसूली 150047, 210275 हजार रूपये की गयी।, जिसमें बकाया। (अतिदेयी) ऋण 32592, 94553 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 82.15, 68.98 प्रतिशत वसूली की जा सकी।

इसी प्रकार वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 में बैंक द्वारा ऋण वितरण क्रमशः 242096, 308268, 302450, 366082 हजार रूपये दिया गया। जिसकी वसूली क्रमशः 179862, 189819, 190283, 254030 हजार रूपये की गयी। इसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण क्रमशः 62234, 118449, 112167, 112052 हजार रूपये रह गयी। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली क्रमशः 74. 29, 61.57, 62.91, 69.39 की जा सकी। वर्ष 2005 में गैर कृषि में दिया गया ऋण 294739 हजार रूपये जिसकी वसूली 230957 हजार रूपये की गयी। बकाया (अतिदेयी) ऋण 63782 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 78.36 प्रतिशत वसूली की जा सकी इससे स्पष्ट होता है। बैंक द्वारा दिये गये गैर कृषि ऋणों में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2005 सबसे अधिक वृद्धि को दर्शाता हैं।

अध्याय - षष्ठम्

आगरा जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का औद्योगिकरण में योगदान

जमुना ग्रामीण बैंक का आगरा जनपद के औद्योगिकरण में योगदान

केनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित आगरा स्थित अपने प्रधान कार्यालय के साथ जमुना ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत 2 दिसम्बर 1983 को भी गई थी। बैंक की 39 शाखाओं व तीन सैटेलाइट शाखाओं का संजाल है। बैंक का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दो जिलों यथा आगरा एवं फिरोजाबाद में फैला था। वर्तमान में इस बैंक की 39 शाखा कार्यरत हैं जो इस प्रकार हैं–

1. अछनेरा
2. बुन्दू कटरा
3. सिविल लाइन
4. दयालबाग
5. खेरिया मोड़
6. रामबाग
7. शाहगंज
8. ताजगंज
9. अकोला
10. अवलखेड़ा
11. अरनौटा
12. बाह
13. बरौली अहीर
14. बयारा
15. धीमश्री

16.फतेहाबाद

17.फतेहपुर सीकरी

18.फिरोजाबाद

19.हिन्गोट खेरिया

20.जगनेर

21.जेतपुर कलां

22.जोनधरी

23.कागरोल

24.ककूआ

25.कला खेरिया

26.खेरागढ़

27.के0 जवाहर

28.करौली

29.के0 चित्तरपुर

30.नोनी

31.ओखरा

32.पनवारी

33.पिनाहट

34.रैवा

35.रूदमुली सेटेलाइट

36.सैयां

37.शमशाबाद

38.तेहरा

39.अमरेठा

तालिका क्रमांक–1

जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा औद्योगिकरण हेतु वर्षों के दौरान सवितरित ऋण

(लाखों में)

वर्ष	कृषि उद्योग	लघु उद्योग	सेवा और अन्य	योग
1994-95	-	-	-	-
1995-96	-	-	-	-
1996-97	920.44	116.52	1365.07	2402.03
1997-98	662.00	134.00	1253.33	2049.33
1998-99	920.44	116.52	1365.07	2402.03
1999-2000	868.91	39.29	581.74	1759.88
2000-2001	1021.98	80.01	715.39	1817.38
2001-2002	1571.64	34.66	691.33	2297.63
2002-2003	2602.56	37.88	1082.72	3723.16
2003-2004	3354.78	54.10	1055.28	4460.16
2004-2005	5201.17	59.71	1119.51	6380.39

स्रोत– जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार

बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों (जिसमें कृषक व भूमिहीन) को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है।

ये बैंक विविध योजनान्तर्गत ग्रामीणों को उनकी आर्थिक दशा सुधारने हेतु ऋण प्रदान करना। ये योजनाएँ कृषि सम्बन्धी लघु व सेवा उद्योग सम्बन्धी है।

कृषि सम्बन्धी योजना में फसल एवं सिंचाई योजना, ट्रैक्टर क्रय करने हेतु ऋण एवं कृषि से सम्बन्धित उपकरण क्रय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है।

ग्रामीण लघु उद्योग के अन्तर्गत दर्जी, कुम्हार, बुनकर, चर्मकार, जनरल स्टोर, आटा चक्की व अन्य कारीगरों को उनके उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सेवा योजन के अन्तर्गत बैंक द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु ट्रैक्टर, ट्राली, तांगा, साइकिल, ठेला, रिक्शा, बैलगाड़ी हेतु बैंक द्वारा ऋ़ण प्रदान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि अन्य ऋण भी प्रदान किये जाते है। तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है।

तालिका क्रमांक–2

जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा आगरा जिले में स्थापित उद्यो एवं हितग्राहियों की संख्या

वर्ष	कृषि उद्योग में हितग्राहियों की संख्या	लघु उद्योग के हितग्राहियों की संख्या	सेवा उद्योग के हितग्राहियों की संख्या	कुल हितग्राहियों की संख्या
1994-95	-	-	-	-
1995-96	-	-	-	-
1996-97	4968	410	3583	8961
1997-98	4908	458	3787	9153
1998-99	4978	425	3593	8996
1999-2000	5397	149	3153	8699
2000-2001	5235	368	2696	8299
2001-2002	7940	124	1445	9509
2002-2003	10265	117	2048	12430
2003-2004	12986	118	1464	14568
2004-2005	17684	641	1735	20060

स्रोत- जमुना ग्रामीण के प्रधान कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के द्वारा

तालिका क्रमांक–3

कृषि योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये ऋण

(लाख में)

क्रमांक	वर्ष	धनराशि (लाखों में)
1	1995-96	-
2	1996-97	920.44
3	1997-98	662.00
4	1998-99	920.44
5	1999-2000	868.91
6	2000-2001	1021.98
7	2001-2002	1571.64
8	2002-2003	2602.56
9	2003-2004	3354.78
10	2004-2005	5201.17

स्रोत– शोधार्थी द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर

वर्ष 1994–95 बैंक द्वारा जानकारी उपलब्ध न होने पर जिसकी जानकारी अंकित नहीं हो सकी।

वर्ष 1996–97 में बैंक द्वारा कृषि योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला ऋण 920.44 लाख रूपये इस वर्ष इसमें काफी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई थी। वर्ष 1997–98 में ये ऋण घटकर 662.00 लाख रह गया। वर्ष 1998–99 में यह पुनः बढ़कर 920.44 लाख रूपये हो गया।

वर्ष 1999—2000 में ऋण में कमी की गई। ऋण 868.91 दिया गया। वर्ष 2001—02 में 1571.64 लाख .ऋण से बढ़कर 2002—03 में 2602.56 लाख रूपये हो गया। इसी क्रम में 2003—04, 2004—05 में निरन्तर वृद्धि हुई जो 3354.78 लाख रूपये से 5201.17 लाख रूपये हो गया। इसके साथ—साथ कृषि योजनान्तर्गत कृषि हेतु जितने हितग्राहियों ने ऋण लिया है। उसकी जानकारी तालिका क्रमांक—4 में दर्शायी गयी है।

तालिका क्रमांक—4

कृषि योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या
1	1995-96	-
2	1996-97	4968
3	1997-98	4908
4	1998-99	4968
5	1999-2000	5397
6	2000-2001	5235
7	2001-2002	7940
8	2002-2003	10265
9	2003-2004	12986
10	2004-2005	17684

स्रोत— शोधार्थी द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 1995–96 से 2004–05 तक प्रदान किये गये ऋणों से कृषि योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया। उनके हितग्राहियों की संख्याओं में बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 1996–97 में हितग्राहियों की संख्या 4968 जो बढ़कर 2000–2001 में ये 5235 हो गई। वर्ष 2001–2002 में हितग्राहियों की संख्या 7940 से बढ़कर 2004–2005 में 17684 हो गई। हितग्राहियों की संख्या में प्रतिवर्ष निरन्तर वृद्धि देखी जा सकती है।

जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा जिले में कृषि योजनान्तर्गत कृषि उद्योग स्थापित करने हेतु बैंक की शाखाओं में लघु एवं सीमान्त कृषक एवं अनुसूचित जाति व जनजातियों की दशा हेतु कृषि उद्योग खोलने हेतु विभिन्न योजनाओं में ऋण प्रदान किये गये हैं। जिसमें फसल ऋण, बीज क्रय करने हेतु ऋण, कृषि समृद्धि योजना एवं लघु उद्यमी शिक्षा सम्बन्धी ऋण, क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना में वर्ष 1995 से वर्ष 2005 तक की अवधि में ऋण प्रदान किये गये।

तालिका क्रमांक 5 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1995–96 के द्वारा जानकारी उपलब्ध न होने पर जिसकी जानकारी अंकित नहीं हो सकी है।

वर्ष 1996–97 में बैंक द्वारा लघु योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाला ऋण 116.52 लाख रूपये हो गया। 1997–98 में यह बढ़कर 134.00 लाख रूपये पुनः 1998–99 में यह ऋण घटकर 39.29 लाख रूपये था। वर्ष 2000–01 में इसमें अधिक वृद्धि देखी गयी। यह बढ़कर 80.01 लाख रूपये ऋण दिया गया

तालिका क्रमांक–5

लघु योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान किये गये ऋण

क्रमांक	वर्ष	धनराशि (लाखों में)
1	1995-96	-
2	1996-97	116.52
3	1997-98	134.00
4	1998-99	116.52
5	1999-2000	39.29
6	2000-2001	80.01
7	2001-2002	34.66
8	2002-2003	37.88
9	2003-2004	54.10
10	2004-2005	59.71

स्रोत– शोधार्थी द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर

लेकिन वर्ष 2001–02 में घटकर यह 34.66 लाख रह गया। वर्ष 2002–03 में 37.88 ऋण दिया गया। वर्ष 2003–04 में 54.10 लाख ऋण जो बढ़कर 2004–05 में 59.71 लाख रूपये हो गया। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि सन् 1996–97 में सन 1994 की अपेक्षा कृषि ऋण आठ गुनी तक बढ़ोत्तरी हुई। जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षति पर लघु उद्योगों की अपेक्षा बहुत अधिक ऋण उपलब्ध कराया है। गत वर्षों में 2003–04, 2004–05 में लघु उद्योग को ऋण कृषि की अपेक्षा बहुत कम ऋण

उपलब्ध कराया है। बैंक द्वारा कृषि उद्योगों हेतु विभिन्न योजनाओं में सर्वाधिक धनराशि वितरित की गयी।

लघु उद्योगों के अन्तर्गत, विभिन्न योजनाओं में जिन हितग्राहियों का ऋण प्रदान किये गये हैं। उनकी जानकारी निम्न तालिका क्रमांक–6 में दर्शायी गयी है।

तालिका क्रमांक–6

लघु उद्योग के अन्तर्गत हितग्राहियों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या
1	1995-96	-
2	1996-97	410
3	1997-98	458
4	1998-99	410
5	1999-2000	149
6	2000-2001	368
7	2001-2002	124
8	2002-2003	117
9	2003-2004	118
10	2004-2005	614

स्रोत– शोधार्थी द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 1995–96 से 2004–2005 तक प्रदान किये गये ऋणों से लघु योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया उनके हितग्राहियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई।

वर्ष 1996–97 में हितग्राहियों की संख्या 410 थी जो बढ़कर 1997–98 में 458 हो गयी। 1998–99 में हितग्राहियें में कमी हुई यह 410 पिछली संख्या के बराबर रह गई।

वर्ष 1999–2000 में इसमें और अधिक कमी आई। इस वर्ष 149 संख्या रह गई।

वर्ष 2000–01 में हितग्राहियों की संख्या 368 जो घटकर 2001–02 में 124 रह गयी। वर्ष 2002–03, 2003–04 में इन संख्याओं में कमी 124, 117 देखी गयी वर्ष 2004–2005 में इन हितग्राहियों की संख्याओं में बहुत अधिक वृद्धि 614 अब तक की सबसे अधिक हितग्राहियों की संख्या में दर्शाती है।

गत वर्ष 2004–2005 में सेवा योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों की संख्या अधिक होने के कारण उनको ऋण भी अधिक उपलब्ध करवाया गया।

तालिका क्रमांक 7 से स्पष्ट होता है कि कृषि उद्योग तथा लघु उद्योग की भांति सेवा उद्योग स्थापित करने हेतु जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किये गये। तीन वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 में सेवायोजन एवं अन्य के अन्तर्गत ऋण कम दिया गया। अन्य सभी वर्षों से इसमें लगातार वृद्धि हुई।

तालिका क्रमांक–7

सेवायोजन एवं अन्य के अन्तर्गत प्रदाय ऋण

(लाख में)

क्रमांक	वर्ष	धनराशि लाखों में
1	1995-96	-
2	1996-97	1365.07
3	1997-98	1253.33
4	1998-99	1365.07
5	1999-2000	581.74
6	2000-2001	715.39
7	2001-2002	691.33
8	2002-2003	1082.72
9	2003-2004	1055.28
10	2004-2005	1119.51

स्रोत– शोधार्थी द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर

वर्ष 1996–97 में सेवा के अन्तर्गत दिया गया ऋण 1365.07 दिया गया। वर्ष 1997–98, 1998–99 में ऋण क्रमशः 1253.33, 1365.07 लाख रूपये दिये गये।

वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 में सेवायोजन के द्वारा दिया गया ऋण क्रमशः 581.74, 715.39, 691.33 कम दिया गया।

वर्ष 2002—2003, 2003—2004 तथा 2004—2005 में सेवा उद्योग के लिए क्रमशः 1082.72, 1055.28 तथा 1119.51 लाख रूपये प्रदान किये गये।

तालिका से स्पष्ट होता है। 2003—2005 तक इसमें समान रूप से ऋण दिया गया।

तालिका क्रमांक—8

सेवायोजन एवं अन्य के अन्तर्गत प्रदाय ऋण

क्रमांक	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या
1	1995-96	-
2	1996-97	3583
3	1997-98	3787
4	1998-99	3583
5	1999-2000	3153
6	2000-2001	2696
7	2001-2002	1445
8	2002-2003	2048
9	2003-2004	1464
10	2004-2005	1735

स्रोत— शोधार्थी द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सेवा उद्योग के अन्तर्गत ऋण लेने वाले हितग्राहियों की संख्या में गत 2001—2005 तक कमी हुई।

वर्ष 1996—1997 में योजन एवं अन्य के अन्तर्गत हितग्राहियों की संख्या 3583 थी।

वर्ष 1997—98 में यह संख्या 3787 से बढ़कर वर्ष 1998—99 में 3583 रह गयी।

वष्र 1999—2000 में इसमें पुनः कमी हुई हितग्राहियों की संख्या 3153 रह गई।

वर्ष 2001—02 में इसकी संख्याओं में दो गुना कमी हुई तथा यह 1445 रह गई।

वर्ष 2002—03, 2003—04 तथा 2004—05 में क्रमशः हितग्राहियों की संख्या 2048, 1464 तथा 1735 रह गई।

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है सेवा योजन एवं अन्य में हितग्राहियों की संख्या 1996—2000 तक कमी अधिक थी तथा वर्ष 2001—2005 तक इसमें निरन्तर कमी देखी गयी।

अध्याय - सप्तम्

जमुना ग्रामीण बैंक के द्वारा आगरा जनपद के औद्योगिक विकास में किये गये प्रयासों का मूल्यांकन

जमुना ग्रामीण बैंक के द्वारा आगरा जनपद के औद्योगिक विकास में किये गये प्रयासों का मूल्याकन

उत्तर प्रदेश का आगरा जिला उद्योग। दस्कारी की दृष्टि से एक महत्पूर्ण जिला है इस जिले में मुगल काल से ही यहाँ पर शिप्लकला के रूप में विख्यात है देश में ऐसे बहुत ही कम नगर होंगे जहाँ इतनी सारी हस्तकालाएं एक साथ फली फूली है।

जनपद में शिप्लकला/मूर्तिकला, पच्चीकारी, जरदोजी/रेशम दोजी, कालीन, चमड़े का सामान, डीजल इंजन, इजीनियरिंग के सामान प्लास्टिक एवं गुडस,मार्बिल, बिजली के पंखे, ओटोमोबाइल पार्टस, एल0पी0जी0 स्टोब्स, कोल्डड्रिंक्स जनरेटिंग, सेट्स, वैज्ञानिक उपकरण खाद्य तेल, लेदर बोर्ड, लोहे का फर्नीचर, कृषि यन्त्र, स्टील अलमारी, आईस फेक्टरी, मिट्टी के बर्तन कागज के खिलौने पेंठा और दालमोट, चाँदी के बर्तन आदि। ऐसे अनेक प्रकार के उद्योग विकसित रूप में देखने को मिलते हैं।

जनपद के औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक है वह औद्योगिक संसाधनों लघु उद्यौग कृषि उत्पादों का उचित प्रयोग किया जायें। आगरा जनपद में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित हुये। जिले में पंजीकृत कारखानों की संख्या लघु औद्योगिक इकाईयों, खादी ग्रामोंद्योग एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग स्थापित हुये।

आगरा जिले में स्थापित औद्योगिक बैंक व्यवसायिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से इन औद्योगिक इकाइयों को सहयोग दिया जमुना ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 दिसम्बर 1983 में आगरा में की गयी जिसके माध्यम से कृषि, लघु व सेवा उद्योग ग्रामीण स्तर पर स्थापित हुये।

तालिका क्रमांक–1

सर्वेक्षित परिवारों द्वारा जमुना ग्रामीण बैंक से प्राप्त ऋृण का क्षेत्रीय स्वरूप वर्ष 2005

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	लघु सीमान्त कृषक	270	50%
2	लघु व्यवसायिक	120	24%
3	ग्रामीण कारीगर	50	10%
4	खेतिहर मजदूर	60	12%
	योग	500	100%

सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 500 सर्वेक्षित हितग्राहियों में से 270(54प्रतिशत)हितग्राही लघु सीमान्त कृषक हैं जबकि 120 (24प्रतिशत) लघु व्यावसायिक हैं। 50 (10 प्रतिशत) हितग्राही ग्रामीण कारीगर है केवल 60 (12 प्रतिशत) हितग्राही खेतिहर मजदूर हैं।

अध्ययन से विदित होता है कि जमुना ग्रामीण बैंक से ऋृण प्राप्त करने वाले हितग्राही सबसे अधिक सीमान्त कृषक हैं।

तालिका क्रमांक–2

जमुना ग्रामीण बैंक में हितग्राहियों द्वारा निक्षेप का प्रकार वर्ष 2005

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	नियमित जमा करने वाले हितग्राही	55	11%
2	सुविधानुसार जमा करने वाले लघु सीमान्त कृषक व्यापारी एवं मजदूर	325	65%
3	कभी–कभी जमा करने वाले ग्रामीण कारीगर एवं कृषक	120	24%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित हितग्राहियों द्वारा आगरा जिले में अपनी सुविधानुसार बचत इस बैंक में जमा की गयी। वर्ष 2004 में 500 में से 55 (11प्रतिशत) हितग्राहियों ने नियमित रूप से धन राशि खातों में जमा की गई जबकि 325 (65 प्रतिशत) हितग्राहियों ने जो लघु सीमान्त कृषक एवं व्यापारी सुविधानुसार धन राशि जमा की गयी। जबकि 120 (24 प्रतिशत) हितग्राहियों ने जो कारीगर एवं कृषक हैं उन्होंने अपनी बचत कभी–कभी इन बैंकों में जमा की गई।

अध्ययन से ज्ञात होता है कि सुविधानुसार जमा करने वाले लघु सीमान्त कृषक एवं व्यापारी की संख्या सबसे अधिक है।

तालिका क्रमांक–3

सर्वेक्षित हितग्राहियों को ऋृण प्राप्ति में सहयोग वर्ष 2005

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	स्वयं के प्रयास से	325	65%
2	मध्यस्थों के द्वारा	175	35%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वेक्षित हितग्राहियों में 325 (65 प्रतिशत) हितग्राहियों ने स्वयं को प्रयास से बैंक से ऋृण प्राप्त किया जबकि 175 (35 प्रतिशत) हितग्राहियों ने यह ऋृण मध्यस्थों के माध्यम से प्राप्त किया।

इस प्रकार स्वयं के प्रयास से ऋृण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या अधिक है।

तालिका क्रमांक–4

जमुना ग्रामीण बैंक से ऋृण की पर्याप्तता/अपर्याप्तता सम्बन्धी अभिमत

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	पर्याप्त ऋृण प्राप्त हुआ	310	62%
2	अपर्याप्त ऋृण प्राप्त हुआ	190	38%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वेक्षित 500 हितग्राहियों में से 310 (62प्रतिशत) हितग्राहियों ने यह बताया कि उन्होंने स्वयं के प्रयास से पर्याप्त ऋृण प्राप्त किया जबकि 190 (38 प्रतिशत) हितग्राहियों ने बैंक द्वारा प्राप्त ऋृण को अपर्याप्त बताया।

इस प्रकार अधिकांश हितग्राहियों ने बैंक द्वारा प्राप्त ऋृण को पर्याप्त होना बताया है।

तालिका क्रमांक–5

हितग्राहियों द्वारा जमुना ग्रामीण बैंक को ऋृण का भुगतान वर्ष 2005

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	समय पर भुगतान	350	70%
2	देरी से भुगतान	150	30%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वेक्षित में 500 हितग्राहियों में से 350 (70 प्रतिशत) हितग्राहियों ने यह बताया कि उन्होंने ऋृण का भुगतान समय पर कर दिया जब कि 150 (30 प्रतिशत) हितग्राहियों ने ऋृण का भुगतान देर से किया।

इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले हितग्राहियों की संख्या अधिक थी।

तालिका क्रमांक–6

हितग्राहियों को प्राप्त ऋृण से व्यवसाय में वृद्धि का अभिमत वर्ष 2005

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	क्रय विक्रय में वृद्धि	325	65%
2	रोजगार में वृद्धि	175	35%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वेक्षित में 500 हितग्राहियों में से 175(35 प्रतिशत) बैंक से प्राप्त ऋृण से उनके रोजगार में वृद्धि हुई जबकि हितग्राहियों के क्रय विक्रय में 325(65 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई

इस प्रकार हितग्राहियों को प्राप्त ऋृण से स्थापित होने वाले उद्योगों के क्रय विक्रय एवं रोजगार में अधिक वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक–7

जमुना ग्रामीण बैंक का ऋृण के अतिरिक्त अन्य सहयोग में योगदान के सम्बन्ध में हितग्राहियों का अभिमत वर्ष 2005

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	सहायता प्राप्त की	280	56%
2	सहायता प्राप्त नहीं की	220	44%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वेक्षित में 500 हितग्राहियों में से 280 (56 प्रतिशत) हितग्राहियों का मत है कि उन्होंने जमुना ग्रामीण बैंक के ऋृण के अतिरिक्त अन्य सहयोगों के योगदान में सहायता प्राप्त की है। जबकि 220 (44 प्रतिशत) हितग्राही ऐसे पाये गये जिनका मत था कि बैंक से अन्य

सहयोग के योगदान मे सहायता प्राप्त नहीं की है।

इस प्रकार सहायता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का मत अधिक है।

तालिका क्रमांक–8

जमुना ग्रामीण बैंक से ऋृण प्राप्त करने में हितग्राहियों का अभिमत वर्ष 2005

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	क्या ऋृण प्राप्त करने में आपको कठिनाई हुई	315	63%
2	आपको कठिनाई नहीं हुई	185	37%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वेक्षित में 500 हितग्राहियों में से 315(63 प्रतिशत) हितग्राहियों का मत है कि उन्होंने बैंक से ऋृण प्राप्त करने में अधिक कठिनाई हुई जबकि 185(37 प्रतिशत) हितग्राहियों का मत है बैंक से ऋृण प्राप्त करने में उन्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई।

इस प्रकार अधिकांश हितग्राहियों को ऋृण प्राप्त करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

तालिका क्रमांक–9

अशिक्षित होने के कारण क्या हितग्राहियों को ऋृण लेने मे कठिनाई हुई।

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	कठिनाई नहीं हुई	335	67%
2	कठिनाई हुई	165	33%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वेक्षित में 500 हितग्राहियों में से 335(67 प्रतिशत) हितग्राहियों का मत है कि अशिक्षित होते हुये भी ऋृण लेने

में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। जबकि 165(33 प्रतिशत) हितग्राहियों का मत है कि उन्हें अशिक्षित होने के कारण बैंक से ऋृण लेने में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार अधिकांश हितग्राहियों को अशिक्षित होते हुये भी उन्हें ऋृण लेने में किसी प्रकार की कठिनाईं नहीं हुई।

तालिका क्रमांक–10

हितग्राहियों को ऋृण लेते समय बैंक के अधिकारी /कर्मचारियों ने ऋृण से सम्बन्धि योजनाओं के बारे में आपको अवगत कराया।

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	अवगत करा दिया था	390	78%
2	अवगत नहीं कराया था	110	22%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश हितग्राही अशिक्षित होते हैं जिसके कारण बैंक से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी ठीक तरह से प्राप्त नहीं हो पाती जिससे वे योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। समय–समय पर बैंक के अधिकारी/कर्मचारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराते रहते हैं। इस कारण 500 हितग्राहियों में से 390(78 प्रतिशत) हितग्राहियों का मत है कि उन्हें बैंक के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा ऋृण लेने सम्बन्धी योजनाओं के बारे में अवगत करा दिया था।

जबकि 110(22 प्रतिशत) हितग्राहियों का ऐसा मत है कि उनको पूर्व में इस योजना के बारे में जानकारी से अवगत नहीं कराया गया था।

तालिका क्रमांक–11

हितग्राहियों को ऋृण प्राप्त करने में भेदभाव का सामना करना पड़ा।

क्र0सं0	विवरण	हितग्राही	प्रतिशत
1	भेदभाव का सामना करना पड़ा	170	34%
2	सामना नहीं करना पड़ा	330	66%
	योग	500	100%

स्त्रोतः– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सर्वेक्षित में 500 हितग्राहियों में से 330(66 प्रतिशत) हितग्राहियों का अभिमत है कि उन्हें बैंक से ऋृण प्राप्त करने में किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा।

इस प्रकार बैंक से ऋृण प्राप्त करने अधिकांश हितग्राहियों को किसी तरह के भेदभाव को सामना नहीं करना पड़ा।

जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा आगरा जिले के औद्योगिक विकास में किये गये प्रयासों का मूल्याकंन

जमुना ग्रामीण बैक द्वारा आगरा जिले के औद्योगिक विकास में पूर्ण योगदान दिया है। औद्योगिक विकास के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योग, सेवा उद्योग कारीगर एवं छोटे उधमियों को ऋृण सुविधा उपलब्ध कराना है यह बैंक मुख्य पिछडें क्षेत्रों जिसमें वाणिज्य एवं शहरी बैंको की शाखाओं का विस्तार नहीं है। वहाँ पर ग्रामीण स्तरीय उद्योगों को स्थापित करने में बैंक द्वारा अनेक प्रकार के प्रयोग कर प्रयास किये गये।

जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा विगत 10 वर्षो में अपनी कार्यशैली में काफी सुधार किया गया है बैंक ने अपने सामाजिक एवं सवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त की है शाखा प्रबन्धकों को बैंक की वसूली कार्यक्रम के अन्तर्गत शिविर लगाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने के निर्देश दिये गये जिससे बैंक द्वारा

दिये गये ऋृणों का सदुपयोग हो सके तथा ऋृण की वसूली समय पर की जा सके। बैंक व्यवस्था में स्टाफ के सदस्य अध्यक्ष महोदय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर ऋृण से सम्बन्धित कठनाई को हल करने में सहयोग प्रदान करते हैं।

औद्योगिक विकास में सफलता प्राप्त करने के लिये अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारियों को समय–समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है जिसमें प्रशंसा पत्र, बधाई पत्र आदि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

औद्योगिक विकास से सम्बन्धित दिये गये ऋृण को वसूल करने के लिये प्रत्येक शाखा में विभिन्न वसूली कैम्प का आयोजन समय–समय पर किया गया जिसमे अधिकारियों राजस्व अधिकारियों आदि का सहयोग मिला जिसके माध्यम से ऋृण की वसूली में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए तथा उद्योगों से सम्बन्धित वसूली परिणामों में सफलता परिलक्षित हुई।

बैक द्वारा पूरे वर्ष में सभी शाखाओं द्वारा ग्राहक सेवा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जिससे कि औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुँचा सकें तथा क्षेत्र की ग्रामीण जनता बैंक योजनाओं में अधिक से अधिक रूचि दिखाये। जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा छोटे किसानों एवं गरीबो को औद्योगिक ऋृण देते समय जमानत व गिरबी पर अधिक जोर न देकर इस बात का ध्यान रखा जाये कि उनकी ऋृण पाने की क्षमता कितनी है।

आवश्यकता अनुसार बैंक के प्रचार हेतु व्यवसायिक प्रतिदंद्वता के क्षेत्र में अपने आपको स्थापित करने के लिए बैंक में ढांचागत परिवर्तन भी किये गये इन परिवर्तनों में से कुछ निम्नानुसार हैं।

(1) सभी जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को समग्र सर्वाधिक अनुपात (एस0एल0आर0) सरकारी तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखने की सलाह दी गयी।

(2) जमुना ग्रामीण बैंक को सलाह दी गई कि मार्च 31, 2005 से जो आस्ति 12 महीने तक (वर्तमान में यह अवधि 18 महीने हैं) अवमानक कोटि में रहेगी उसे सदिग्ध कोटी में रखा जायेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को परिणामी अतिरिक्त प्रावधान का 4 वर्षों की अवधि में अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष के रूप में बृद्धि करने की अनुमति है।

(3) प्राथमिक क्षेत्रों के अन्तर्गत कमजोर वर्ग में ग्रामीण दस्तकारी एवं कुटीर उद्योग में व्यक्तिगत ऋृण की सीमा 25 हजार से बड़ाकर 50 हजार की गयी।

(4) चालू खातों पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान वापस लिया जायेगा।

(5) बैंक की लाभ प्रदत्ता के विभिन्न कारकों में सफल व्यवस्था हेतु प्रशासनिक अधिकारियों से निरन्तर मार्ग दर्शन लिया गया। जिसके फलस्वरूप कम ब्याज की जमा राशियों एवं शासकीय योजना ऋृणों की वसूली में व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ।

(6) बैंक द्वारा अधिक लाभ अर्जित करने के लिये कुछ औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिससे बैंक को अधिक ब्याज प्राप्त हो।

(7) नई ऋृण योजनाओं जैसे– जमुना समृद्धि, जमुना विद्यादायनी योजना, एग्रोक्लिनिक एवं एग्रो व्यवसाय केन्द्र योजना चलाई गयी।

(8) जमुना ग्रामीण बैंक के विकास में प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ किया गया। जिससे बैंको के कार्यों में वृद्धि हुई जनता को शीघ्र ऋृण प्राप्त हो सके।

(9) जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा स्थानीय लोगों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की गयी जिससे ग्रामीणों को बैंक की योजना के बारे मे भलीभाँति जानकारी दी जा सके। अशिक्षित होने पर भी उन्हें बैंक के स्टाफ द्वारा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गयी जिसका समुचित लाभ उठाकर उन्होंने अपने उद्योग स्थापित किये गये।

(10) जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित कर कार्य के प्रति अभिप्रेरित किया गया तथा उत्कृष्ट कार्य के आधार पर पदोन्नति एवं कार्य तैनाती सुनिश्चित कर लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाया गया।

(11) लघु, दस्कारी महिलाओं एवं स्व रोजगारों एवं रिक्शा चालकों हेतु स्व रोजगार क्रेडिट कार्ड नाम से नवीन साख योजना चलाई गयी।

(12) भारत में शिक्षा हेतु 7.50 लाख तथा विदेश में शिक्षा हेतु रूपये 15 लाख तक के शैक्षिक ऋृण प्राथमिक क्षेत्र में योजना लागू की गयी।

(13) कृषि लघु उद्योग परिवहन व लघु क्षेत्रों के उद्योगों हेतु वित्त पोषक के लिए गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों को प्रदान किये गये ऋृण प्राथमिक क्षेत्रों में दिये गये।

(14) वर्ष 2004 में स्वयं सहायता समूहों के जमुना मॉडल के द्वारा 23 किसान मित्रमण्डल एवं 883 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनको ऋृण उपलब्ध कराये।

(15) बैंक द्वारा समय–समय पर विभिन्न गाँव में शिविर लगाये गये ऋृण वितरण एवं वसूली का कार्य भी राजनैतिक व स्थानीय लोगों के दबाव के बिना किया गया।

प्रयासों में कमियों का संक्षिप्त विवरण

जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था।

1. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई। तदुपरांत वहाँ थोड़ा सा विकास होने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी अपनी शाखायें खोल दी, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विकास वांछित हुआ।
2. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की दयनीय स्थिति का एक कारण स्टाफ की कमी है। अधिकांश शाखाओं में दो या तीन कर्मचारी हैं। जिससे कार्य वांछित होता है और ग्राहक दूसरी शाखाओं में चले जाते हैं।
3. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में गांव के लोगों की आय कम होने के कारण जमा खातों की संख्या अधिक होती है तथा जमा राशि उस अनुपात में कम होती जाती है। इसलिए बैंक की लाभदायकता प्रभावित होती है।
4. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण प्रदान करते समय जमानत देने एवं प्रतिभूति गिरवी रखने पर अधिक जोर नहीं देते, इसलिए इन बैंकों की अनर्जक आस्तियां अन्य बैंकों की तुलना में अधिक हो जाती है।
5. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के पास होता है। अतः अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए भी इन्हें सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
6. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शीर्ष प्रबन्धन के गठन में राजनैतिक हस्तक्षेप होता है। अतः वह क्षेत्रीय समस्याओं के अनुरूप निर्णय नहीं कर पाते।

7. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नियुक्ति में ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यार्थियों को वरीयता नहीं दी गयी और अधिकांश कर्मचारी ग्रामीण समस्याओं से अनभिज्ञ हैं तथा उन्हें उक्त हेतु पूर्ण रूप से प्रशिक्षित भी नहीं किया गया।
8. प्रारम्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को राज्य सरकार के वेतनमान दिये गये थे। जबकि बाद में इन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों की तरह ही वेतनमान प्रदान किये गये। जिससे बैंक पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।
9. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्टाफ की कमी होने के कारण ऋण वसूली प्रक्रिया धीमी रहती है। इसलिए ऋण वसूली ठीक ढंग से एवं समय पर नहीं हो पाती।
10. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर निर्धारित लक्ष्य समय से पूरा करने का सरकार का दबाव होता है। परिणामस्वरूप ऋण वितरण प्रक्रिया को सही रूप से संचालित नहीं किया जाता और राजनैतिक दवाब के कारण अपात्र लोगों के भी ऋण स्वीकृत हो जाते हैं।
11. जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में छोटे–छोटे ऋण व जमा खातों के होने से तथा शाखाओं के दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित होने के कारण नियंत्रण व संचालन लागत अधिक आती हैं।

अध्याय - अष्टम्

समस्याएँ एवं सुझाव

समस्याएं एवं व्यावहारिक सुझाव

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकिंग उद्योग पूर्णतया वाणिज्यिक प्रकृति का नहीं रहा और उसको सामुदायिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व प्रदान किया गया। बैंकिंग उद्योग ने राष्ट्रीय अर्थतन्त्र में जहां अपना प्रमुख स्थान बनाया वही दूसरी ओर बैंकों से लगातार यह अपेक्षा भी की जाती रही है कि वे अपनी निधियों का अपवर्तन करे। नई गतिविधियां अपनाये। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारतीय बैंकिंग उद्योग ने परिणात्मक वृद्धि तो दर्ज की है किन्तु गुणात्मक सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया।

वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से अनेक प्रकार की अपेक्षाएं की गयीं। विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त कर शीघ्र ग्रामीण विकास की गति प्रदान करना, इन विस्तृत रूप से फैली संगठित वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अपेक्षित है। यद्यपि अधिकांश लक्ष्यों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने प्राप्त करने का प्रयास किया है परन्तु ये बैंक भी अनेक प्रकार की समस्याओं एवं सीमाओं के कारण पूर्णतः विकसित नहीं हो पाये। वर्तमान समय में भी ये बैंकिंग संस्थाएं अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं। इन समस्याओं का विश्लेषण विभिन्न बैंकिंग सूचनाओं एवं हितग्राहियों द्वारा प्रदान की गयी जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। प्रमुख समस्यायें विशेष रू॰ से औद्योगिक विकास के अन्तर्गत अधिकांश रूप से परिलक्षित हुई है इसके अतिरिक्त सड़क यातायात, संचार साधन, भवन, विद्युत शक्ति, जल आपूर्ति स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं का बैंक संचालित क्षेत्रों में अभाव और प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण ये बैंक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाये हैं। जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अन्यसमस्याओं प्रशासनिक विकास, वित्त एवं नियन्त्रण सम्बन्धी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वर्तमान में विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है -

<u>संगठनात्मक संरचना</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गतिविधियों पर नियन्त्रण करने वाला कोई एक स्वामी नहीं है। सामान्यतः अध्यक्ष प्रवर्तक बैक का एक अधिकारी होता है जो केन्द्रीय कार्यालय के मार्गदर्शन में काम करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निर्माण में केन्द्र सरकार मुख्य अंशधारी होने के कारण नीति सम्बन्धी विशाल शक्तियां उसके पास है। जबकि दूसरी ओर उसकी सम्पूर्ण नियन्त्रण सम्बन्धी शक्ति नाबार्ड के हाथ में है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति या असमर्थता में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके उत्तरदायित्व के निर्वहन का प्रावधान नहीं है। संगठनात्मक समस्याओं मे प्रमुख्य समस्याएं निम्न हैं -

<u>केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति का असहयोगात्मक व्यवहार</u>

यह अनुभव किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रति0 धारित पूंजी गैर कार्यशील होती है इस कारण केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत संचालन मण्डल की समस्याओं में कम उपास्थित होती है जिससे वे सक्रिय रूप से बैंक की समस्याओं में भागीदार नहीं हो पाते।

<u>पर्याप्त निरीक्षण व नियन्त्रण का अभाव</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आगरा की 39 शाखाओं पर पर्याप्त नियन्त्रण व निरीक्षण का अभाव है। शाखाओं का दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक फैले होने का कारण अध्यक्ष एवं शाखा प्रबन्धक के मध्य उचित संवहन नहीं हो पाता साथ ही शाखाओं का अपने व्यापार एवं ग्रामीण समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु दूरस्थ स्थानों पर फैले होने के कारण अध्यक्ष उन पर पर्याप्त नियन्त्रण नहीं रख पाते।

प्रशासनिक सेवाएं

बैंक को अनेक अवसरों पर मुख्यालय पर ही आश्रित रहना पड़ता है। हितग्राहियों द्वारा समय पर भुगतान न करने पर ग्रामीण शाखायें मुख्यालय पर आश्रित होती हैं, जिससे प्रशासनिक नियन्त्रण ढीला रहता है। जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार, विकास-खण्ड अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक के कार्यों पर भी निर्भर होते हैं जिससे बैंक का कार्य सुदृढ़ नहीं हो पाता।

ऋण की समस्या

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धकों का कहना है कि ऋण स्वीकृत करते समय उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवेदक ऋण प्राप्ति से सम्बन्धित बहुत सी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करते जिससे ऋण स्वीकृति में विलम्ब होना स्वाभाविक है। कुछ व्यक्ति अपने मध्यस्थों के साथ बैंक में आते हैं जबकि बैंक ने किसी प्रकार के मध्यस्थों को मान्य नहीं किया है। बैंक केवल उन्हीं आवेदकों को ऋण देती हैं जिनकी पहचान क्षेत्र के विकास-खण्ड अधिकारी या ग्राम स्तरीय अधिकारी व ग्राम प्रधान करते हैं। कभी-कभी हितग्राही ऐसे उद्योगों हेतु नकद चाहते हैं जिनकी वापसी बहुत कठिन होती है। कभी-कभी ऋण स्वीकृति के समय मध्यस्थों व उनके आवेदकों के द्वारा बैंक के कर्मियों के साथ अपशब्दों के प्रयोग की घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। ऐसे समय में बैंक अधिकारियों को ऐसी समस्याओं का सामना शान्ति और सामंजस्य से करना पड़ता है परन्तु ये स्थिति उन्हें बहुत कष्टदायक महसूस होती है।

वित्त प्रबन्धन सम्बन्धी समस्या

जमुना ग्रामीण बैंक की शाखाएं वित्त का उचित प्रबन्ध नहीं कर पाती हैं उन्हें अनेक

अवसरों पर अर्द्धशहरी शाखाओं या मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है। हितग्राहियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

कोष प्रवाह की समस्या

बैंक में कोष प्रवाह महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण बैंक की शाखाओं में प्राप्त निक्षेप राशि का उपयोग कब, कहां और कितना लाभकारी होगा इसकी जानकारी शाखा प्रबन्धक को नहीं होती है।

कार्यशील पूंजी एवं स्थायी पूंजी का अनुपात

जमुना ग्रामीण बैंक में कार्यशील पूंजी एवं स्थायी पूंजी अनुपात सामंजस्य की समस्या बनी हुई है।

पूंजी आवर्त की समस्या

जमाओं की दर में गतिशीलता की कमी के परिणामस्वरूप पूंजी की आवर्त दर कम रहती है।

निक्षेप सम्बन्धी

ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून पूंजी उत्पादक दर एवं बेरोजगारी के कारण बचत दर भी कम है जिससे बैंक के निक्षेप में शीघ्र वृद्धि की सम्भावनाएं नहीं रहती हैं।

लागत-लाभ विश्लेषण सम्बन्धी

जमुना ग्रामीण बैंक में लागत-लाभ विश्लेषण की व्यवस्था नहीं रहती जिससे बैंकों की लागतें बढ़ती जा रही हैं। परिणामस्वरूप शाखाओं को हानियां उठानी पड़ती हैं। लागत

वृद्धि एवं लाभ कम हो जाने के कारणों का समुचित विश्लेषण नहीं होने के कारण ये शाखाएं अपने उद्देश्य से हट जाती हैं।

ब्याज दर सम्बन्धी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिवर्तित ब्याज दरों का प्रभाव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऋणों एवं निक्षेपों पर पड़ता है क्योंकि ग्रामीण लोग इन परिवर्तनों को शीघ्र नहीं स्वीकारते।

कार्मिक समस्या

(क) चयन सम्बन्धी

जमुना ग्रामीण बैंक में चयन सम्बन्धी एकरूपता का व्यवहार में अनुसरण नहीं किया जाता। जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा चयन सम्बन्धी असमान व्यवहारों के कारण चयन प्रक्रिया में विलम्ब होता है जिससे शाखा विस्तार कार्यक्रम, सामान्य संचालन और उचित मानव शक्ति का नियोजन अस्त-व्यस्त हो जाता है। संगठनात्मक सतर्कता के अभाव में नैतिक भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होती है जिससे असन्तोष को बढ़ावा मिलता है।

(ख) प्रशिक्षण सम्बन्धी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रशिक्षण कार्यक्रम की कोई निश्चित योजना नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम महाविद्यालय पुणे, नाबार्ड और प्रवर्तक बैंकों की कृपा पर निर्भर है।

(ग) पारिश्रमिक सम्बन्धी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को राज्यसरकार के कर्मचारियों के समान वेतन प्राप्त होता है परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति वे अन्य अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे - मकान आदि की सुविधा।

(घ) कर्मचारी टर्न ओवर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा बैंक छोड़कर जाने की समस्या भी विकराल है। मानव शक्ति नियोजन विकास पर प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों द्वारा त्याग-पत्र देने के कारण बैंक के कार्य एवं प्रतिष्ठा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ड़) कार्य पिष्पादन सम्बन्धी

बैंक द्वारा चयनित कर्मचारियों की नियुक्ति ग्रामीण शाखाओं में की जाती है। अधिकांश कर्मचारी ग्रामीण परिवेश से अनभिज्ञ होने के कारण अपने कार्यों को मूर्तरूप देने में असुविधा एवं कठिनाई अनुभव करते हैं, जिसका प्रभाव उनके कार्य निष्पादन पर पड़ता है।

(च) भविष्य सम्बन्धी अनिश्चितता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी को व्यावसायिक बैंक के कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं और न ही उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित होते हैं। वर्तमान में वेतन आदि की सुविधाएं व्यावसायिक बैंक के कर्मचारियों के समान प्राप्त होने लगी हैं परन्तु पदोन्नति के अवसर अभी भी सीमित हैं जिससे कर्मचारियों

में भविष्य सम्बन्धी अनिश्चितता बनी रहती है और वे अवसर पाते ही कार्य परिवर्तन के लिए तत्पर रहते हैं।

कार्यात्मक समस्या

(क) परिवेश से समायोजन सम्बन्धी समस्यायें

ग्रामीण परिवेश में प्रचलित रीति-रिवाजों, वहां की परिस्थितियों के कारण शहरी कर्मचारी अपने आप को ग्रामीण जनता एवं ग्रामीण वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते और असुविधा का अनुभव करते हैं। कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं जैसे- आवास हेतु उचित भवन, फर्नीचर, बिजली-पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन आदि का अभाव होता है। कुछ कर्मचारी जो अपने परिवार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वे ग्रामीण जीवन के रहन-सहन के तरीकों एवं भाषा-शैली को अपनाने के परिणामस्वरूप शहरी समान पद पाने वाले कर्मचारियों की तुलना में अपने आप को हीन मानते हैं।

(ख) शाखा विस्तार

शाखा विस्तार कार्य अनियमित एवं अनियोजित तरीके से किया जाता है। शाखाएं खोलने के लिए आवश्यकतानुसार उचित वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माधार पर ऐसे केन्द्रों की पहचान और नियोजन नहीं किया गया है। राजनैतिक दबाव में बैंक ने कुछ ऐसे स्थानों पर शाखाएं खोली हैं जहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं।

(ग) उचित बैंक एवं आवासीय भवनों का अभाव

बैंक अपनी शाखाओं हेतु कुछ स्थानों पर उपयुक्त भवन प्राप्त नहीं कर पाते। कई जगहों पर हमेशा असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। कुछ स्थानों पर जहां बैंक ने

शाखाओं हेतु भवन प्राप्त कर लिये हैं, पर कर्मचारियों के निवास हेतु मकानों की कमी है परिणामस्वरूप कर्मचारी शाखाओं के समीप बड़े कस्बों या शहरों में रहते हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की अवधारणा और दर्शन के विपरीत है।

(घ) संचालन क्षेत्र

जमुना ग्रामीण बैंक का संचालन क्षेत्र बहुत विस्तृत है परिणामस्वरूप बैंक को शाखाओं पर प्रबन्ध करने में असुविधा होती है। भौगोलिक विस्तार के कारण बैंक उस क्षेत्र का अपेक्षित विकास कराने में असमर्थ रहते हैं।

(ङ) ऋणों एवं अग्रिमों की कम वसूली

बैंकिंग ऋणों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ऋणों की वसूली है। यह स्थिति वित्तीय संस्थान के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। जमुना ग्रामीण बैंक को इन कालातीत ऋणों को कम करने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। ऋणों को कम करने के लिये विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। ऋणों की कम वसूली के लिये अनेक तत्व उत्तरदायी हैं। इन तत्वों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) आन्तरिक तत्व

इन तत्वों के अन्तर्गत शाखा स्तर पर यह पाया गया है कि इसके लिए बैंक शाखाएं स्वयं उत्तरदायी हैं।

(ब) बाह्य तत्व

ये तत्व शाखाओं के नियन्त्रण से सम्बन्धित हैं। कुछ हितग्राही जानबूझकर ऋणों का भुगतान नहीं करते और कुछ प्राकृतिक

आपदाओं के कारण कभी-कभी राजनेताओं या राजनैतिक पार्टियों के स्वार्थ के कारण भी प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं।

(च) **दीर्घकालीन वसूली प्रक्रिया**

बैंक की वसूली प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है। बैंक भुगतान तिथि पर मांगपत्र निर्गमित करती है। भुगतान तिथि के दो माह पश्चात् दूसरा मांगपत्र निर्गमित करती है। तृतीय मांगपत्र हितग्राहियों के जमानतदार को दूसरे मांगपत्र की भुगतान तिथि से एक माह में भुगतान करने को कहा जाता है। यदि तीसरे मांगपत्र पर भी ऋण राशि जमा नहीं की जाती तो फिर मुख्यालय को शाखा द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाता है तब मुख्ययालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को राशि संग्रह हेतु सूचना भेजी जाती है। तहसीलदार उस नोटिस की एक प्रति राजस्व अधिकारी को भेजता है जो भू-राजस्व से सम्बन्धित ऋणों एवं अग्रिमों की बकाया राशि से संग्रहण का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वसूली प्रक्रिया में विलम्ब उसकी प्रगति में बाधक है।

उपादेयता

जमुना ग्रामीण बैंक को निरन्तर हानि होती रही है। बैंक की हानियों की संचयी राशि उसकी प्रदत्त अंशपूंजी से भी अधिक हो गयी है। इस स्थिति के लिए निम्न तत्व उत्तरदायी हैं-

(1) स्टाफ के वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप व्ययों में अत्यधिक वृद्धि होना

(2) जमुना ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त योजनाओं में उनके अंशदान में परिवर्तित करना।

(अ) <u>उपभोक्ता सम्बन्धी समस्या</u>

जमुना ग्रामीण बैंक को अपने कार्य निष्पादन में उपभोक्ताओं की निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है-

(ब) <u>परम्परागत ऋणग्रस्तता</u>

बैंक से वित्तीय व्यवहार करने वाले अनेक लाभार्थी ऋणग्रस्तता से ग्रसित होते हैं। उनकी सम्पत्ति अन्यत्र बन्धक रखी हुई होती है। परिणामस्वरूप बन्धन के अभाव में वे बैंक से प्राप्त ऋण वापस करने में आनाकानी करते हैं।

(स) <u>बैंक व्यवहार सम्बन्धी अज्ञानता</u>

जमुना ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों की अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण उन्हें बैंकिंग सम्बन्धी व्यवहारों की जानकारी नहीं होती है। बैंक कर्मचारियों को ऐसे अवसरों पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

(द) <u>ऋणों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति</u>

बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उत्पादक कार्यों हेतु ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया जाता है किन्तु हितग्राहियों द्वारा इन ऋणों का उपयोग अनुत्पादक कार्यों जैसे- विवाह, मृत्युभोज आदि में किया जाता है।

(य) <u>अकर्मन्यता एवं अर्द्ध-बेरोजगारी</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता अपने कार्य के प्रति सजग नहीं होते हैं। उनमें कम से कम कार्य करने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

(र) राजनैतिक घोषणाएं

राजनैतिक पार्टियां अनेक अवसर पर घोषणाएं करती रहती हैं, परिणामस्वरूप उपभोक्ता जानबूझकर बैंक ऋणों की अदायगी नहीं करते हैं जिससे बैंक को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

(ल) उपभोक्ताओं की समस्याएं

जमुना ग्रामीण बैंक से वित्तीय व्यवहार करने वाले हितग्राहियों ने सर्वेक्षण के दौरान निम्न समस्याओं से भी अवगत कराया है–

(क) ऋण एवं अग्रिम की जटिल समस्या

उपभोक्ताओं ने बैंक से वित्तीय व्यवहारों के समय ऋण एवं अग्रिम की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बताया है जिसमें उपभोक्ताओं को अनेक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप अनेक ग्रामीण लोग बैंकिंग व्यवहारों से वंचित रह जाते हैं और बैंक से ऋण एवं अग्रिम नहीं ले पाते।

(ख) अपर्याप्त ऋण की समस्या

उपभोक्ता को बैंक द्वारा पर्याप्त ऋण प्रदान नहीं किया जाना भी एक समस्या है। पर्याप्त ऋण के अभाव में उपभोक्ता ऋण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है।

(ग) जमानत की समस्या

उपभोक्ताओं को बैंकिंग व्यवहार करते समय जमानत की समस्या का भी सामना

करना पड़ता है। बैंक अनेक अवसरों पर जमानत के अभाव में ऋण प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं फलस्वरूप उपभोक्ता बैंकिंग व्यवहार से वंचित रह जाता है।

(घ) उपयुक्त समय पर ऋण प्राप्त न होना

उपभोक्ताओं के समक्ष बैंक द्वारा उपयुक्त समय पर ऋण प्रदाननहीं कर पाना भी एक समस्या है। ऋण एवं अग्रिम की जटिल प्रक्रिया के कारण बैंकों में समय अधिक लगता है जिससे उनके द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिमों का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाता।

(ड़) व्यक्तिगत परेशानियों में अलाभकारी

बैंक, उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत परेशानियों के समय अलाभकारी होते हैं। ऐसे अवसरों पर बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाती।

(च) कार्ययोजना का उचित मूल्यांकन न हो पाना

उपभोक्ताओं की कार्य योजना का उचित एवं समय पर मूल्यांकन न हो पाना भी एक वृहत् समस्या है।

(छ) ग्रामीण परिवेश के अनुरूप बैंकिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षित न होना

उपभोक्ताओं को बैंक से ऋण लेते समय बैंकिंग कर्मचारियों के ग्रामीण परिवेश एवं कार्यप्रणाली के अनुरूप वहां प्रशिक्षित नहीं किया जाता जिससे कार्यक्षेत्र से उनका उचित सामंजस्य नहीं हो पाता।

(ज) वस्तु खरीदते समय गुणवत्ता की परख के अवसर उपलब्ध न होना

उपभोक्ता को वस्तु खरीदने में उसकी गुणवत्ता के चुनाव के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं फलस्वरूप उपभोक्ताओं को अनेक अवसरों पर मजबूरीवश उन वस्तुओं को ही लेना पड़ता है जो उनके लिए अधिक उपयुक्त नहीं होतीं।

(झ) बैंकिंग नीतियों की अज्ञानता के कारण शोषण

उपभोक्ताओं को बैंकिंग नीतियों की जानकारी न होने के कारण उनके आर्थिक शोषण की समस्याएं सामने आती हैं।

(ट) व्यावहारिक सुझाव

जमुना ग्रामीण बैंक अपनी कार्यप्रणाली में सुधारात्मक कदम उठाकर स्वयं को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम बना सके, इसके लिए निम्नलिखित व्यावहारिक सुझाव दिये जा सकते हैं।

(ठ) शीर्षस्थ पदाधिकारी की नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव

जमुना ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष मुख्य पदाधिकारी होता है। अध्यक्ष का चुनाव समिति द्वारा उचित मनोनयन और साक्षात्कार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए उत्तम प्रशासनिक क्षमता पेशेवर दक्षता और अच्छी नेतृत्व क्षमता अति आवश्यक है। अतः अध्यक्ष के ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक परिवेश, ग्रामीण समुदाय के प्रति उसके दृष्टिकोण और उसकी ग्रामीणों के प्रति रचनात्मक विचारधारा से सम्बन्धित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

(ड़) संचालन मण्डल में जिले को उचित प्रतिनिधित्व

संचालन मण्डल को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों की ग्रामीण शाखाओं की स्थापना में उचित स्थानों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला अध्यक्ष को अनेक कार्यों से सम्बद्ध होना पड़ता है अतः जिला स्तरीय परियोजना संचालक मण्डल के जिला विकास ऐजेन्सी को मनोनीत करने से बस बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार आ सकता है।

(ढ) पारिश्रमिक

जमुना ग्रामीण बैंक के स्टाफ के पारिश्रमिक के सन्दर्भ में यह सुझााव है कि ग्रामीण बैंक कर्मचारी/अधिकारियों को व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जानीचाहिए जिससे कर्मचारी/अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अध्यक्ष और ग्रामीण जनता के प्रति ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से अन्य बैंकों के स्टाफ के भांति अच्छा कार्य सम्पादित कर सकें।

(ण) स्टाफ के चयन एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव

स्टाफ का चयन, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के लिए राज्य स्तरीय स्वशासी मण्डल में केन्द्रीकृत कर देना चाहिए ताकि जमुना ग्रामीण बैंक के स्टाफ का चयन वेतन और भत्ते राज्य सरकार के अधिकारियों के समान रह सकें।

(त) वित्तीय स्रोत

जमुना ग्रामीण बैंक को ग्रामीण निक्षेपों को गतिशील बनाने के प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ऋण कैम्प, निक्षेप कैम्प का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। जमुना ग्रामीण

बैंक को नाबार्ड द्वारा निक्षेपों पर एक प्रति0 अधिक ब्याज देने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

(थ) टर्न ओवर दर

कर्मचारी टर्न-ओवर दर में कमी हुई है। जमुना ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को बैंक सेवाओं हेतु प्रोत्साहित कर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

(द) उपभोग ऋण

बैंक से छोटे-छोटे कृषकों को पर्याप्त उपभोग ऋण प्राप्त न होने पर वे साहूकारों का दरवाजा खटखटाते हैं। अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऋण का कुछ भाग ग्रामीण लोग साहूकारों से प्राप्त करते हैं। ग्रामीण बैंक को उपभोग ऋणों के लिए मना नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका एक उद्देश्य गरीब लोगों को साहूकारों के शिकंजे से मुक्त करना भी है।

(ध) व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का जमुना ग्रामीण बैंक में अन्तरण

व्यावसायिक बैंकों को अपनी ग्रामीण शाखाओं को जमुना ग्रामीण बैंक को अन्तरित कर देना चाहिए जिससे ग्रामीण बैंकों को प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े।

(न) क्षेत्रानुसार ऋण कार्यक्रम

जमुना ग्रामीण बैंक को विशेष क्षेत्रों के लिए एक सामान्य योजना अपनानी चाहिए जो बैंक के संचालन क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल हो।

(प) पर्याप्त निरीक्षण एवं नियन्त्रण आवश्यक

जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा अपने संचालन क्षेत्र में शाखाओं के निरीक्षण एवं नियन्त्रण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का

मूल्यांकन एवं शाखाओं की गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी बैंक को यथासम्भव प्राप्त होती रहे।

(फ) राजनैतिक हस्तक्षेप की समाप्ति

जमुना ग्रामीण बैंक में स्थानीय नेताओं का अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। स्थानीय नेताओं को आवेदक की पचान में सहायता करनी चाहिए। ऋण स्वीकृति के समय बैंक अधिकारियों पर अनैतिक दबाव नहीं डालना चाहिए।

(ब) समुचित सुरक्षा व्यवस्था

बैंक द्वारा बैंक भवन की सुरक्षा एवं उपयुक्त स्थान पर व्यवस्था की जानी चाहिए। बैंक भवन की पक्की दीवारों से सुरक्षा, स्ट्रांग रूम, चौकीदार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे निक्षेप आदि को सुरक्षित रखा जा सके।

(भ) भविष्य सम्बन्धी सुनिश्चितता

बैंक के कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदत्त की जानी चाहिए साथ ही उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिए ताकि कर्मचारियों में कार्य के प्रति निष्ठा एवं भविष्य सम्बन्धी

अध्याय - नवम्

उपसंहार

उपसंहार

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहाँ की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता यहाँ की प्रमुख समस्या है। स्वतंत्रता के पश्चात इस समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठाये गये। वाणिज्य बैंकों का जाल फैलाने एवं लीड बैंक योजना क्रियान्वित करने के बावजूद भी अधिकतर ग्रामीण जनता और विशेष रूप से दुर्बल वर्गों के लोग बैंकों से अछूते ही रहते हैं। आज भारतीय कृषि के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या वित्तीय संसाधनों को जुटाने की है। शासन की तकादी बैंकों व सहकारी समितियों के कर्ज भी कुल मिलाकर कृषि के लिए जरूरी वित्तीय साधन नहीं जुटा पाते हैं। छोटे कृषकों एवं दुर्बल वर्गों को पर्याप्त वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पत्ति 26 सितम्बर 1975 के अध्यादेश द्वारा हुई थी। जिसे कानूनी रूप प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के माध्यम से प्राप्त हुआ। अधिनियम बनने के उपरान्त ही पूर्णरूपेण यह स्पष्ट हो गया कि इन ग्रामीण बैंकों के क्या कार्य होंगे, इनकी संरचना कैसी होनी चाहिए। काफी कुछ इस अधिनियम के प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य–उद्योग तथा अन्य सुविधाओं, विशिष्ट तथ छोटे एवं सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन विनियमन एवं परिसीमन तथा उनसे सम्बन्धित एवं उनके आनुषंगिक विषयों का प्रबन्ध करने के लिए इन अधिनियम का निर्माण हुआ, जोकि भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित

हुआ। बैंकिंग प्रणाली बाह्य दृष्टि से जितनी सहज व सरल प्रतीत होती है, वास्तव में व्यावहारिक रूप से उतनी ही जटिल व उत्तरदायित्व पूर्ण है। बैंक साख पत्रों के व्यवहार और चलन को नियंत्रित कर अग्रिम और ऋण के रूप में साख पर नियंत्रण कर अग्रिम और ऋण के रूप में साख पर नियंत्रण रखते हैं। साख और पूंजी के विनियोग को उत्साहित कर ये सर्वप्रथम उपयोग हेतु उसके वितरण में सहायता पहुंचाते हैं। जहां मुद्रा की आवश्यकता होती है, वहाँ मुद्रा उपलब्ध कराते हैं। और जहाँ अतिरिक्त मुद्रा होती है वहाँ से उसे अभाव वाले स्थान को हस्तांतरित कर उसे विकासात्मक कार्यों में विनियोजित करने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों एवं मजदूरों को सरलतम संस्थागत साख उपलब्ध कर उन्हें ऋणग्रस्तता से विमुक्त कराने का रहा है, वहीं ग्रामीण बचतों में प्रोत्साहन के साथ रोजगार सृजनात्मक के उद्देश्य पूर्ण अभियान को नया स्वरूप भी प्रदान किया है। नये आर्थिक कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही भारत शासन द्वारा एक अध्यादेश निर्गमित कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की गयी। इसमें सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। जिसमें एक सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई।

शासकीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन में ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जिसके माध्यम से शासन द्वारा नियोजित कार्यक्रमों को लक्ष्यों तक पहुंचाना संभव हुआ है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के चंगुल से मुक्त ग्रामीण जन स्वच्छन्द रूप से स्वस्थ ऋण प्राप्त कर अपने जीवन यापन के लिए

नित्य रोजगारों में संलग्न हो रहे हैं। रोजगार मूलक कार्यक्रमों से ग्रामीण लोगों में बचत प्रोत्साहन की जो नई दिशा प्राप्त हुई है, वह नये आन्दोलन के रूप में हमारे सामने विकसित होकर प्रगति के नये–नये द्वार खोल रही है। सहकारिता आधारित बैंकिंग व कृषि विकास आधारित बैंकिंग कार्य प्रणाली की कमियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने एक सीमा तक परिष्कृत किया है। आधुनिक ग्रामीण बैंक भी अब स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली के महत्व को विस्तृत नहीं कर पायेंगे। यह तथ्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि विकास प्रक्रिया के साथ बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परिवर्तित बैंकिंग प्रणाली से यह स्पष्ट है कि हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन में बैंकों का सहयोग सतत् उल्लेखनीय बना रहेगा।

20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में ग्रामीण वित्त की समस्या के समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण वर्ग को ऋण से मुक्ति दिलाने एवं ग्रामीण वित्त की सुविधाओं को विस्तृत करने पर जोर देने की नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की योजना उल्लेखनीय मानी गयी। 26 सितम्बर 1975 को राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975 की घोषणा की गई एवं सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कर इनका शुभारम्भ किया गया। 9 फरवरी 1976 को अध्यादेश का स्थान क्षेत्रीय अधिनियम 1976 ने लिया। इस अधिनियम के अनुसार, क्षेत्रीय बैंकों के गठन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, उद्योग , एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं हेतु प्रारम्भिक आवष्यकता वाले व्यक्तियों को साख व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना रहा है। इस प्रकार लघु कृषकों, कृषि श्रमिकों

एवं ग्रामीण शिल्पियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों की स्थापना की गयी।

वर्ष 1975 में सम्पूर्ण भारत के 11 जिलों को समाहित करते हुए 6 क्षेत्रीय बैंक की कुल 17 शाखायें कार्यरत थीं। जबकि 1991 में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। आगरा जिले में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित आगरा प्रधान कार्यालय के साथ जमुना ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत 2 दिसम्बर 1983 को की गयी थी। बैंक की 39 शाखाओं व तीन सेटेलाईट शाखाओं का संजाल है। बैंक का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के दो जिलों आगरा व फिरोजाबाद में फैला हुआ है। आगरा जिले के शाखाओं में अछनेरा, बुन्दूकटरा, सिविल लाइन, दयालबाग, खेरिया, रामबाग, शाहगंज, ताजगंज, अकोला, अवलखेड़ा, अरनौटा, बाह, बरौली अहीर, बयारा, धीमश्री, फतेहाबाद फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, हिन्गोर खेटिया, जगनेर, जेतपुर कला, जोनहारी, कागरौल, ककूआ, खेरागढ, के जवाहर, करौली के चित्तरपुर, नोनी, ओखरा, परवारी पिनाहर, रैवा, सैया, शमसाबाद, तैहरा, अमरेठा, रूदमुली इन बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों (जिसमें कृषक व भूमिहीन) को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। बैंक की विविध योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीणों को उनकी आर्थिक दशा सुधारने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। आगरा जनपद मंडल का दक्षिण पश्चिमी जनपद है, जो $26^0 44$ पर तथा $27^0 44$ उत्तरी अक्षांशों तथा $77^0 28$ तथा $78^0 54$ पूवी देशान्तरों के मध्य फैला हुआ है। जनपद का क्षेत्रफल 4027 वर्ग किमी. है। यह सम्पूर्ण प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.98 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 3611301 है। जनपद का

जनघनत्व 427 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। जनपद में 6 तहसीलें तथा 15 विकास खण्ड है। जनपद में 940 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 904 आबाद तथा 36 गैर आबाद हैं जनपद में 797 ग्राम सभायें, 114 पंचायतें तथा 15 क्षेत्रीय समितियां हैं। वर्ष 2003–04 में प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या 67थी, जिसमें 1008 सदस्य कार्य कर रहे थे। कार्यशील पूंजी 105 हजार रूपये थी। जनपद में वर्ष 2003 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 398460 हैक्टेयर हैं, जिसमें बोया गया क्षेत्रफल 398285 हैक्टेयर जो कुल क्षेत्रफल का 99.96 प्रतिशत है। जनपद में फसल रबी, खरीफ तथा जायद तीनों ही मौसम की फसलें उगायी जाती हैं। रबी की फसल के अन्तर्गत 260813 हैक्टेयर, खरीफ की फसल में 129875 हैक्टेयर तथा जायद की फसल के अन्तर्गत 7592 हैक्टेयर क्षेत्रफल है। जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्रदान किये जाते हैं। व्यक्तियों को रोजगार भी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। भारतीय बैंकिंग इतिहास में ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक ऐसी कड़ी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक की संगठनात्मक संरचना संचालन क्षेत्र की शाखाओं की संख्या, जमा एवं अग्रिम राशि के आधार पर निर्धारण होता है। इसमें एक अध्यक्ष एवं एक प्रबन्धक होता है। इसके द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं– 1. नियोजन एवं विकास, 2. निरीक्षण एवं गोपनीय, 3. प्रशासन कार्य, 4. सामान्य प्रबन्धकों के अधीन कार्यरत कर्मचारी, स्टॉफ चपरासी के द्वारा कार्य को किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उत्पत्ति 26 सितम्बर 1975 के अध्यादेश द्वारा हुई थी। जिसे कानूनी रूप प्रादेशिक 1976 की धारा 5 एवं 6 के अन्तर्गत बैंक

की पूंजी 5 करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूंजी 75 लाख रूपये बैंक के पास निम्न अनुपात में उपलब्ध होती है। भारत सरकार से 50 प्रतिशत व प्रवर्तक बैंकों से 35 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश सरकार से 15 प्रतिशत पूंजी प्राप्त होती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं के विकास के उद्देश्य के लिए विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों व कृषि श्रमिकों, कारीगरों, छोटे व्यवसायियों तथा उनसे सम्बन्धित प्रारम्भिक आवश्यकताओं हेतु साख अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को ऋण प्रदान करना। विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रेयस शिक्षा योजना, ऋण कृषि योजना, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि के लिए जमीन खरीदना, श्रेयस मकान लोन योजना, श्रेयस किराया योजना, किसान लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड योजना, टीचर ऋण योजना, शिक्षा, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई योजना के लिए ऋण प्रदान करना। ग्रामीण कारीगरों जैसे बुनकर, लुहार, सब्जी, फल, अनाज, किराने की दुकान के लिए ऋण प्रदान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सेवा उद्योग, लघु उद्योग, सेवा उद्योग, कृषि उद्योग के लिए भी योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्रदान किये जाते हैं।

शोधार्थी ने प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों को विभिन्न माध्यम से एकत्रित किया है। जिसमें जमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जानकारी संकलित की है। प्राथमिक क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रश्नावली बनाकर बैंक के मुख्यालय, बैंक की शाखाओं से एकत्रित कर उसको सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है। जिसमें लघु उद्योग, कृषि उद्योग एवं सेवा उद्योग से सम्बन्धित है। द्वितीय स्रोतों के अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा बैंक की वार्षिक प्रतिवेदन, जिला

कार्यालय की सांख्यिकी पत्रिका एवं पुस्तकालय, शोधकेन्द्र में जाकर आंकड़ों को एकत्रित कर उसको दर्शाया गया है।

आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैंक दो जिलों आगरा और फिरोजाबाद में कार्यरत हैं। जिसमें कुछ शाखायें फिरोजाबाद क्षेत्र में भी आती हैं। वर्ष 1995 में दो जिलों में कुल शाखाओं की संख्या 46 थी, जिसमें ग्रामीण, अर्द्ध ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल शाखायें क्रमशः 24, 14, 8 थीं। वर्ष 1995 में शाखाओं की संख्या 46 थी जो वर्ष 2005 में 39 रह गई। शाखाओं में कमी का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित शाखाओं से बैंक को अधिक हानि हो रही थी। जिससे कुछ शाखाओं को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1995 तक जमुना ग्रामीण बैंक में चालू खातों में 71.05 लाख रूपये , यह बढ़कर 1996 में 118.76 लाख तथा वर्ष 1997 में 276.6 लाख रूपये हो गये। जिसमें वृद्धि दर क्रमशः 93.00, 67.14, 132.90 जमाओं में वृद्धि हुई। वर्ष 1998 एवं 1999 में इन जमाराशियों में पुनः बढ़ोत्तरी हुई जो वर्ष 1998 में 346.74 लाख रूपये से बढ़कर वर्ष 1999 में 743.26 लाख रूपये बढ़ोत्तरी हुई। जिसमें वृद्धि दर 25.36 से बढ़कर 114.35 वृद्धि दर हुई जो बहुत ही अधिक थी। वर्ष 2000 मे जमा धनराशि 287.12 लाख रूपये जो ऋणात्मक –61.37 वृद्धिदर को दर्शाता है। इस प्रकार आगामी वर्षों में जमाओं में धनराशि एवं उसमें वृद्धि 2002, 2003, 2004, 2005 में क्रमशः जमा राशियाँ 401.52, 369.22, 753.09, 1350.41 लाख रूपये हुई। इसमें वृद्धि क्रमशः 11.20, –8.04, 103.96, 79.26 वृद्धि दर हुई। जमुना ग्रामीण बैंक ने अपनी स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रयास किये हैं। परिणाम स्वरूप बैंक ने विभिन्न जमा योजनाओं के माध्यम से जमा राशि एवं जमा खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि

की है। वर्ष 2005 में चालू खातों में जमा धनराशि अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्शाती है।

आगरा जनपद में जमुना ग्रामीण बैंक की वित्तीय की प्रगति – जमुना ग्रामीण बैंक की कुल जमाराषियाँ वर्ष 1996 के अंत में बढ़कर 4733.13 लाख रूपये हो गयी जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 60.16 प्रतिषत वृद्धि को दर्षाती हैं। जमाराषियों में बैंक की कुल जमा धनराषियाँ वर्ष 1997 तथा 1998 के अंत तक बढ़कर 7618.06 तथा 10037.30 लाख रूपये तक पहुंच गई जो कि गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि 61.00 प्रतिषत एवं 31.75 प्रतिषत वृद्धि को प्रकट करती हैं। वर्ष 1999 में जमाराषियों 13065.72 और वृद्धिदर 30.17 को दर्षाती है। वर्ष 2000 में जमाराषि 13894.96 जिससे आषा के अनुरूप वृद्धि 6.35 प्रतिषत जो बहुत कम थी। वर्ष 2001 जमुना ग्रामीण बैंक में जमाराषि 16363.72 लाख रूपये जो बढ़कर 2002 में 19032.21 लाख रूपये जिसमें वृद्धि दर 17.77, क्रमषः 16.61 इसी क्रम में वर्ष 2003, 2004 में जमा राषि 22176.54, 24118.66 लाख रूपये जिसमें वृद्धि दर क्रमषः 16.21. 8.76 कुल वृद्धि हुई। वर्ष 2004 के सापेक्ष 2005 में वृद्धि दर 2.82 के साथ 24799.55 लाख रूपये पहुंच गई। इससे स्पष्ट होता है कि जमाराषियों में प्रतिवर्ष वृद्धिदर कम होती चली जा रही है। वर्ष 1996 के दौरान बैंक ने 165081 हजार रूपये का ऋण वितरित किया। जिसकी वसूली 107351 हजार रूपये की गयी। जिसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण 57730 हजार रूपये रह गया, जिसमें 65 प्रतिशत वसूली की जा सकी। वर्ष 1997, 1998 में बैंक ने 187608, 244032 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया। जिसकी वसूली क्रमशः 103906, 160138 हजार रूपये की गयी। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली 55.38, 65.62 की

जा सकी। इसी प्रकार वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 बैंक द्वारा ऋण वितरित क्रमशः 508738, 535110, 553637, 585243 हज़ार रूपये दिया गया। जिसकी वसूली क्रमशः 315446, 305617, 348379, 411444 हजार रूपये की गयी। इसमें, बकाया (अतिदेयी) ऋण 193292, 229493, 205258, 173799 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली क्रमशः 62.01, 57.11, 62.93, 70.30 की जा सकी। वर्ष 2005 में दिया गया ऋण 685110 हजार रूपये जिसकी वसूली 529274 हजार में की गयी। बकाया (अतिदेयी) ऋण 155836 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली 77.25 की जा सके। बैंक द्वारा दिया गये ऋणों में लगातार वृद्धि हुई है, बैंक द्वारा वसूली कुछ वर्षों को छोड़कर वसूली प्रतिशत में वृद्धि को दिखाता है। वर्ष 2005 के बैंक द्वारा दिया गया, ऋण 685110 हजार रूपये जिसकी वसूली 77.25 प्रतिशत हुई। यह बैंक की सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्शाता है।

वर्ष 1996 के दौरान बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में 36309 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया है, जिसकी वसूली 22595 हजार रूपये की गयी। जिसमे बकाया (अतिदेयी) ऋण 13714 हजार रूपये रह गया, जिससे 62.23 प्रतिशत वसूली की जा सकी। वर्ष 1997, 1998 में बैक द्वारा कृषि क्षेत्र में 42369, 57202 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया। जिसकी वसूली क्रमशः 25857, 30228 हजार रूपये की गयी, जिसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण क्रमशः 16512, 20074 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 61.03, 52.79 प्रतिशत की वसूली की जा सकी। इसी प्रकार वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 बैंक द्वारा ऋण वितरित क्रमशः 236642, 226842, 251187, 219161 हजार रूपये दिया गया, जिसकी वसूली

क्रमशः 135584, 115798, 158096, 157414 हजार रूपये की गयी। इसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण क्रमशः 101058, 111044, 93091, 61747 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली क्रमशः 50.04, 51.04, 62.93, 71.83, 76.41 की जा सकी। वर्ष 2005 में कृषि में दिया गया ऋण 390371 हजार रूपये, जिसकी वसूली 298317 हजार रूपये की गयी। बकाया (अतिदेयी) ऋण 92054 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 76.41 प्रतिशत वसूली की जा सकी। वर्ष 2005 मे बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के ऋण 390371 हजार रूपये जिसकी वसूली 76.25 प्रतिशत हुई यह बैंक की सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्शाता है।

वर्ष 1996 के दौरान बैंक ने 129323 हजार रूपये का गैर कृषि ऋण वितरित किया। जिसकी वसूली 84876 हजार रूपये की गयी। जिसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण 44445 हजार रूपये रह गया। जिससे 65.63 प्रतिशत की वसूली की जा सकी। वर्ष 1997, 1998 में बैंक द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में 145239, 186230 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया। जिसकी वसूली 78049, 129910 हजार रूपये की गयी। जिसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण 67190, 56920 हजार रूपये रह गयी। वर्ष के दौरान 53.74, 69.53 प्रतिशत वसूली की जा सकी।

वर्ष 1999, 2000 में बैंक द्वारा वितरित ऋण 182639, 304828, हजार रूपये किया गया, जिसकी वसूली 150047, 210275 हजार रूपये की गयी।, जिसमें बकाया। (अतिदेयी) ऋण 32592, 94553 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 82.15, 68.98 प्रतिशत वसूली की जा सकी। इसी प्रकार वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 में बैंक द्वारा ऋण वितरण क्रमशः 242096, 308268, 302450, 366082 हजार रूपये दिया गया। जिसकी

वसूली क्रमशः 179862, 189819, 190283, 254030 हजार रूपये की गयी। इसमें बकाया (अतिदेयी) ऋण क्रमशः 62234, 118449, 112167, 112052 हजार रूपये रह गयी। वर्ष के दौरान प्रतिशत वसूली क्रमशः 74.29, 61.57, 62.91, 69.39 की जा सकी। वर्ष 2005 में गैर कृषि में दिया गया ऋण 294739 हजार रूपये जिसकी वसूली 230957 हजार रूपये की गयी। बकाया (अतिदेयी) ऋण 63782 हजार रूपये रह गया। वर्ष के दौरान 78.36 प्रतिशत वसूली की जा सकी बैंक द्वारा दिये गये गैर कृषि ऋणों में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2005 सबसे अधिक वृद्धि को दर्शाता हैं।

बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों (जिसमें कृषक व भूमिहीन) को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। ये बैंक विविध योजनान्तर्गत ग्रामीणों को उनकी आर्थिक दशा सुधारने हेतु ऋण प्रदान करना। ये योजनाएँ कृषि सम्बन्धी लघु व सेवा उद्योग सम्बन्धी है। कृषि सम्बन्धी योजना में फसल एवं सिंचाई योजना, ट्रैक्टर क्रय करने हेतु ऋण एवं कृषि से सम्बन्धित उपकरण क्रय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ग्रामीण लघु उद्योग के अन्तर्गत दर्जी, कुम्हार, बुनकर, चर्मकार, जनरल स्टोर, आटा चक्की व अन्य कारीगरों को उनके उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सेवा योजन के अन्तर्गत बैंक द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु ट्रैक्टर, ट्राली, तांगा, साइकिल, ठेला, रिक्शा, बैलगाड़ी हेतु बैंक द्वारा ऋ़ण प्रदान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि अन्य ऋण भी प्रदान किये जाते है। वर्ष 1994–95 बैंक द्वारा जानकारी उपलब्ध न होने पर जिसकी जानकारी अंकित नहीं हो सकी। वर्ष 1996–97 में बैंक द्वारा कृषि योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला ऋण 920.44 लाख रूपये इस वर्ष इसमें काफी

वृद्धि दृष्टिगोचर हुई थी। वर्ष 1997–98 में ये ऋण घटकर 662.00 लाख रह गया। वर्ष 1998–99 में यह पुनः बढ़कर 920.44 लाख रूपये हो गया। वर्ष 1999–2000 में ऋण में कमी की गई। ऋण 868.91 दिया गया। वर्ष 2001–02 में 1571.64 लाख .ऋण से बढ़कर 2002–03 में 2602.56 लाख रूपये हो गया। इसी क्रम में 2003–04, 2004–05 में निरन्तर वृद्धि हुई जो 3354.78 लाख रूपये से 5201.17 लाख रूपये हो गया।

वर्ष 1996–97 में बैंक द्वारा लघु योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाला ऋण 116.52 लाख रूपये हो गया। 1997–98 में यह बढ़कर 134.00 लाख रूपये पुनः 1998–99 में यह ऋण घटकर 39.29 लाख रूपये था। वर्ष 2000–01 में इसमें अधिक वृद्धि देखी गयी। यह बढ़कर 80.01 लाख रूपये ऋण दिया गया। लेकिन वर्ष 2001–02 में घटकर यह 34.66 लाख रह गया। वर्ष 2002–03 में 37.88 ऋण दिया गया। वर्ष 2003–04 में 54.10 लाख ऋण जो बढ़कर 2004–05 में 59.71 लाख रूपये हो गया। सन् 1996–97 में सन 1994 की अपेक्षा कृषि ऋण आठ गुनी तक बढ़ोत्तरी हुई। जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षति पर लघु उद्योगों की अपेक्षा बहुत अधिक ऋण उपलब्ध कराया है। गत वर्षों में 2003–04, 2004–05 में लघु उद्योग को ऋण कृषि की अपेक्षा बहुत कम ऋण उपलब्ध कराया है। बैंक द्वारा कृषि उद्योगों हेतु विभिन्न योजनाओं में सर्वाधिक धनराशि वितरित की गयी।

कृषि उद्योग तथा लघु उद्योग की भांति सेवा उद्योग स्थापित करने हेतु जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किये गये। तीन वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 में सेवायोजन एवं अन्य के अन्तर्गत ऋण कम दिया गया। अन्य सभी वर्षों से इसमें लगातार वृद्धि

हुई। वर्ष 1996—97 में सेवा के अन्तर्गत दिया गया ऋण 1365.07 दिया गया। वर्ष 1997—98, 1998—99 में ऋण क्रमशः 1253.33, 1365.07 लाख रूपये दिये गये। वर्ष 1999—2000, 2000—2001, 2001—2002 में सेवायोजन के द्वारा दिया गया ऋण क्रमशः 581.74, 715.39, 691.33 कम दिया गया। वर्ष 2002—2003, 2003—2004 तथा 2004—2005 में सेवा उद्योग के लिए क्रमशः 1082.72, 1055.28 तथा 1119.51 लाख रूपये प्रदान किये गये।

जमुना ग्रामीण बैक द्वारा आगरा जिले के औद्योगिक विकास में पूर्ण योगदान दिया है। औद्योगिक विकास के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योग, सेवा उद्योग कारीगर एवं छोटे उघमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है यह बैंक मुख्य पिछडें क्षेत्रों जिसमें वाणिज्य एवं शहरी बैंको की शाखाओं का विस्तार नहीं है। वहाँ पर ग्रामीण स्तरीय उद्योगों को स्थापित करने में बैंक द्वारा अनेक प्रकार के प्रयोग कर प्रयास किये गये।

जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा विगत 10 वर्षों में अपनी कार्यशैली में काफी सुधार किया गया है बैंक ने अपने सामाजिक एवं सवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त की है शाखा प्रबन्धकों को बैंक की वसूली कार्यक्रम के अन्तर्गत शिविर लगाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने के निर्देश दिये गये जिससे बैंक द्वारा दिये गये ऋणों का सदुपयोग हो सके तथा ऋण की वसूली समय पर की जा सके। बैंक व्यवस्था में स्टाफ के सदस्य अध्यक्ष महोदय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर ॠण से सम्बन्धित कठनाई को हल करने में सहयोग प्रदान करते हैं। औद्योगिक विकास में सफलता प्राप्त करने के लिये अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारियों

को समय–समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है जिसमें प्रशंसा पत्र, बधाई पत्र आदि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

औद्योगिक विकास से सम्बन्धित दिये गये ऋण को वसूल करने के लिये प्रत्येक शाखा में विभिन्न वसूली कैम्प का आयोजन समय–समय पर किया गया जिसमे अधिकारियों राजस्व अधिकारियों आदि का सहयोग मिला जिसके माध्यम से ऋण की वसूली में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए तथा उद्योगों से सम्बन्धित वसूली परिणामों में सफलता परिलक्षित हुई।

बैक द्वारा पूरे वर्ष में सभी शाखाओं द्वारा ग्राहक सेवा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जिससे कि औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुँचा सकें तथा क्षेत्र की ग्रामीण जनता बैंक योजनाओं में अधिक से अधिक रूचि दिखाये। जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा छोटे किसानों एवं गरीबो को औद्योगिक ऋण देते समय जमानत व गिरबी पर अधिक जोर न देकर इस बात का ध्यान रखा जाये कि उनकी ऋण पाने की क्षमता कितनी है।

आवश्यकता अनुसार बैंक के प्रचार हेतु व्यवसायिक प्रतिदंद्वता के क्षेत्र में अपने आपको स्थिापित करने के लिए बैंक में ढांचागत परिवर्तन भी किये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन एवं सीमान्त कृषकों उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है। जमुना ग्रामीण बैंक के सामने अनेक समस्याएं आती हैं।

यह समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित होती है। जिनमें से कुछ समस्यायें निम्न हैं–

बैंकिंग समस्याओं के अन्तर्गत संगठनात्मक समस्या वित्तीय समस्या, कार्यात्मक समस्या, कठिन नियंत्रण, दूरस्थ क्षेत्र, स्टाफ की कमी, ग्रामीण व्यवहारों से अनभिज्ञता आदि उपभोक्ता हितग्राही समस्या के अन्तर्गत ऋणग्रस्तता, ऋण के दुरूपयोग करने की प्रवृत्ति, बैंकिंग व्यवहार सम्बन्धी अज्ञानता इसी प्रकार हितग्राहियों की बैंक के प्रति समस्याओं के अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम की जटिल प्रक्रिया, गारण्टी की समस्या, अपर्याप्त ऋण की समस्या आदि हैं।

जमुना ग्रामीण बैंक के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बैंक की वर्तमान कार्यप्रणाली से अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस बैंक से सम्बन्धित एक पक्षपात, अशिक्षित और बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी से अनभिज्ञ होने के कारण इस बैंक के योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका। शासन की विभिन्न, नीतियों, कार्यक्रम आदि को ग्रामीण समुदाय तक पहुँचाने में इस बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जमुना ग्रामीण बैंक की प्रवर्तक बैंक, केनरा बैंक और नाबार्ड से प्राप्त दिशा निर्देशों का राजनीतिक प्रभावों के कारण सार्थक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। जिससे बैंक कभी–कभी सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाया।

जमुना ग्रामीण बैंक को विकसित करना है तो जहाँ एक ओर बैंकिंग नियमों एवं परिनियमों तथा शीर्ष संस्थाओं के दिशा निर्देशों का संयम एवं दृढ़ता से पालन करना होगा। वहीं दूसरी ओर राजनैतिक हस्तक्षेप को भी सिद्धान्तों के विपरीत होने पर दृढ़ता के साथ नकारना होगा। ग्रामीण

समाज की आर्थिक सम्पन्नता, इस बैंक की मूल भावना है। जिससे बैंकिंग नियमों के अनुरूप परिपूण किया जाना चाहिए।

बैंक की उपलब्धियों का आंकलन केवल सांख्यिकीय न होकर ग्राहकों की संतुष्टि, और इस व्यवस्था के लाभों से उनके जीवन यापन में आये सुधारों के प्रमापों से मापा जाना चाहिए। यह त्रिस्तरीय समन्वय नीति जटिल अवश्य है किन्तु कठिन नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन मेहनत से ही जमुना ग्रामीण बैंक के परिदृश्य को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चिन्तामणि शुक्ल — आगरा जनपद का राजनैतिक इतिहास
2. गुडे एण्ड हार्ट — मैथ इन सोशल रिसर्च
3. जायसवाल के. पी. — हिस्ट्री ऑफ इण्डिया
4. आर. एस. त्रिपाठी — हिस्ट्री ऑफ कन्नौज
5. डॉ. मामोरिया, डॉ. जैन — भारत का आर्थिक विकास, साहित्य भवन, आगरा
6. राबर्टसन सरडेनिस — कन्ट्रोल ऑफ इण्डस्ट्री
7. पी. कांग–चांग — एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रियलाइजेशन
8. ब्लाचसेन, एच. — आईना–ए–अकबरी
9. जी. ए. लुण्डबर्ग — सोशल रिसर्च
10. प्रो. बी. एम. जैन — शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीक
11. फिलिप्स बर्नाड — सोशल रिसर्च
12. गुडे एण्ड हॉट्र — मैथड्स इन सोशल रिसर्च
13. फिलिप्स बी. यंग — साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च
14. वसु. एस. के. — इण्डस्ट्रियल फाईनेंस इण्डिया

15. एमोरी एस. बोगाडस

16. शर्मा,, वी. पी. — द रोल ऑफ कामर्शियल बैंक्स इन इण्डियाज डवलपिंग इकोनोमी

17. सिंह प्रो. डी. ब्राइट — आर्थिक विकास

18. त्रिपाठी, एस. डी. — कन्ट्रीब्यूटिड एवं आर्टीकल इन इण्डियन बैंकिंग टूवार्डस

19. ए. एन. अग्रवाल — भारतीय अर्थशास्त्र

20. डॉ. एस. डी. सिंह — वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व

21. देसाई, बसन्त — इण्डियन बैंकिंग नेचर एण्ड प्रौब्लम हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई

22. बापना, एम. एम. — रीजनल रूरल बैंक्स इन राजस्थान, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई,

23. शिव प्रसाद डी. — रीजनल रूरल बैंक्स इन आन्ध्र प्रदेश–ए क्रिटिक जनरल ऑफ रूरल वाल्यूम–2

24. एम. सी. एण्ड. डैटर ई — मैनेजमेंट बैंकिंग वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स

25. यंगसन प्रो. — आर्थिक विकास

26. भट्ट, एन. एस. — आस्पेक्ट ऑफ सरल बैंकिंग कामनवैल्थ पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1988

27. कुमार, केवल — इन्स्टीट्यूशनल फायनेंस ऑफ इण्डियन एग्रीकल्चर इन विद स्पेशल रिफरेन्स कामर्शियल बैंक्स, डीप एण्ड डीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली

28. आर. आर. बी. एक्ट 1976 धारा 3 (1)

29. आर. आर. बी. एक्ट 1976 धारा 11

30. आगरा गजेटियर, 1905

रिपोर्ट

1. जमुना ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन (1995 से 2005) जमुना ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

2. सांख्यिकी पुस्तिका जिला सांख्यिकी कार्यालय, आगरा,

3. दि इकोनोमिक टाइम्स, अगस्त, 7, 1991

4. आइन–ए–अकबरी, एच.ब्लाचसेन द्वारा अनुदित जिल्द–1

5. वार्षिक प्रतिवेदन जमुना ग्रामीण बैंक आगरा वर्ष 1995–2005 तक

6. जिला सांख्यिकी कार्यालय सामाजार्थिक समीक्षा वर्ष 1995–2005 तक

7. उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर, जिला आगरा।